CONTENTS

Sixteenth Series, Vol.IV, Second Session, 2014/1936 (Saka) No.26, Wednesday, August 13, 2014/Shravana 22, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
OBITUARY REFERENCE	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.501 to 505	8-69
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.506 to 520	70-130
Unstarred Question Nos.4880 to 5109	131-704

_

 $^{^{*}}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	705-713
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	714
STATEMENT BY MINISTER Status of implementation of the recommendations contained in the 251 st Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Scientific Industrial Research, Ministry of Science and Technology	
Dr. Jitendra Singh	715
ELECTION OF DEPUTY SPEAKER	716-719
FELICITATIONS TO THE DEPUTY SPEAKER	720-736
Shri Narendra Modi	720
Shri Mallikarjun Kharge	720-721
Dr. P. Venugopal	721-722
Shri Sudip Bandyopadhyay	722
Shri Bhartruhari Mahtab	722-723
Shri Anant Gangaram Geete	723-724
Shri A.P. Jithender Reddy	724
Shri P. Karunakaran	724-725
Shri Mulayam Singh Yadav	725
Shri Muthamsetti Shrinivasa Rao(Avanthi)	725-726
Shri Ramvilas Paswan	726
Shri Tariq Anwar	726
Shri Mekapati Raja Mohan Reddy	726-727
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	727
Shri Bhagwant Mann	727

	Shri Rajesh Ranjan	727-728
	Shri Dushyant Chautala	728
	Shri Upendra Kushwaha	728-729
	Shri Tariq Hameed Karra	729
	Shri Kaushalendra Kumar	729
	Shrimati Anupriya Patel	730
	Shri N.K. Premachandran	730
	Dr. Anbumani Ramadoss	730-731
	Shri R. Radhakrishnan	731
	Shri H.D. Devegowda	731-732
	Shri C.N. Jayadevan	732
	Shri Jose K. Mani	732
	Hon'ble Speaker	732
	Hon'ble Deputy Speaker	733-736
MAT	TTERS UNDER RULE 377	737-753
(i)	Need to make provision for community halls and night shelters for widows and destitute women and also to provide skill-based training to these women to help them earn their livelihood	
	Shrimati Rekha Verma	737
(ii)	Need to establish Kendriya Vidyalayas in Bhind and Datia, Madhya Pradesh besides setting up a Sainik School in Bhind	
	Dr. Bhagirath Prasad	738
(iii)	Need to develop Surha Taal (pond) in Ballia Parliamentary Constituency as a Water Sports Centre promote tourism in the region	
	Shri Bharat Singh	738

(iv)	Need to construct an embankment on river Ganga in Misrikh Parliamentary Constituency to prevent recurrence of annual floods in the region	
	Shrimati Anju Bala	739
(v)	Need to build a Road Over Bridge on level crossing no. C-61 in Nagaur, Rajasthan	
	Shri C.R. Choudhary	740
(vi)	Need to sanction unreserved forest land in single phase and set up a regional office of Ministry of Environment, Forests and Climate Change in Jaipur, Rajasthan	
	Shri Chand Nath	741
(vii)	Need to set up Food Processing Industries and cold storage facilities in Kaushambi Parliamentary Constituency	
	Shri Vinod Kumar Sonkar	742
(viii)	Need to set up CNG stations in all the prominent cities of Rajasthan	
	Shri Gajendra Singh Shekhawat	743
(ix)	Need to ensure construction of overbridges and underbridges at strategic points on under construction four-lane National Highway in Rajsamand district, Rajasthan	
	Shri Hariom Singh Rathore	743
(x)	Need to give exemption to candidates belonging to General and Backward Classes who have cleared TET examination and not having B.Ed. Degree for appointment as teachers in Bihar	
	Dr. Sanjay Jaiswal	744

(xi)	Need to take suitable measures to check the declining price of natural rubber in the domestic market	
	Shri Anto Antony	745
(xii)	Need to amend Central Motor Vehicles Act, 1988 to permit use of sun control films in vehicles	
	Prof. K.V. Thomas	746
(xiii)	Need to establish AIIMS like Institute in Tamil Nadu in the current financial year	
	Shrimati V. Sathyabama	747
(xiv)	Need to expedite construction of railway halt station at Bansberia, Hooghly district, West Bengal	
	Dr. Ratna De (Nag)	748
(xv)	Need to allocate sufficient funds for early completion of East–West Metro Project in Kolkata, West Bengal	
	Shri Sudip Bandyopadhyay	748
(xvi)	Need to extend gauge conversion of railway line from Naupada (Andhra Pradesh) to Gunupur (Odisha) upto Therubali	
	Dr. Sidhant Mohapatra	749
(xvii)	Need to allot land for the development of Nhava and Sheva villages by the Jawahar Lal Nehru Port Trust (JLNPT) as per agreed terms and conditions and also streamline the traffic system on the road leading to JLNPT	
	Shri Shrirang Appa Barne	750

(xviii)	Need to sanction a new ESI Hospital at Piduguralla town in Guntur district of Andhra Pradesh	
	Shri Rayapati Sambasiva Rao	751
(xix)	Need to discontinue crop insurance scheme based on weather statistics and to re-start National Agriculture Insurance Scheme particularly in Nalanda district of Bihar	
	Shri Kaushalendra Kumar	752
(xx)	Need to ensure appropriate utilization of funds under various schemes for Panchayati Raj Institutions and for rural development in Maharashtra	
	Shri Raju Shetti	753
FIRST (Inser	STITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY IT AMENDMENT) BILL, 2014 tion of new Articles 124A, 124B and 124C) AND ONAL JUDICIAL APPOINTMENTS	
	MISSION BILL,2014	754-833
	Shri Ravi Shankar Prasad	755-769
	Constitution Amendment Bill	770-785
	Clauses 2 to 10 and 1	785-815
	Motion to pass	815-831
	National Judicial Appointments Commission Bill	831
	Clauses 2 to 14 and 1	831-832
	Motion to pass	832-833

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE Need to Exempt Residential Colonies as well as Vacant land of Defence from obtaining NOC from Ministry of Defence to carry Development Work	
Dr. Kirit Somaiya	835
Shri Arjun Jaitley	835-837 841-842
DISCUSSION UNDER RULE 193 Need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in the country	843-886
Shri Mallikarjun Kharge	843-851
Yogi Adityanath	852-859
Shri J.J.T. Natterjee	860-861
Shri Sudip Bandyopadhyay	862-866
Shri Tathagata Satpathy	867-871
Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi)	872-874
Shri Mohammad Salim	875-878
Shri Tariq Anwar	879-881
Shri Rajesh Ranjan	882-886
Ms. Mehbooba Mufti	889-894
Shri Asaduddin Owaisi	895-900
Shri Gajanan Kirtikar	901
Shri Konda Vishweshwar Reddy	902-903
Shri Badruddin Ajmal	904-905
<u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	923
Member-wise Index to Unstarred Questions	924-927
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	928
Ministry-wise Index to Unstarred Ouestions	

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

HON'BLE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Prof. K.V. Thomas
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P.K. Grover

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, August 13, 2014/Shravana 22, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन के पूर्व सदस्य श्री रेशम लाल जांगड़े का दिनांक 11 अगस्त, 2014 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में 89 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया है।

आपने पहली, दूसरी और नौवीं लोक सभा में मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब छत्तीसगढ़ में है, का प्रतिनिधित्व किया। वे अनंतिम संसद के सदस्य भी थे। एक सुयोग्य संसदिवद् श्री जांगड़े ने कई संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री जांगड़े वर्ष 1962 से 1967, 1972 से 1977 और 1985 से 1989 तक तीन बार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1963 में मध्य प्रदेश सरकार में उपमंत्री के रूप में भी कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री जांगड़े ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। उन्होंने सामाजिक समरसता और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सतत् प्रयास किए।

हम श्री रेशम लाल जांगड़े के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोकसंतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करते हैं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ पल के लिए मौन धारण करेगी।

11.01 ½ hrs.

The Members then stood in silence for short while.

...(व्यवधान)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I have given notice of Adjournment Motion.... (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, रात-भर 200 बच्चों को ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका एडर्ज्नमेंट मोशन है, वह मैंने एक्सैप्ट नहीं किया है। आप प्लीज़ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष महोदया, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूँ। ...(व्यवधान) मैं सिर्फ एक मिनट में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : महोदया, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Not in the Question Hour.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ आप अपनी जगह पर जाइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

माननीय अध्यक्ष: नहीं तो मैं आपको किसी प्रश्न के लिए अलाउ नहीं करुंगी। I am sorry.

...(व्यवधान)

...

^{*} Not recorded.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I hereby give notice of my intention to ask for leave to move a motion for the adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent importance, namely, rising incidents of communal riots/violence and polarization which are affecting the life and security of the people in various parts of the country. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, क्वेश्चन ऑवर में सस्पेंशन नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मैडम, ये नोटिस हमने पहले दिए थे। आपने उनको चर्चा के लिए रखा है। ... (व्यवधान) हम 15 दिन से कंटीन्युअसली इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए दो बार तो आपसे भी मिले। लेकिन कालिंग अटेंशंस, दूसरे अन्य विषय, बिल्स, ये सब आने की वजह से इसको जो महत्व देना चाहिए था, वह महत्व नहीं मिल रहा है। 15 दिन से हम इस विषय को उठा रहे हैं। अगर आप रूल्स के मुताबिक भी परिमट नहीं करेंगी तो हमें किस जगह जाकर यह बात बोलनी चाहिए, क्या सिर्फ प्रेस कान्फ्रेंस में बोलना चाहिए या आउट साइड में बोलना चाहिए?

माननीय अध्यक्ष: यह क्या बात है?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक तो जो सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर की नोटिस है, वह स्वीकार नहीं हुई है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप मेरी बात नहीं सूनेंगे?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. अगर आपको मेरी बात नहीं सूननी है तो फिर चिल्लाते रहिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is saying something.

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या

नायडू): महोदया, यह महत्वपूर्ण विषय है।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, पहले तो मैं भी आपसे एक निवेदन करूँगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have allowed him. क्या बात है?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have allowed him.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, पहली बात तो यह है कि आप इस प्रकार की बात मत करिए, जिससे चेयर की तरफ कोई उंगली उठती हो, मेरा आपसे यह निवेदन है। नियम 193 की चर्चा लगी हुई है, उसमें कभी किसी के लिए ना नहीं की है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह कुछ बोलना चाहें तो सदन को बतायें।

श्री एम. वैंकेया नायडू: महोदया, यह महत्वपूर्ण विषय है, इसमें दो राय नहीं है। मगर अभी तक सदन में जो काम चल रहा है, उसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है और उसी शेड्यूल के आधार पर हम चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि यह विषय जल्द से जल्द चर्चा में आए। यह कांग्रेस और अन्य पार्टीज की इच्छा भी हो सकती है, मगर जो चर्चा अभी तक चल रही है, उस विषय को समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए।

मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। हम कल एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक के बारे मे चर्चा कर रहे थे। वह चर्चा पूरी होकर मंत्री जी का जवाब चल रहा है। मंत्री जी की तरफ से जवाब पूरा होने दीजिए और उसके बाद वोटिंग होने दीजिए। खड़गे जी, उसके बाद हम आपके साथ बैठकर समाधान निकालेंगे कि आज ही इस विषय पर चर्चा करनी है तो कैसे करें? बाकी जो अभी तक पैन्डिंग बिल्स हैं, जिनकी चर्चा अधूरी रही है, उनका क्या करना है, यह तय करें, हमें इसमें कोई आपित नहीं है। ...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Tomorrow you will take up Private Members' Bill. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया, शान्त रहिये।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I assure you. Shri Suresh, your leader is there. He is capable. He is senior to all of us. What I am trying to say is that we are trying to find a way out. Suppose, tomorrow Private Members' Bills come, and if you want this subject to be taken up on priority, today after this business we will take that up on priority and then move forward.

माननीय अध्यक्ष: अब क्वेश्चन ऑवर में कुछ नहीं कहें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मेरी बात भी तो सुनिये।

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात तो सुन ली है।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, हमारा इशारा आपकी तरफ नहीं है। हम बार-बार आपको रिप्रजेन्ट कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि, इस सदन में अगर हमारी रक्षा कोई कर सकता है तो आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं जरूर करूँगी।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे : इसी वजह से हमने आपके सामने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस विषय को उठाया है। मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी अपील की है। आपने कल यह एश्योरेंस भी दिया था कि यह होने वाला है।

माननीय अध्यक्ष: यह होने वाला है।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे : अगर आप आज का एजेंडा देखें तो यह लॉस्ट में है। अगर यह लॉस्ट प्रायोरिटी में है तो फिर इसका डिस्कशन कब होगा, इसका उत्तर कब मिलेगा? आपको मालूम है कि कल तो नॉन ऑफिशियल बिल्स आते हैं। जब नॉन ऑफिशियल बिल्स आते हैं तो ये सारी चीजें पीछे हो जाती हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे तुरन्त लीजिए और आप आश्वासन दीजिए। कल भी आपने आश्वासन दिया था, लेकिन किसी वजह से वह पोस्टपोंड हो गया होगा, इसलिए कम से कम आज तो इम्मीडिएटली ऑफ्टर क्वेश्चन ऑवर इसको ले लीजिए। उत्तर वे बाद में भी दे सकते हैं, अट्रासिटी एगेंस्ट दी वुमेन बिल अभी चर्चा में ही है। इसका भी उत्तर बाद में दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप मेरी बात सुनिये। आपने अपनी बात रख दी है, मैंने आपको आश्वासन दिया है और आश्वासन का पालन भी होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सब लोग मेरी बात सुनिये। ऐसा नहीं होता है। अगर आज इस पर चर्चा शुरू होनी है तो जरूर चर्चा होगी। मैं आपको बता रही हूँ। मगर पहले आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

माननीय अध्यक्ष : जब मैं बोल रही हूँ तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी है। बिल पास होने के बाद एक कॉल अटैंशन के बाद तुरंत आपका नियम 193 का डिसकशन लिया जाएगा। I am saying this much that today itself it will start. That much assurance I am giving you. It will start today. आज जल्दी सब हो जाएगा तो today itself 4 बजे या 3 बजे लेंगे। अगर सभी काम हो जाता है तो 3 बजे, नहीं तो 4 बजे लेंगे, but I am assuring you, we will start it today only. Q. no. 501.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं? नियम 193 का विषय लगा हुआ है, वही बाद में लेंगे। I am sorry.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनका एडजर्नमेंट मोशन मैंने नहीं लिया है। अभी क्वैश्चन आवर सस्पैंड नहीं होगा।

^{*} Not recorded.

11.11 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 501, कर्नल सोनाराम चौधरी

(Q.501)

COL. SONARAM CHOUDHARY: Madam, the hon. Minister has given the reply.... (*Interruptions*) He has covered most of the issues. But, with regard to the Recovery Programe for Critically Endangered Species under the Centrally Sponsored Scheme of 'Integrated Development of Wildlife Habitat', he has given the number which is 17.... (*Interruptions*) But I want to bring out one thing.... (*Interruptions*) I would like to mention that though hon. Minister has given the list of some of the critically endangered species, yet he has not included other things.... (*Interruptions*) He has not spelt out how he is going to protect and preserve these species.... (*Interruptions*) He has some departments under his control like the Wildlife Institute of India; the Central Zoo Authority, the National Tiger Conservation Authority and the Wildlife Control Authority.... (*Interruptions*) How is he going to protect them? (*Interruptions*)

I would also like to bring out this fact to him that in the list of 17 species, he has not included Vultures.... (*Interruptions*) Vultures of available in Western Rajasthan. Also, he has not included the Great Indian Bustard which is available in Rajasthan and there is no financial assistance extended. This is also available in Gujarat and Maharashtra. But he Has not mentioned these things.... (*Interruptions*)

I also want to say that he has not included the Desert Fox. This is also an endangered species. My point is that he should personally see to it. He should get it done.

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। आप क्या पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

COL. SONARAM CHOUDHARY: Further, he has done funding for only 10 States. What happened to the other States?

Will the hon. Minister consider and include the Great Indian Bustard, Vulture, Desert Fox in this List and also provide financial assistance Rajasthan Government... (*Interruptions*) He has funded only 10 States. But Rajasthan has been left out... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: वल्चर का प्रश्न चल रहा है।

...(व्यवधान)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Let me tell you that recovery programme is on for the endangered species like the Vulture. इसमें हमें कुछ प्रजातियों के संस्क्षण में अच्छी सफलता मिली है। ... (व्यवधान) जैसे टाइगर्स की संख्या 1600 हो गई है, गुजरात में सिंहों की संख्या 440 हो गई है, वैसे ही Vultures, Manipur Brow-antlered deer, Edible-Nest Swiftlet - इन सबके रिकवरी प्रोग्राम्स में अच्छी तरक्की हुई है और हमें एंडेन्जर्ड होने वाले स्पीशिज़ को बचाने में सफलता मिली है। आशा है कि भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ेगी।

आपने जहाँ तक वल्चर का पूछा है, nine species of vultures are found out of which three are endangered species like the white-billed, long-billed and slender-billed. This number has declined. The post-mortem and diagnostic case have revealed that diclofenac वैटरिनेरी ड्रग जो पशुओं को दी जा रही थी, ऐसे पशुओं को खाने के बाद वल्चर्स की संख्या कम हुई है। यह जो दवा है, अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है और इसलिए वल्चर्स के रिकवरी प्रोग्राम में हमें अच्छी तरह से सफलता मिल रही है। सरकार का दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है और चूँकि हर राज्य में हर स्पीशिज़ मौजूद नहीं हैं, तो जो भी स्टेट्स ऐसे एंडेन्जर्ड स्पीशिज़ के बारे में प्रस्ताव भेजते हैं, हम सकारात्मक दृष्टि से उनको देखते हैं और सबको निधि का आबंटन भी उसी तरह से होता है।

HON. SPEAKER: Second supplementary.

COL. SONARAM CHOUDHARY: Hon. Speaker, but the Minister has not answered my question. ... (*Interruptions*) Great Indian Bustard is one of the oldest species. ... (*Interruptions*) About this, he has not mentioned. ... (*Interruptions*) There is a mention of vultures. I want to mention that there is Tiger Project, Project Elephant, and Project Camel, which are on the verge of extinction. Camels are killed and their beef is being sent abroad. ... (*Interruptions*) Recently, the Government of Rajasthan has made 'Camel' as a State animal. My request is

that like Project Tiger and Project Elephant, similarly, will there be projects for Camel, which is declining in population, and Cheetah, which can be seen in the desert in Gujarat and other places? ... (*Interruptions*)

11.16 hrs.

At this stage, S/Shri Kaushalendra Kumar, Rajesh Ranjan, Dharmendra Yadav, Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष: आप उनकी वकालत करने मत आइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, जैसा कि मैंने कहा, माननीय सदस्य ने एक सवाल में कई सवाल पूछे हैं। प्रोजैक्ट टाइगर एक सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है।...(व्यवधान) 17 राज्यों में टाइगर्स हैं और टाइगर प्रोजेक्ट्स को हम सेन्ट्रल असिस्टेंस दे रहे हैं।...(व्यवधान) मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि टाइगर्स की संख्या, जो एक दफा बहुत कम हो गयी थी, केवल सैंकड़ों में थी,...(व्यवधान) आज वह 1706 टाइगर्स हैं। मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि 10-15 दिन में, जैसे नम्बर आएगा, हम आपको बताएंगे।...(व्यवधान) वही मैं बताना चाह रहा हूं कि 1706 इस समय टाइगर्स की संख्या है और यह हमारी सक्सेस है।...(व्यवधान) जहां तक बस्टर्ड के बारे में आपने पूछा है, यह सही है...(व्यवधान) Due to widespread degradation, and fragmentation of grassland, many species are on the verge of extinction. ... (Interruptions) हमने उसके लिए अब पूरा प्रोग्राम बनाया है और राजस्थान सरकार से जैसे ही रिक्वैस्ट आएगी तो पैसे दिए जाएंगे।...(व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI: Hon. Speaker, one of the bodies which is responsible for the protection of wildlife in wildlife sanctuaries is the National Board for Wildlife. As per the Wildlife Protection Act, the National Board for Wildlife should have 15 NGOs but there has been a recent notification by this Government which has reduced the number of NGOs from 15 to three. ... (*Interruptions*) Out of the three, one of them is the Gujarat Ecological Cooperation Foundation, it is a non-profit organization set up by the Gujarat Foundation. ... (*Interruptions*) The National Board for Wildlife needs to protect the wildlife but by reducing it to three NGOs, it has only become a Government's yes saying body. ... (*Interruptions*) So,

I want to know from the Minister on what basis they have diluted the National Board for Wildlife and instead of 15 NGOs, they have reduced it to three NGOs. On what criteria have they selected the Ecological Cooperation Foundation from Gujarat? ... (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: The issue is very clear. The National Board of Wildlife was constituted with due diligence. As per the Standing Committee, which met yesterday for the first time, the National Board of Wildlife is constituted and it has started its deliberations. The number of organizations was not 15; earlier, it was five. So, the National Board of Wildlife is constituted properly, as per the rules. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: It is said that wildlife is dwindling like anything. ... (Interruptions) It is because of the shrinking forest which is the concern of Assam. During the tenure of the present Government in Assam, within a span of 10 years, thousands of Rhinos and Ganders had been killed and 30 per cent forest resort have been completely wiped out. ... (Interruptions) This condition is still going on. ... (Interruptions) So, I want to ask the hon. Minister as to whether his Ministry has taken care of protecting Ganders that are killed by the Government of Assam. ... (Interruptions) Secondly, what is the thinking of the hon. Minister to stop felling of trees in forests? ... (Interruptions) There are four major forest reserves in Assam. All over the country, Rhinos are found only in these forest reserves. ... (Interruptions) They are killed and smuggled. Forest land has been occupied by the Bangladeshi nationals.

Madam, through you, I would like to request the hon. Minister to take note of it and protect the endangered species from extinction. ... (Interruptions) श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, सम्माननीय सदस्य महोदया ने जो भी पूछा है, वे तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।...(व्यवधान) हज़ारों की संख्या में सिंगल हॉर्न राइनो की हत्या हुई है और यह गंभीर मसला है।...(व्यवधान) इसलिए इस सेशन के बाद जल्दी-से-जल्दी, इस महीने में ही, मैं ख़ुद गुवाहाटी आने वाला हं।...(व्यवधान) हम काज़ीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी विज़िट करेंगे और उसके बाद वहां के जो लोक प्रतिनिधि हैं,

उनके साथ बैठकर एक मीटिंग करेंगे, जिसमें पोचिंग को रोकने की पूरी क़वायद क्या हो सकती है, इसके बार में नए सिरे से विचार करेंगे।...(व्यवधान) इस बार पोचिंग की 21 घटनाएं हुईं हैं और हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है।...(व्यवधान) मैंने पहले भी हमारे सम्माननीय सदस्य श्री गोगोई को बताया था कि इस सेशन के बाद सिंगल हॉर्न राइनो के बचाव के लिए एक मीटिंग होगी, जिसमें हम आप सब को बुलाएंगे।...(व्यवधान) इसमें इन्फिलट्रेटर्स के और बाकी लोगों के क्या रोल हैं, सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यह सब हम उस मीटिंग में तय करेंगे।...(व्यवधान)

(Q.502)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, the answer given by the hon. Minister is very exhaustive. ... (*Interruptions*) But I would only like to mention here that traveling by metro rail saves time and energy and also helps in decongesting roads and reduces pollution. ... (*Interruptions*) As many States are not in a position to have metro rail projects on their own, would the Union Government come forward to provide funds for this purpose by joining with international bodies in a tripartite agreement so that metro rail can come up in most of the State Capitals which have, at least, three million population or so. ... (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैडम स्पीकर,...(व्यवधान) आप माननीय सदस्य लोग बाकी लोगों के अधिकार क्यों छीन रहे हैं?...(व्यवधान)

मैडम, जैसा मैंने शुरू में कहा, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक़ सेन्ट्रल गवर्नमेंट मास रैपिड ट्रासंपोर्ट सिस्टम का समर्थन करती है by way of Equity participation/Grant/Subordinate Debt subject to a ceiling of 20 per cent of the total Capital cost of the project. ... (*Interruptions*) The projects are taken up for equity funding or viability gap funding depending upon the proposal received from the State Government. ... (*Interruptions*)

With regard to the suggestion given by the hon. Member, the Government of India will definitely fund the projects in different State Capitals provided they are within the criteria fixed by the Central Government and if the States come forward with any specific proposal, the Government of India will examine it. ... (*Interruptions*) As of now, these projects are confined to cities with a population of 20 lakhs. Now States are requesting to cover cities with a population of 10 lakhs which is under consideration of the Government. ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, the nature of technical problems has also been listed in the answer. ... (*Interruptions*) Technical problems are causing anxiety to commuters of metro rail. Very recently it was pointed out that there

were defects in the Delhi Airport Metro Rail and it was reported in the media. But nobody knows what action has been taken. ... (*Interruptions*) Similarly, recently in metro rail some doors remained open when the train was running. Has anyone been held responsible for this mistake because such technical snags are never mentioned in the answer? ... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I have given an exhaustive answer with regard to technical snags that are coming to our notice which cause halts and delays and I have given details of the nature of technical problems like Civil, Electrical and Mechanical, Operation, Overhead Equipment, Permanent Way, Property Development, Supervisory Control and Data Acquisition, Security, Signaling etc. ... (*Interruptions*) If the hon. Member brings to the notice of the Department with regard to specific instances, I will be able to cause an enquiry and then let the hon. Member know of it. But I can assure the hon. Member that Delhi Metro Rail Corporation holds regular review meetings from time to time and tries to address the problems that come up from time to time. ... (*Interruptions*)

I can share with the House, regarding the performance of the DMRC, the reason for these many numbers of technical snags. Internationally, they consider five minutes' delay as a technical snag. But DMRC has put a yardstick of one minute delay. That is why the number appears to be a little bit high. Even that is coming down year after year. But I can tell the hon. Member that now the DMRC is counting 59 seconds time as one reason for delays etc. That being the case, there is a lot of improvement; we will further try to improve it... (Interruptions) श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेट्रो रेलवे मास रेपिड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहां सभी बड़े शहरों में कारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज हम सब जगह जाम होते हुए देखते हैं। आज जिस शहर की पापुलेशन दस लाख है, अगले छ:-सात साल में वहां की पापुलेशन बीस लाख हो जाएगी। अभी मेट्रो रेलवे सिर्फ बड़े शहरों के लिए है। जिन शहरों की पापुलेशन अगले दस सालों में 15-20 लाख होने वाली है,...(व्यवधान) क्या उनके लिए भी सरकार के पास कुछ योजना है, इसकी जानकारी कृपया मंत्री महोदय मुझे दें?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Hon. Speaker, of course it is a fact that the population of cities and the urban population is rapidly growing up. Keeping that in mind, from time to time, we revise our formulations and standards. As I have already told the House, earlier it was 20 lakh plus cities. Now the latest proposal is to have the cities having about 10 lakh population. That is under consideration. That will take care of the concerns of the Member. ... (*Interruptions*)

श्री अनिल शिरोले : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पुणे मेट्रो रेल परियोजना को शुरू करने में देरी क्यों हो रही है और अभी तक शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं?...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, we have received proposals from the Pune city of Maharashtra. That is under examination now. Once the examination is completed, we will move forward in this regard about Pune.... (*Interruptions*) **माननीय अध्यक्ष:** माननीय मुलायम सिंह जी, एक तो आपके दल की तरफ से कोई नोटिस नहीं है और एडजर्नमेंट मोशन के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्न-काल सस्पैंड नहीं होगा। सदन में एक ही विषय पर बार-बार चर्चा नहीं होती है। कृपा कर आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam Speaker, in the answer given by the hon. Minister, the work progress of the Kochi Metro is 45 per cent. But it is reported that there is delay in the work of the Kochi Metro due to lack of materials in time. I would like to know whether it is noticed by the Minister. If so, what action the Government is going to take and what is the time-bound completion date of the Kochi Metro?... (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: रंजन जी, नारे से कुछ होने वाला नहीं है, आप कृपया थोड़ा शांत होकर बैठिए।...(व्यवधान) हम बाद में देखेंगे। यह कोई तरीका नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह जी को देख कर मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। कारण क्या है कि ये सदन के बहुत वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं। मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री रहे और केन्द्र में भी मंत्री रहे, इसिलए मेरी मुलायम सिंह जी से प्रार्थना है कि कृपया आप बैठिए और अपने दल के सदस्यों को भी वापस बुलाइए। बाद में स्पीकर से अनुमित लेकर इस पर चर्चा कर लेंगे। ...(व्यवधान) धर्मेन्द्र जी, प्लीज सीट पर

जाइए। ...(व्यवधान) यह कोई पद्धति नहीं है। ...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। ...(व्यवधान) आप जाइए, अपना स्थान ग्रहण करिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: आप अपना स्थान ग्रहण करिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका कोई नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

11.30 hrs.

At this stage, S/Shri Dharmendra Yadav, Rajesh Ranjan and some other hon.

Members went back to their seats.

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: पूरा देश इसे देख रहा है। ...(व्यवधान) जो बच्चे कार्यवाही देखने आए हैं, वे भी इसे देख रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकेय्या नायडू: मुलायम सिंह जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बैठ जाइए। क्वैश्चन ऑवर के बाद हम इस पर बात करेंगे। ...(व्यवधान) पप्पू जी, प्लीज, आप भी बैठिए। ...(व्यवधान) पूरा देश हमारी ओर देख रहा है। इस सदन में गंभीर समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए कृपया सब लोग इसमें साथ देंगे तो वह अच्छा रहेगा। ...(व्यवधान) मुलायम सिंह जी ने हमारी बात सुनी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Not a single word is allowed from either side.

(Interruptions) ...*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान) आप बैठिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिए, वह ऐसे ही बोलते रहेंगे।

...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

श्री एम. वैंकैया नायडू: यह कोई तरीका नहीं है। ...(व्यवधान) आपको यह शोभा नहीं देता है। ...(व्यवधान) As far as Kochi Metro Rail Project is concerned, 45 per cent of the foundation work has been completed. The factors that are leading to delay will be analyzed and immediate action will be taken. If the hon. Member has got any specific suggestion with regard to this project, he can pass on this information to me. I will definitely act upon that.

श्री हुकुम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री हुकुम सिंह: महोदया, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है और इसके नगरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा ध्यान दे। यह मेरा अनुरोध है और इसी अनुरोध के साथ मेरा आग्रह है कि केवल एक प्रोजैक्ट आपका लखनऊ में है, जो प्रदेश की राजधानी है। बाकी जो प्रोजैक्ट्स हैं, वे सारे के सारे दिल्ली से सम्बन्धित हैं। कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और मेरठ आदि ऐसे नगर हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप खुद समझते हैं कि आज निर्भर करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल मेट्रो रह गयी है। अगर मेट्रो को हम चलायेंगे तो उससे प्रदूषण भी खत्म होगा, जाम भी खत्म होगा और पब्लिक को सुविधा भी मिलेगी। जिन नगरों का मैंने नाम लिया है, क्या माननीय मंत्री जी उनका सर्वे कराकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, what the hon. Member has said with regard to Uttar Pradesh is correct. Uttar Pradesh is one of the major States of the country. It has got a maximum number of cities which are crossing the population of more than 10 lakh and 20 lakh. He has mentioned all the cities.

As far as Lucknow is concerned, it is under active consideration of the Government of India. Once the DPR is completed and the proposals are finalized, we will take up Lucknow on priority. That has already been announced.

As far as Kanpur, Varanasi, Gorakhpur and other major cities of Uttar Pradesh are concerned, once the proposal comes from the State Government within the parameters of the scheme, definitely the Government of India will examine that also. I know that Metro Train is becoming popular day-by-day across the country. You cannot take all the cities at a time as the question of fund

constraint is there. Some fund has to be borne by the Centre and some fund has to be borne by the States. We have also to get some fund from foreign countries. So far Japan has been adding some of our projects. We will explore all these possibilities in this way.

As far as extension of Delhi Metro to NCR through Noida to Ghaziabad and also from Kalindi Kunj to Botanical Garden is concerned, these projects are estimated and under active consideration of the Government of India.

With regard to the Greater Noida Metro Project, Uttar Pradesh, the Government of Uttar Pradesh has proposed a metro rail project between Noida and Greater Noida. It has also forwarded a copy of DPR of the proposed project and requested for approval of the Government of India for the implementation of the project through 50:50 joint ownership SPV between the Government of India and the Government of Uttar Pradesh. These proposals have been sent back with some queries and revised proposals have been asked. Once the revised DPRs are also received, further action will be taken.

PROF. K.V. THOMAS: Madam, Kochi metro is one of the joint ventures of DMRC – Kochi Metro Ltd., Government of India and Kerala Government. It is a Rs.5,000 crore project, which is going on in a time bound manner. One of the problems that we are facing now is this. It has been proposed in the year 2014-15, a sum Rs. 879.22 crore would be provided from the Central budget. But, unfortunately, only half has been provided. The hon. Chief Minister of Kerala and myself have met the Finance Minister as well as the Urban Development Minister, and the Government of India has to take urgent measures. Otherwise, this Kochi metro which is going on in a time bound manner will not be able to complete in time. It is under the leadership of Shri Sreedharan, who has been well-known metro-man in the country. This is one of the prestigious projects, which both the Government of India and the Kerala Government have been doing together.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Kochi is one of the beautiful cities of the country, and it definitely requires a metro. That is why, it has been prioritized, and I am

happy. As has been said by Prof. Thomas, practically the father of the Indian metro, Shri Sreedharan himself is supervising about it. The Government of India approved this project in 2012. Then, the total cost of the project is Rs. 5,187.79 crore. The share of the Government of India is Rs. 1,002.23 crore and the share of the Government of Kerala is Rs. 1,772.23 crore. The external debt is Rs.2, 170 crore. The State access including expiration is to be borne by the Government of Kerala. That was the understanding. The Government of India has paid up Euro 180 million loan assistance from Agence Française de Développement (AFD). All major civil tenders are awarded, and physical progress is there. But as the hon. Member, Prof. Thomas ji has suggested, once I get additional allocation, then definitely we will be able to take up further work in Kochi metro on a priority.

(Q. 503)

SHRI PREM DAS RAI: Madam Speaker, I would like to thank you for this opportunity.

I must say, through you, Madam, to the hon. Minister that I have received a 15-page reply, which is very detailed, and I congratulate the Minister. There are several reasons which have been given for delay in many of the projects, and these include shortcomings in Detailed Project Reports; delay in Techno Economic Clearance by the Central Public Sector Undertakings; non-submission of timely documents; delay in tendering process; inadequate budgetary allocation for ongoing projects. These are some of the reasons for delay.

Now, to my mind, this is on account of managerial project management issues. I would like to know, through you, Madam, from the hon. Minister as to what are the comprehensive steps that the Department is going to take in order to complete these projects and also see that these kinds of deficits do not occur in future.

GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH: Madam Speaker, the hon. Member has raised a very pertinent question. I would like to assure him, through you, Madam that we are carrying out a thorough review of the entire procedure by which various projects are submitted to us. We have found that the delay takes place because the DPRs come much later than what is expected. They have certain problems. We are liaising with line Ministries which execute these projects so that we can ensure that these are expedited in an earlier timeframe. We are ensuring that each project which has been delayed is scrutinized in detail so that we can find out where are the bottlenecks and these are removed at the earliest.

SHRI PREM DAS RAI: My second Supplementary relates to the Pakyong Greenfield Airport in Sikkim. The Civil Aviation Ministry this year, has allocated only Rs. 22 crore for the Pakyong Airport; and as per the reply given, this project, which should have been completed in 2012, is now going to be

completed only in December, 2016. There is going to be almost a four year slippage in terms of time.

May I know from the hon. Minister, what steps will he be taking and give assurance that this particular project would be expedited and completed at the earliest. This is the first airport at Sikkim.

GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH: Hon. Madam, the Pakyong Airport which provides connectivity to Sikkim got bogged down because of various issues concerned with the environment as well as the land availability by the State Government. Certain issues have been sorted out. There are a few remaining issues where the land is concerned. We are trying to ensure that these are sorted out at the earliest. We would like this airport to be functional at an earlier timeframe. We have given a PDC of 2016. If the land issues are sorted out, we will ensure that it is done at an earlier timeframe.

KUMARI SUSHMITA DEV: NEC is a very important agency for infrastructure development in the North-Eastern States. I would like to know from the hon. Minister whether there is a comprehensive study that the donor Ministry has done to identify the infrastructure deficit State-wise? Or, are we simply dependent on the State Governments to identify the projects?

GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH: Hon Madam, so far, we were depending on the State Governments. After this Government has come into being, we have launched a comprehensive holistic appraisal of the entire developmental plan for the North-East Region. Our aim is that the development must be spread throughout the entire region rather than being dependent only on the States.

I would like to assure the hon. Member that this study is being done.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: As all of you know, Tripura is the southern point of the North-East. So, I have some questions to our hon. Minister.

Would the hon. Minister tell whether the National Highway No. 44, which is the only link road to the mainland and which is the only road to connect Tripura to mainland, be a 4-laning road within this scheme?

GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH: Madam, the plans have been made for upgradation of all the national highways. We are working with the Ministry of Road Transport and Highways on this project; and whatever additional details are required by the hon. Member, I would be able to give later.

श्री निर्नोग इरिंग : अध्यक्ष महोदया, में आपके माध्यम से उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे, सड़क परिवहन राजमार्ग, विद्युत सभी के बारे में जितने विस्तार से बताया, उसके बाद पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ दिन पहले आपने हम सबको कहा कि हम इनमें हरेक स्टेट में चार विशेष योजनाएं लेंगे। मेरा आपसे यहीं कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में देश का नेशनल एवरेज 75 से 100 किलोमीटर है। लेकिन हमारे वहां खासकर अरुणाचल प्रदेश में यह प्रतिशत केवल 21 किलोमीटर है, इसलिए हमारे वहां एक जगह दामबुक है, जहां अभी भी लोग हाथी पर बैठकर रास्ता पार करते हैं। अगर आप सिक्युरिटी की दृष्टि से सोचें, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, औरतों और बच्चों को हाथी में बिठाकर कैसे रास्ता पार करेंगे। यह भी नसीब की बात है। हम खुद बदनसीब हैं और यह देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। जैसे बोगीबिल, धौलावाला रोड, फिशरी ब्रिजेस हैं, इनमें एनवायरमैंट क्लीयरेंस के लिए रैड टेपिज्म के कारण सब काम रुके हुए हैं। आप इसे किस प्रकार कराएंगे? हम जानते हैं कि आपने बहुत विस्तार से रिप्लाई दिया है। अन्य जवाब डज़ नॉट एराइज़, डज़ नॉट एराइज़ इस तरह दिए जाते हैं। आपने इस बार कोई स्टीरियोटाइप रिप्लाई न देकर बहुत अच्छा जवाब दिया। इससे हमें लगता है कि शायद पूर्वोत्तर के लोगों को भी अच्छे दिन नसीब होंगे।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आपको बहुत अच्छा कम्प्लीमैंट मिला है।

...(व्यवधान)

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह: आदरणीय महोदया, मैं माननीय सदस्य की आकांक्षाओं का सम्मान करता हूं। मैं भी हाथी, नाव और उसके बाद गाड़ी, इन सबसे उस इलाके में गया हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम इस योजना के लिए जो समीक्षा कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उसे जल्दी क्रियान्वित कराया जा सके। अरूणाचल प्रदेश में रोड बनाने में समस्या आती है, क्योंकि वहां का पहाड़ कच्चा है और वहां पर उस तरीके की प्रोग्रैस नहीं हो सकती, जितनी बाकी स्थानों पर होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में टेक्नोलॉजी पर विस्तार से समीक्षा की जाये कि कैसे उसे जल्दी कराया जा सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि अरूणाचल प्रदेश में भी उसी प्रकार से डैवलपमैंट हो।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं कर रहे हैं।

(Q.504)

DR. SHASHI THAROOR: Madam Speaker, the statement by the Minister is very helpful. It mentions 66,580 research papers in 2013. But what he omits there is that unfortunately that is only 3.5 per cent of the world's output. So India's share, is only 3.5 per cent global research publications. We have 17 per cent of the world's brain in our population but our share is only 3.5 per cent of global research, and the reason for this is that the number of researchers per one million people in India is as low as 164.

Now to give you a comparison, China has 863; Russia has 3,117 per million; and Singapore has 6,000 per million. So, clearly there is a challenge ahead for the Government here. I do want to stress that the particular concern is of women. Women constitute only 14.27 per cent of the total scientific research population in India. The workforce is just 27,000 science researchers who are women in our country.

So, my question to the hon. Minister is this. Can the Government propose schemes to promote researchers and research publications, using international collaboration, where necessary, in the field of science and technology and, particularly for women researchers and scientists who are an untapped resource in our country?

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, I am extremely grateful to hon. Member Dr. Shashi Tharoor Ji for having asked this question because that has provided me with the opportunity to share with this august House some of the accomplishments and achievements of this Department in the recent times. His figures are not to be disputed. But what I would like to bring to your kind notice is that in the number of research publications going out from this country, India today stands at number seven whereas till recently it was at number 13 and very soon we hope to become number six displacing France from number six. So, we are, in fact, progressing in that direction.

I am glad and I also have the pride to share with the House that in the last 7-8 weeks we have taken certain major initiatives. One of the most important initiatives of them, soon after I took over this assignment, was that we took the decision that hereafter—and I think the hon. Member will appreciate this—that no foreign delegation for the scientific Conferences will be headed by the Minister or by me unless and until there is some absolute necessity to engage in some policy discussion. Thereafter, in the last eight or nine weeks, all the major Conferences abroad have been led by eminent scientists who had something original to present.

Having said that, I am sure the hon. Member will also be satisfied to know that after having taken over, another major decision that the Department took was—and since he has an international exposing, he would be able to appreciate this better—the prestigious Carnegie Conference, which is one of the most prestigious Conferences in the field of science and has never been held in India so far in the last 66 years of Independence, is being hosted by us next year. We have already proposed and the proposal has been accepted.

Also, may I point out, through you Madam Chair, to this House that the first ever Commonwealth Conference in the field of science is going to be hosted by India? We have already proposed to host it in the month of November, 2014.

In addition, on the 4th of this month, the Japanese Minister of Science and Technology was here. We proposed to him and he has accepted that very soon we will set up a Biotech and Life Sciences Centre in India with Japanese collaboration.

Another new initiative just taken in the last two months as far as the foreign collaboration is concerned, which was part of the hon. Member's question, is that just as we have European Economic Union, we would float an Indo-French Scientific Union. I have spoken to the French High Commissioner. He has given an encouraging response.

With U.K. we have a programme – the hon. Member with this kind of exposure would well know – which is called Newton Programme. We gave a

suggestion in this regard. I said that we could have collaboration but with one precondition and I am sure it would be allowed by the hon. Members. I asked that this
Newton name may not go very well with all the sections of opinion in India, so
could we add Newton-Bhabha. I am glad to share with the Members that now this
will be known as Newton-Bhabha Programme, considering the Indian scientific
connection as well. Therefore, I would like to share with this House that we are
certainly progressing. We have separate programmes for women scientists and
more so for the young scientists. In the last month itself we had an exchange
programme for young scientists.... (Interruptions)

You have not understood the question and that is why you are saying that it is not a reply. But, the hon. Member is satisfied. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please address the Chair.

... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: So, we had an exchange programme – I would like to share it with the hon. Member, Dr. Shashi Tharoor and I am sure he would appreciate it – wherein we selected 18 school boys and girls from across the country, who had done some regional research and we sent them abroad for a few weeks to share their experience with the eminent scientists. So, we are already in that direction. The suggestions in this regard are welcome.

DR. SHASHI THAROOR: Thank you, Madam Speaker, I am still awaiting the response of the Minister with more details on what the Government proposes to do to increase women researchers, but let me come to my second question.

The fact is that we are only spending 0.8 per cent of our GDP on scientific research and as you know in many developed countries it is 2% per cent. We have tried in the UPA Government. It has been difficult. We appreciate the challenge but one of the important aspects is that – before the Minister answers, the Government does not have enough money to go beyond 0.88 per cent – when I look to the OECD countries, Madam Speaker, the Government spends only 15 per cent of scientific research budget on R&D in that country whereas private sector

spends 75 per cent. In India, the Government spends 80 per cent and private sector spends only 12 per cent. What can the Government do to encourage private sector to spend more money on scientific research and development so that their resources can also contribute towards increasing the scientific output of this country?

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the hon. Member's suggestion is well taken. I think this is a matter of fact and statement based on figures and is hardly to dispute it. Somehow, incidentally, fortunately or unfortunately, the share of GDP allotted to this area is relatively lesser compared to the share provided to other areas and also vis-à-vis other countries. There is a need to increase this. We have also projected it. I am sure in the years to come this would happen.

As far as the private participation is concerned, certainly this is a very progressive suggestion. We are already working on it. In fact, I would also like to add, since the issue has come up, that we recently launched the first-ever indigenously built research vessel from Goa, which is called Sindhu Sadhna. This research vessel is already receiving private offers for utility. So, that is one way of engaging ourselves. We have already received a proposal from a private house for its utility for their research inputs and R&D outputs. We are already heading towards that direction and in the months to come, I am sure, the hon. Member would see that we are working in the direction that he desires us to.

PROF. SUGATA BOSE: Thank you, Madam Speaker. The hon. Minister, in his written reply, has said that under the Look East Policy of the Government of India, science and technology collaboration has been augmented with far East countries. The only country that was specifically mentioned in the written reply was South Korea. But, I am very glad to know from the answer to the supplementary provided by the hon. Minister that he has met with Japan's Minister of Education and Science & Technology and that there is going to be collaboration in the field of bio-technology and life sciences.

I would like to ask the hon. Minister whether scientific research collaboration has been augmented with China since there is a scope for joint research, particularly in the field of renewable energy and climate change. As part of the Look East Policy, are we proposing to further enhance cooperation with the two major countries of East Asia, Japan and China?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Member suggested about looking East. We are trying to look as far East as possible, certainly so. China is ahead of us in terms of number of publications and number of research. As I said, it is one of the six countries which are above us. We would like to engage with them provided it suits them also. I am sure that in the times to come, it will happen. The first joint meeting with China was held very recently.

If the answer has not mentioned all the countries, it is just for the brevity of space, but certainly we are also looking at the SAARC countries. The research vessel about which I mentioned in reply to the earlier question would also be catering to the needs of the neighbouring countries, particularly those in the oceanic zone of the Arabian Sea and the Indian Ocean. So, the R&D inputs which are being used by India would soon be taken up by the countries in the oceanic neighbourhood including Sri Lanka etc.

Since I am also dealing with Space Department, I would submit that at Sriharikota, the hon. Prime Minister made an announcement of having a SAARC satellite possibility. Certainly, with the direction in which science and technology is moving, we are certainly trying to look at East, look at our neighbours, look at SAARC. If not big brother, at least some leadership role we are trying to look at in the field of science and technology.

(Q.505)

SHRI M.I. SHANAVAS: Madam, the Indian higher education currently is the third largest in the world and is likely to surpass the United States and China within next 15 years. By 2030 India will be one of the youngest nations in the world with the higher education group coming in the first place among all the other nations of the world.

Even though India has attained the economic growth of over 8.5 per cent in terms of GDP in 2009 in spite of the present low GER, to sustain such a rate of economic growth and to remain competitive in the globalised economy, the country has to have GER of at least 25 per cent.

My humble question to the Government is whether any model college has been set up till date and whether that college has been able to address the issue of gross enrolment ratio.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, through you, I would like to appreciate the concern which has been highlighted and articulated by the hon. Member in this House with regard to the need to increase enrolment in higher education. The hon. Member has made a pertinent observation with regard to model colleges. I would like to tell him that under RUSA, we are ensuring that we provide for grants with regard to establishment of model degree colleges and establishment of model degree colleges especially in educationally backward districts.

I would like to tell the hon. Member that in collaboration with States, we are trying to ensure that GER is picked up and the ambition that the hon. Member enunciates here in the House is an ambition and a parameter that even we seek to, aspire to.

SHRI M.I. SHANAVAS: I thank the hon. Minister for an articulate answer.

A National Monitoring Committee for Minorities was constituted in 2011. Did the Committee make any recommendation for improving the educational facilities in the districts with large minority concentration where GER of

minorities was found to be less? The GER of minorities was found less in many areas. I would like to know whether any step has been taken to discard these inefficiencies.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, through you, I would like to tell the hon. Member that while we are collaborating with States through the RUSA plan to ensure that specifically for the minority population, more and more institutions and facilities are provided, I would like to here particularly highlight that under the UGC Scheme for Promotion of Education of SC/ST/OBC girls and also minorities in higher educational and technical institutions, we have a scheme to establish Equal Opportunity Cells in our universities.

12.00 hrs.

The Cell takes up programmes to sensitize universities and colleges on problems faced by SC, ST and minorities in higher education. Grant is given for establishment of Equal Opportunities Cell. Through the UGC, we also help in establishment of residential coaching academy for minorities wherein initiatives through schemes like coaching for students at UG and PG levels, coaching for students to prepare for the NET exam, coaching for students for entry into services covered under and Central and State Governments have been undertaken. Also, remedial coaching schemes have been provided for minorities as well.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam Speaker, self-financing colleges, autonomous colleges and deemed universities, etc., ignore admission of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students. These institutions are asking for capitation fee also. The SC and ST students are not able to pay the capitation fee. May I know from the Minister whether the Government has taken urgent steps to ensure the admission of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students in these institutions?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, I would like to highlight to the hon. Member that the Government of India, particularly the UGC, has issued guidelines to universities and colleges for implementation of reservation policy of

the Government of India wherein 15 per cent of seats in such institutions are reserved for students belonging to the Scheduled Castes, 7.5 per cent of seats are reserved for the Scheduled Tribes, and 27 per cent of seats are reserved for OBCs.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON SPEAKER: Now Papers to be laid.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Urban Development for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 725/16/14)

(ii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 726/16/14)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव तथा दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव तथा दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 727/16/14)

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Human Resource Development for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 728/16/14)

(ii) Outcome Budget of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 729/16/14)

(iii) Outcome Budget of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 730/16/14)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Chhattisgarh- State Project Office (Rajya Madhyamik Shiksha Mission), Raipur, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Chhattisgarh- State Project Office (Rajya Madhyamik Shiksha Mission), Raipur, for the year 2012-2013.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 731/16/14)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Tripura Rajya Mission), Agartala, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Tripura Rajya Mission), Agartala, for the year 2012-2013.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 732/16/14)

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Mission-UT Administration of Daman & Diu, Moti Daman, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Mission-UT Administration of Daman & Diu, Moti Daman, for the year 2012-2013.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 733/16/14)

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan-UT Mission Authority Andaman & Nicobar Islands, Port Blair, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan-UT Mission Authority Andaman & Nicobar Islands, Port Blair, for the year 2012-2013.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(Placed in Library, See No. LT 734/16/14)

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Atal Bihari Vajpayee-Indian Institute of Information Technology Management, Gwalior, for the year 2012-2013.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Atal Bihari Vajpayee-Indian Institute of Information Technology Management, Gwalior for the year 2012-2013.
- (11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(Placed in Library, See No. LT 735/16/14)

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Odisha Primary Education Programme Authority, Bhubaneswar, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Odisha Primary Education Programme Authority, Bhubaneswar, for the year 2012-2013.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

(Placed in Library, See No. LT 736/16/14)

- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Agartala, Agartala, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Agartala, Agartala, for the year 2012-2013.
- (15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

(Placed in Library, See No. LT 737/16/14)

- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2010-2011.
- (17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

(Placed in Library, See No. LT 738/16/14)

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2011-2012.

(19) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (18) above.

(Placed in Library, See No. LT 739/16/14)

- (20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2012-2013.
- (21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

(Placed in Library, See No. LT 740/16/14)

- (22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, for the year 2012-2013.
- (23) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (22) above.

(Placed in Library, See No. LT 741/16/14)

(24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr.
 B. R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar, for the year 2012-2013.
- (25) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (24) above.

(Placed in Library, See No. LT 742/16/14)

- (26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Calicut, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Calicut, for the year 2012-2013.
- (27) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

(Placed in Library, See No. LT 743/16/14)

- (28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Bal Bhavan, New Delhi, for the year 2012-2013.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Bal Bhavan, New Delhi, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(29) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (28) above.

(Placed in Library, See No. LT 744/16/14)

(30) A copy of the Copyright Board Salaries and Allowances and the other terms and conditions of service of the Chairman and other Members Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 212(E) in Gazette of India dated 27th March, 2014 under sub-section (3) of Section 78 of the Copyright Act, 1957.

(Placed in Library, See No. LT 745/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Limited and the Ministry of Development of North Eastern Region for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 746/16/14)

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Development of North Eastern Region for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 747/16/14)

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Development of North Eastern Region for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 748/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH): Madam, on behalf of my colleague, Shri Inderjit Singh Rao, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Planning Commission for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 749/16/14)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) पांचवा संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 511 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 512 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 515 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 516 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (सात) अखिल भारतीय सेवा (आचार) संशोधन विनियम, 2014, जो 8 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT 750/16/14)

(2) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014, जो 14 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 751/16/14)

- (3) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)--
 - (एक) लोकपाल और लोकायुकत (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014, जो 15 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 409 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) का.आ. 1840(अ) जो 15 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लोकपाल और लोकायुकत (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014 में संशोधन अधिसूचित किए गए हैं।

(Placed in Library, See No. LT 752/16/14)

(4) वर्ष 2014-15 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 753/16/14)

12.02 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 12th August, 2014 agreed without any amendment to the Securities Laws (Amendment) Bill, 2014 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th August, 2014."

12.02 ½ hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 251st Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Scientific Industrial Research, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam, I am laying this statement in pursuance of Direction No. 73A of the hon. Speaker, Lok Sabha issued vide Lok Sabha Bulletin, Part II, dated 1st September, 2004 to inform the esteemed House about the status of implementation of recommendations contained in Two Hundred Fifty First Report on the recommendations made by the Departmentally-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action Taken by the Department on the recommendations contained in 244th Report of the Committee on Demands for Grants (2013-14) of the Department of Scientific and Industrial Research.

माननीय अध्यक्ष: श्री किरीट सोमैया जी, आपका ध्यानाकर्षण बाद में लिया जाएगा।

... (*Interruptions*)

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Madam, I have given a notice under Rule 13(a).

HON. SPEAKER: Your notice is with me; I will look into it.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 754/16/14.

12.04 hrs

ELECTION OF DEPUTY-SPEAKER

HON. SPEAKER: Now, we will take up the motions for the election of Deputy-Speaker of the Lok Sabha. I call upon Shri Rajnath Singh to move the motion standing in his name.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Madam, I beg to move the following:-

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

HON. SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay:

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I beg to move the following:-

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee – Not Present.

SHRI SULTAN AHMED (ULUBERIA): Madam, on behalf of Shri Kalyan Banerjee and on behalf of our Party ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are not permitted to second the motion on behalf of Shri Kalyan Banerjee.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I beg to move:

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, I second the motion.

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (यवतमाल-वाशिम) : महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Madam, I beg to move:

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

SHRI M. VENKATESWARA RAO (ELURU): Madam, I second the motion.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, I beg to move:

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Madam, I second the motion.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Madam, I beg to move:

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Madam, I second the motion.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री **मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) :** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद): महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I beg to move:

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

HON. SPEAKER: Shri Jyotiraditya M. Scindia – not present.

श्री तारिक अनवर (कटिहार): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I second the motion.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam, I beg to move:

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Madam, I second the motion.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री एल.के.आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

HON. SPEAKER: Now, I will put the motion moved by Shri Rajnath Singh Ji and seconded by Smt. Sushma Swaraj ji to vote of the House.

The question is:

"That Dr. M. Thambidurai, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The motion is carried and Dr. M. Thambidurai is declared elected as the Deputy Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Rajnath Singh has been adopted, the motions moved thereafter, have become infructuous. I have great pleasure in inviting him to occupy his seat.

Dr. M. Thambidurai was conducted to his seat by the Leader of the House, Shri Narendra Modi; Leader of the Congress Party, Shri Mallikarjun Kharge; and Leaders of some other Parties and Groups.

12.10 hrs.

FELICITATIONS TO THE DEPUTY SPEAKER

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की उच्च परम्पराओं के अनुसार फिर एक बार सदन के सभी दलों ने, सभी सदस्यों ने श्रीमान तम्बिदुरई जी को सर्वसम्मित से उपाध्यक्ष के लिए पसंद किया है। मैं सबसे पहले सदन का, विशेष रूप से प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान तम्बिदुरई जी पहले भी उपाध्यक्ष के रूप में इस सदन का मार्गदर्शन करते रहे हैं, संचालन करते रहे हैं। वे सदस्य के रूप में भी बहुत ही सिक्रिय रहे हैं। हर विषय पर उनके ज्ञान का लाभ सदन और राष्ट्र को मिला है। कुछ समय के लिए मंत्रिपरिषद् में रहने के कारण ट्रेज़री बेंच के कामकाज के भी अनुभवी हैं। उनकी और भी एक विशेषता रही है कि वे एकेडेमिशियन भी हैं। उनकी पढ़ाई वगैरह, विविधता भरे विषयों से उन्होंने अध्ययन किया है। वे एकेडेमिशियन भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे बड़ी बात कि वे एग्रीकल्चिरस्ट भी हैं। ऐसी विविधताओं से भरा उनका जीवन है। मुझे विश्वास है कि उपाध्यक्ष के रूप में इस सदन को भलीभांति चलाने में उनका मार्गदर्शन काम आएगा। मैं उपाध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके पास जो जिम्मेदारी है, उसे निभाने में शासक पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा। मुझे विश्वास है कि संवाद के माहौल का पूरे सत्र में जो अनुभव आया है, उसे बल देने में आपकी भूमिका भी काम करेगी।

मेरी तरफ से और सदन की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई।
श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अध्यक्ष जी, तिम्बिदुर्र्ड जी एक बहुत बड़े नेता हैं, जो एआईएडीएमके पार्टी से चुनकर आए हैं। वे सतत् छह-सात बार संसद में चुनकर आए हैं और अपने व्यक्तित्व को दिखाया है। तिम्बिदुर्र्ड जी लॉ मिनिस्टर, कम्पनी अफेयर्स मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। उपाध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने काम किया है और इस सदन को बहुत नजदीक से उन्होंने देखा है। वे सदन के काम काज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वह एक बहुत बड़े विद्वान भी हैं। एम.ए., एम.फिल. और डी.लिट जैसी डिग्नियां भी उन्होंने हासिल की हैं। शिक्षण में भी वह बहुत आस्था रखते हैं। वह बहुत से एनजीओज भी चलाते हैं और एजुकेशन सोसायटीज भी चलाते हैं, मुझे मालूम है। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे यहां पर आज अपोजीशन के लिए डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे इतना ही कहना है कि वह सभी को देखेंगे।...(व्यवधान) सभी के साथ एक सुलुक करेंगे।...(व्यवधान)

डैमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारा जो भी कर्तव्य है, दायित्व है, उसको निभाने का यही एक स्थल होता है। इस स्थल पर हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं या कोई प्रस्ताव

इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, तो वह उसको बड़े लार्ज-हार्टेडली स्वीकार करेंगे, हमारी मदद करेंगे। सरकार के पास अपने विचार रखने के लिए नैचुरली बहुत से मौके हैं। मैडम, आप भी उनको ज्यादा मौके देती हैं। मैं पार्शयल्टी का इल्जाम नहीं लगा रहा हूं लेकिन उनकी मेजोरिटी के हिसाब से आप उनको मौके देती हैं। तम्बिदुरै जी भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनको इस सदन ने डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुना है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।

अंत में, मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस सदन में हमें पांच साल चलना है। मंजिल बहुत दूर है। रास्ता बड़ा कठिन है। फिर भी हमें चलना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिलाकर चलना है।...(व्यवधान)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Speaker, Madam, on behalf of my party General Secretary and the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, and on my own behalf I would like to convey heartiest congratulations to Dr. Thambidurai on his unanimous election to the office of the Deputy-Speaker of this House. I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Prime Minister and Shri Mallikarjun Kharge.

It is a matter of great happiness that our leader of AIADMK Parliamentary Party has been elected as Deputy-Speaker of this 16th Lok Sabha. He is an economist and an educationist. He has been an elected Member of this House for the fifth time now. He served as Deputy-Speaker between 1985 and 1989 in the Eighth Lok Sabha. Later, he was also a Minister in the Union Cabinet in the previous NDA Government, and also served on many Parliamentary Committees.

His impartiality in conducting the business of the House is known to all the hon. Members who were the Members of the last Lok Sabha when he was also a Member of the Panel of Chairmen and used to conduct the proceedings of the House.

Madam Speaker, his elevation to this high office will surely lighten your burden to a great extent. I assure him of our wholehearted cooperation in running the affairs of this House. I wish him success in his new assignment.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, it is a good precedent that we elected you unanimously as the hon. Speaker. Now it has been followed by the election of Dr. Thambidurai as the Deputy Speaker. I will miss him most. Since last one month, he was sitting beside me. I was asked by a few journalist friends in the media why my party has not asked for the post of Deputy Speaker. I told them, 'My leader Mamata Banerjee has said that when the name of Dr. Thambidurai is there, there is no question of any other name.' We have worked together since last many years in this House. We believe Dr. Thambidurai is very sensible.

After five o'clock, when no other Chairperson is available to run the House, Dr. Thambidurai is available to run the House up to 8 p.m. You can be very certain that at least one person is there. When you are busy with your scheduled activities, at least he will conduct the House very smoothly.

I repeat Shri Kharge's hope that objective and independent decisions will be taken by Dr. Thambidurai as you normally take.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, it is often said that things change and humankind is also aware that things do change yet they do not change.

It was in the Eighth Lok Sabha when the Treasury Benches had a very robust majority of more than 400 Members and the largest Opposition party was not given the Deputy Speaker's post. It went to Anna DMK which was the second largest and Dr. Thambidurai was elected as the Deputy Speaker. In the 16th Lok Sabha again, the same thing is being repeated. Things have changed no doubt but change has not taken place. In the 16th Lok Sabha, we have the National Democratic Alliance which has more than 336 Members sitting in the Treasury Benches. We also have the largest Opposition party, which is not claiming the post of Deputy Speaker and the Deputy Speaker's post has unanimously come to our friend Dr. Munisamy Thambidurai.

Very few people have tried to find out what 'M' stands for in his name M. Thambidurai. Today morning I tried to understand this from my friend, Dr. Thambidurai with whom I have worked together along with Shri Sudip Bandyopadhyay. We have worked togethere in various Committees. We have seen how very articulately he has been putting forth specific points of view and how he has also been able to work with others.

I hope, in the future, as Deputy Speaker of this House he will guide us. Dr. Thambidurai became Deputy Speaker for the first time in 1985. At a very young age, he was elected first to the Lok Sabha and was elevated to that post as Deputy Speaker. Now he has become seasoned though his hair has not greyed but I think life begins at 60 as it is often said in Tamil Nadu. I hope that he will guide us and guide this House for better results.

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): माननीय अध्यक्ष जी, श्री एम.तम्बिदुरई जी को इस सदन के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है, मैं अपनी और अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। तम्बिदुरई जी ने इससे पूर्व सफलतापूर्वक उपाध्यक्ष पद को निभाया है, उनके पास काफी लंबा अनुभव है। कई वर्षों से तम्बिदुरई जी अपने राज्य तमिलनाडु और तमिलनाडु की समस्याओं के लिए इस सदन में अक्सर लड़ते रहे हैं, नेतृत्व करते रहे हैं। उनको शुभकामना देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से सदन को मिलेगा। मैं सरकार में हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सदन में मैं उन्हें इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे यहां महताब जी ने एक उदाहरण दिया है, वैसे भारी बहुमत मिलने के बाद जो विपक्ष में चुने गये सदस्य हैं, विपक्ष के सदस्यों को यह अवसर मिलता है, जो सदन की परम्परा रही है, उस परम्परा के तहत हमेशा विपक्ष को ही उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होने का अवसर दिया गया है, उस परम्परा को आज भी कायम रखा है और इसलिए मैं प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि उपाध्यक्ष, डॉ.एम. तंबिदुरै जी अब तक ए.आई.डी.एम.के. का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब तक मैंने इसलिए कहा, क्योंकि अब वह निष्पक्ष हो गये हैं। जब वह उपाध्यक्ष चुने गये हैं तो अब वह निष्पक्ष हो गये हैं। अब तक उपादीनिधित्व करने वाली जो पार्टियां हैं, उन राज्यों की पार्टियां की स्थिति और उनकी समस्याओं से वह अवगत हैं और इसीलिए इस

सदन के अंदर जो अनेक स्टेट लैवल पार्टीज हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी को निभा रही हैं, उन सारी स्टेट लैवल पार्टियों को इस सदन में सही सम्मान मिलेगा, यह अपेक्षा करता हूं।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam Speaker, on my own behalf and on behalf of the leader of my Party, Shri K. Chandrasekhar Rao, I congratulate our colleague Dr. Thambidurai for becoming the Deputy-Speaker of this House unanimously. I, as was said by Shri Sudip Bhandyopadhyay, was sitting next to him in the front row. He was advising me then. But now he has gone too far! But still he will definitely be giving us good advice. He has always been supporting my leader in achieving Telangana all these years. We hope that in future also he will give us more chance to speak, when you are not occupying the Chair, for our Members from the newly-formed State of Telangana.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, all of us are happy that Dr. Thambidurai has been unanimously elected as the Deputy-Speaker of the 16th Lok Sabha. I am sure that he will be able to perform in that post because he has a long service as the Deputy-Speaker, as a member of the Panel of Chairmen, and a Minister holding various portfolios in Tamil Nadu also.

When I congratulate him on his elevation to that post – of course, it is good – but at the same time, there is going to be something missing with regard to debates in Parliament because during the period of 15th and 16th Lok Sabha, we have been watching him as an eloquent and efficient Parliamentarian. He has been intervening in almost all the issues. It is true that he has been raising issues concerning Tamil Nadu, and more especially the fishermen issue of Tamil Nadu. He would have raised that issue at least 100 times in this House. So, we have been seeing that. He was not only raising the issues concerning Tamil Nadu, but also national issues and other issues too.

Of course, it will enrich the Parliamentary procedure in India. As stated by other Members, as far as the number in the Opposition is concerned, it may be

less. But as a Member raising many of the issues, he would feel that sufficient time and justice need to be given to the Opposition.

I, on behalf of the CPI (M), congratulate him for being elected unanimously as the Deputy-Speaker of this House.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): अध्यक्ष महोदया, डॉ.एम.तंबिदुरै उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गये हैं, इसके लिए मैं उन्हें अपने दल की तरफ से बधाई देता हूं। सभी जानते हैं कि वह बहुत ही विद्वान और अनुभवी हैं, सदन चलाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वे अनुभवी हैं। सदस्यों की भावनाएं और समस्याएं कैसे रखी जाती हैं और कैसे सुना जाता है, वह सब जानकारी उनको है। उनके चुने जाने पर हमें खुशी बहुत है, लेकिन एक अफसोस है कि वे मेरे बगल में बैठते थे और उनसे रोज़ाना बातचीत होती थी। अब वे काफी दूर हो गए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे दिल से दूर नहीं होंगे। हमारे और उनके जो रिश्ते और संबंध रहे हैं, वे रिश्ते उनके उपाध्यक्ष के पद पर जाने पर भी कायम रहेंगे। हम पुनः आपको बधाई देते हैं। आप सदन चलाने में कामयाब होंगे। सब की शुभकामनाएं और सब का सम्मान आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पनुः बहुत-बहुत बधाई देते हैं।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Thank you, Madam. On behalf of the Telugu Desam Party and our Leader Shri Nara Chandrababu Naidu, I congratulate Dr. M. Thambidurai. He is a highly experienced parliamentarian and has been elected as the Deputy-Speaker of the House second time. He is a very humble person. Since last one-and-a-half months he has been giving opportunity to all the new Members of Parliament and I hope in the coming days also he would encourage all the new Members by giving them more opportunities speak, like you, Madam. I hope and wish, in the coming days he would definitely take the dignity of the House to greater heights. I wish him all the best on behalf of my Party and on my own behalf. Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): अध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. एम. तंबिदुरै को उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मित से चुने जाने हेतु अपनी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसे सभी सदस्यों ने कहा और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इनका

अनुभव चाहे डिप्टी स्पीकर के रूप में हो या मंत्री के रूप में हो, बहुत बिढ़या रहा है। जब ये पहली बार चुन कर आए थे, उस समय ये डिप्टी स्पीकर बने थे। उस समय इन्होंने सदन को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया और मार्गदर्शन किया। यह इनका पाचवां टर्म है। निश्चित रूप से इनके अनुभव का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात जिससे हमको खुशी हो रही है कि ये जो पार्लियामेंट है, हमारा एक देश है। इसमें साउथ भी है, नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है और वैस्ट भी है। ये सारी संस्कृति जब मिल जाती है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप चेयर पर हैं, डिप्टी स्पीकर के रूप में वे रहेंगे। यह जो हमारा कल्चर है, यह जो हमारा बगीचा है, यह बहुत बड़ी चीज़ को शो करता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से तंबिदुरै जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यह सदन सुचारू रूप से काम कर सकेगा। आप जो बहुत ही व्यस्त रहती हैं, कभी-कभी टेंशन में आ जाती हैं, उसमें ये टेंशन को थोड़ा कम करने का काम करेंगे।

श्री तारिक अनवर (किटहार): अध्यक्षा महोदय, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी एन.सी.पी. की ओर से डॉ. तंबिदुरें जी को बधाई भी देता हूँ और उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस हाऊस को सुचारू रूप से चलाने में हम लोग उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। उनका जो अनुभव है, एक लंबे समय से वे इस सदन के सदस्य हैं और एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के रूप में उन्होंने देश और तिमलनाडु की समस्याओं को हमेशा पूरी मज़बूती से यहां रखा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वे सब को अपने साथ ले कर, इस सदन को विश्वास में ले कर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाएंगे और हम लोगों की तरफ से उन्हें पूर्ण सहयोग मिलेगा तािक जो हमारी परंपरा है, वह इसी तरह बनी रहे।

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Madam, I compliment Dr. M. Thambidurai for having been elected as Deputy-Speaker of this House. I know him from 1989 onwards. His temperament and attitude definitely suits to this post and definitely he would be able to carry on this post successfully. I wish him all the best.

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): Madam, on behalf of my Party, Shiromani Akali Dal and my Chief Minister, Sardar Prakash Singh Badal, I extend warm congratulations to Dr. Thambidurai. It is, in fact, a source of great pride for the democracy of India that a Member from the regional party of South India has been elected to this coveted post unanimously.

Madam, it was not so long ago when, as a first time Member of a small Party, I used to sit on that side and Dr. Thambidurai would be across the isle from me. Often he would be on the Chair when it used to be our turn to debate. I must admit that he was always very kind to the regional as also small parties and was very generous with the time. I am sure with his experience and with his guidance, even though अब हम सबसे दूर होकर खड़गे जी के पास हो गये हैं। Under his leadership and his guidance, this House will rise to new levels of debating and decorum.

My warm congratulations to him.

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविन्द केजरीवाल जी की तरफ से डॉ. एम.तंबिदुरै जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वे विद्वान हैं, किसान हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको समाज के हर वर्ग के दर्द का पता है। मुझे उम्मीद है कि जब वे चेयर पर आसीन होंगे और विपक्ष से कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा होगा तो उनका हाथ बैल बजाने के लिए थोड़ी देर से जाएगा। मैं उनको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, मैं अम्मा को बधाई देता हूं। ये एक अनुभवी, संवेदनशील और ऊंचे नैतिक मूल्यों के लिए जीने वाले आम आदमी, गरीब और किसानों के दर्द को समझने वाले हैं। ये पांच बार सांसद रहे हैं, तो मैं भी तीन बार इनके साथ रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मैंने इन्हें अनुभव किया है कि छोटे दलों को, आरजेडी जैसे छोटे दलों को ये संरक्षित भी करेंगे और सुरक्षित भी करेंगे। ...(व्यवधान) मैं इनको हृदय से, अंतःकरण से बधाई देता हूँ। ये सार्वभौमिकता के लिए जीते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत-बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने उच्च परम्परा को, ऐसी राह को चुनकर हमेशा एक परम्परा को जिंदा किया है। मैं एक बार और प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल करने के लिए आग्रह करूंगा कि इसी तरह से विपक्ष में एक सुंदर नेता बनाने के लिए भी आप अपने दिल को बड़ा करें। ...(व्यवधान) यह मेरा आपसे आग्रह होगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने उच्च परम्परा को आगे बढ़ाया है और हम भी आपके साथ, उस उच्च परम्परा के साथ खड़े रहेंगे। एक बार पुनः अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई अम्मा को, अपने दल और लालू यादव जी की ओर से, इस पूरे समाज को आप साथ लेकर चलेंगे, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): महोदया, मैं अपनी ओर से, इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की ओर से और हमारे मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ओर से डॉ. एम. तंबिदुरै को बहुत-बहुत शुभकामनायें देता

हूँ। इन्हें पूरे पार्लियामेंट ने एकतरफा चुनकर इस डिप्टी स्पीकर पद पर भेजा है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब ये चेयर पर आसीन हों तो जो छोटे दल हैं, जिनके दो या चार सांसद हैं, उनको भी बड़े दलों की तरह समय देकर अपनी आवाज उठाने का मौका दें। एक बार पुनः इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): महोदया, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से डॉ. तंबिदुरै साहब को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। सदन आज सुखद अहसास कर रहा है। बाकी मौकों पर न सही, यद्यपि इस निर्णय में पक्ष-विपक्ष सभी लोगों की सहमति है लेकिन ऐसा माहौल बनाने में बड़े दलों की भूमिका, खासकर सत्ताधारी दल की भूमिका विशेष होती है। सत्ताधारी दल ने और बड़े दलों ने ऐसी भूमिका निभाई, इस बात के लिए जो उस तरफ के लोग हैं, इस तरफ के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कम से कम इस निर्णय से अच्छे दिन का अहसास तो आप सबको हो रहा होगा।

महोदया, इस सदन के और भारत की संसद के ऐसे निर्णयों से ही दुनिया में हमारे लोकतंत्र को सबसे प्रतिष्ठित लोकतंत्र कहा जाता है। हम आपस में अपनी-अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण अलग मत रखते हैं लेकिन जब दुनिया को संदेश देने की ज़रूरत होती है तो हम सब एक हैं, इस बात का संदेश हम हमेशा देते रहते हैं। आज भी हमने संदेश दिया है। इस बात के लिए मैं पक्ष-विपक्ष, सभी दलों को और सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब और विशेषताओं तथा विशेषणों के अलावा थम्बी दुरई साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वे किसान भी हैं। मैं समझता हूँ कि इनके उपाध्यक्ष पद पर आसीन होने से देश के जो किसान हैं, जिनकी नज़र हमारे इस सदन पर हमेशा बनी रहती है, उन किसानों की समस्याओं को यहाँ उठाने में, प्रमुखता देने में इनकी भूमिका होगी, इतनी अपेक्षा मैं इनसे करता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ फिर से इनको बधाई देते हुए और तमाम पक्ष-विपक्ष के दलों को, सदस्यों को और विशेषकर आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI TARIQ HAMEED KARRA (SRINAGAR): Madam Speaker, I rise here on behalf of the Jammu and Kashmir Peoples' Democratic Party to congratulate Dr. Thambidurai on unanimously getting elected as the Deputy-Speaker of the Lok Sabha.

Madam, though I do not know him personally and do not have the experience of having worked with him, yet what we have seen in the last one and a half months is that whenever he would be in the Chair, he has been very accommodative. All of us know that democracy is a battle of ideas and the essence of democracy is accommodation which, in my experience, he has been upholding here for quite some time. I hope, as a small regional Party and — we have representation of just three Members — all other regional parties have reposed faith in him. Being an accommodative person, I hope, he will uphold that spirit. I again congratulate Dr. Thambidurai.

माननीय अध्यक्ष: श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री अंबुमनी रामदोस जी और श्री राधाकृष्णन जी, सभी एक-एक वाक्य में अपनी बात रख दें। श्री कौशलेन्द्र कुमार। श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष जी, में अपनी पार्टी जनता दल (यू) की तरफ से और अपनी तरफ से डॉ. एम. तंबिदुरै जी को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से आज उनका उपाध्यक्ष के पद पर चयन हुआ। इसके लिए पूरे सदन के तमाम सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामना देता हूं। छोटी-छोटी जो पार्टियां हैं, उनको समय देंगे, यही आशा और विश्वास रखता हूं।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Hon. Speaker, on behalf of my Party, Apna Dal, I am glad to congratulate our newly and unanimously elected Deputy-Speaker, Dr. M. Thambidurai. I wish we all have been waiting for this moment to arrive.

As a new Member, I have had the privilege of listening to his enriching words of wisdom on several occasions and I learn from the senior Members that he has served the Eighth Lok Sabha also as the Deputy-Speaker. So, I hope that his tenure in the Sixteenth Lok Sabha is going to be equally glorious. I learn from him and will continue to learn from him. The conviction with which he puts forth the philosophy and ideology of his Party is worth admiration. My heartfelt greetings to him on assuming his new office!

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I, on behalf of my Party, RSP, convey my heartiest congratulations to the newly elected Deputy-Speaker, Dr. M. Thambidurai.

Madam, I know him since 1996 and I can very well assure that he is the best Parliamentarian and he knows as to how Parliament can be used to achieve political goals. Even in the last Lok Sabha, with eleven Members, he was able to interpret his issues in the Parliament and achieved his political goals. They could achieve a big success in the last Lok Sabha elections. I think that is because of the earnest efforts made by Dr. Thambidurai. Right to dissent is the right in democracy. Madam, I hope with your guidance, hon. Deputy-Speaker, Dr. M. Thambidurai will render justice to smaller groups and smaller parties.

I wish all the best to him. I am also happy to have him in the seat of the Deputy-Speaker. He is a very close neighbour of the State of Kerala. And as a part of South India also, I would like to felicitate him on becoming the Deputy-Speaker.

DR. ANBUMANI RAMADOSS (DHARMAPURI): Madam Speaker, on behalf of my Party, the PMK, I would like to congratulate Thiru M. Thambidurai Avargal who has been unanimously elected as the Deputy-Speaker of this august House.

I am happy that you have an able colleague to support you. I am doubly happy that he, being a Tamilian as well and also one of the most experienced Member of this august House, will perform well and will live up to the confidence reposed on him from the entire House cutting across different parties and regions who have supported him to elect him as the Deputy-Speaker of this august House.

I wish him all the best and kindly request him to give us more time to speak.

SHRI R. RADHAKRISHNAN (PUDUCHERRY): Hon. Madam Speaker, on behalf of my party and people of Puducherry, I would like to extend my warm congratulations to Dr. M. Thambidurai on being chosen as the Deputy-Speaker of this House.

I am sure that with his vast experience, he will be able to conduct and contribute to the proceedings of this House effectively.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Madam Speaker, I would like to extend my whole-hearted support to the proposal made by the hon. Home Minister to make Dr. M. Thambidurai as the Deputy-Speaker of this House and the proposal which was seconded by Shrimati Sushma Swaraj. I must be grateful to the Leader of the House today. Even though, there are various groups in the Opposition parties, he has tried to take the entire Opposition, whether it is a big group or a small group, into confidence in sharing the power with all the groups and the second largest group, the AIADMK, has been selected for the post of the Deputy-Speaker of this House.

This shows the magnanimity of the Prime Minister to take the entire House into confidence to run the House smoothly. I must whole-heartedly congratulate Dr. M. Thambidurai, who is my neighbour. We always had a difference of opinion on a particular issue concerning the farmers. But he always took it very smoothly. In your absence, he was the Chairman. At that time, when I wanted to raise the issue, I requested to come to this side. He extended his full cooperation. He has abundant patience.

Dr. Thambidurai is one of the most seasoned and experienced Parliamentarian, who has worked in various capacities. Much more than all these, he is a farmer, as the Prime Minister has mentioned. He knows the problems of this nation. I am so happy to see him today as the Deputy Speaker of this august House once again. Thank you very much. I extend my whole-hearted congratulations to him. I wish him all success.

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Hon. Speaker, I, on behalf of my Party, the Communist Party of India, congratulate Dr. M. Thambidurai for having been elected as the Deputy Speaker of the House. I feel that my brother has been elected as Deputy Speaker. As comrade Shri N.K. Premachandran has stated, he is our neighbour. Kerala is very happy that a person from Tamil Nadu, which is the land

of Anna Durai, MGR and Jayalalithaa, has been elected as Deputy Speaker of Lok Sabha. I congratulate him.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): On behalf of my Party, Kerala Congress (M), I extend my congratulations to the newly and unanimously elected Deputy Speaker of this House, Dr. M. Thambidurai. We have seen him speaking in the House. He used to speak out of conviction whenever there was any discussion or during the Question Hour or during any intervention. His strength is his experience in this Parliament. I am sure he will discharge his duties and responsibilities well. I wish him all the best.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज हम सब ने डॉ. मुनिसमी तंबिदुरै को सोलहवीं लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। उपाध्यक्ष पद पर उनके निर्वाचन के अवसर पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं को इस महान सभा के समय की कसौटी पर खरी उतरी परंपराओं को कायम रखने और डॉ. मुनिसमी तंबिदुरै को सर्वसम्मित से लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने के लिए सभी को बधाई देती हूं। ऐसी लोकतांत्रिक भावना से ही सभा के निर्विध्न और स्वस्थ कार्यकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।

उपाध्यक्ष के पद का हमारी संसदीय प्रणाली वाली संवैधानिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस पद को धारण करने वाला पदाधिकारी, अध्यक्ष के सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और उसके दायित्वों का निवर्हन करता है। मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से डॉ. तंबिदुरै को लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर बधाई तो देती ही हूं, और उनके बुद्धिमत्ता और राजनीतिक जीवन के दौरान उनके योगदान के दीर्घकालिक अनुभव का यह उपयुक्त सम्मान है, ऐसा मैं महसूस करती हूं। उपाध्यक्ष के पद पर उनके निर्वाचन से निश्चय ही इस पद की गरिमा भी बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में यह सभा सुचारू रूप से और कुशलता पूर्वक कार्य करेगी।

वे पांच बार इस सभा के सदस्य रह चुके हैं। पहली बार वर्ष 1984 में 8वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और लोक सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु भी निर्वाचित हो चुके हैं। तब से चार बार 9वीं, 12वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के लिए पुन: निर्वाचित हुए हैं। केन्द्रीय केबिनेट मंत्री के रूप में भी आपने विधि और न्याय कम्पनी कार्य और भूतल परिवहन सहित विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला है और सभापित तालिका के सदस्य भी आप रह चुके हैं। विभिन्न संसदीय समितियों के सभापित और सदस्य के रूप में भी

संसदीय कार्य के लिए आपने बहुत योगदान दिया है। मेरा विश्वास है कि राजनीतिक सूझबूझ से यहां पर भी आप अपना एक विशेष स्थान बनाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी एक माननीय साथी इस महान लोक सभा के एक पीठासीन अधिकारी के रूप में मिले हैं, इसके लिए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

मेरा विश्वास है कि हम साझा प्रयास करते हुए इस संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं को कायम रखेंगे और इस आदरणीय संस्था लोक सभा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। माननीय खड़गे जी, मेरा यह भी विश्वास है कि अगर मन साफ हो तो दिल मिलने में कठिनाई नहीं होती है। कदम से कदम मिला करके राष्ट्र को विकास की राह पर हम सभी ले जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और इसमें सभी सिम्मिलित भी रहेंगे।

में पुन: डॉ. मुनिसमी तंबिदुरै को लोक सभा के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देती हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Respected Madam Speaker, at the outset, let me quote Saint Thiruvalluvar, the great Poet's couplet:

Vinaikkurimai Nadiyapinrai avanai atharku uriyavanaga seyal. Entrust a responsibility after evaluating thoroughly one's capability. It is the meaning of this short but great couplet.

Madam, I have to prove this and it is my responsibility to rise upto that standard. The House has given me this responsibility and I will prove that, I am worthy of it.

Respected Madam Speaker, I express my deep sense of gratitude to you and to the hon. Members of this august House in electing me unanimously to the high Office of the Deputy-Speaker of Lok Sabha.

At the outset, I thank my leader *Puratchithalaivi* hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Amma* with immense gratitude for having given me this opportunity to serve as the Deputy-Speaker for the second time. I thank hon. *Amma* for reposing confidence in me by sponsoring me to this High Office.

I am grateful to the hon. Prime Minister of India Shri Narendrabhai Modi for giving this honour. I assure both my leader hon. *Puratchithalaivi Amma* and the hon. Prime Minister that I will prove worthy of their choice. The slogan of my

leader hon. *Puratchithalaivi Amma* is: *Makkalal Naan, Makkalukkaga Naan*. That means, I am with the people and the people are with me. That is how hon. *Amma* created history and sent 37 Members of Parliament to this august House from Tamil Nadu out of the 39 seats contested. This made our Party, the AIADMK, the third largest Party in the current Lok Sabha.

I am also deeply indebted to the founder leader of our Party, the former Chief Minister, Bharat Ratna, *Puratchithalaivar* DR. MGR. His slogan for success is: uzhaippe uyarvu. That means, hard work and efforts lead to success.

Madam, our great leader Perarignar Anna, the former Chief Minister of Tamil Nadu had the great principles: *Kadamai, Kanniyam, Kattuppadu*. It means, Duty, Dignity and Discipline.

13.00 hrs.

It will always be my endeavour to follow those principles while discharging my duties as Deputy-Speaker of Lok Sabha.

The great political and social reformer of Tamil Nadu, *Thanthai Periyar*, fought against caste divisions and stood for empowering women. My leader, hon. *Puratchi Thalaivi Amma* is making all the efforts to see that 33 per cent reservation for women becomes a reality. That Bill has to be passed by the Parliament. This is what we are expecting, and I think this House would take it up quickly and pass the Women's Reservation Bill which gives 33 per cent reservation for women in Legislatures.

I am deeply overwhelmed by the warm references made by the Leader of the House, the hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and other political leaders of this House, and other hon. Members of this House.

Hon. Speaker, I am conscious of the fact that this Office has all along been occupied by eminent predecessors, and I will follow their footsteps. Their rich traditions would guide me in performing my duties and upholding the dignity of this House.

They will ever remain in my thoughts when I sit in the House and it will be my endeavour to discharge my functions in an impartial manner as is expected of me. At the same time, I will seek the cooperation from all sections of this House, and I am sure, this will be forthcoming in abundant measure. I will keep the interests of all Parties, Groups, and individual Members in my mind while I discharge my duties. Most of the Members have made requests regarding that. Definitely, based on my experience, I would take care of that.

Hon. Speaker, I assure you that you will always have my fullest cooperation in running the House.

Hon. Speaker, once again, I thank you hon. Prime Minister of India, Leaders of all Political Parties, and hon. Members of this House, on behalf of my Leader, Hon. *Puratchi Thailaivi Amma*, on behalf of my Party, AIADMK, and on my own behalf, for electing me to this high Office. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : आज इस आनन्द के क्षण में लंच टाइम नहीं होना है।

13.02 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to make provision for community halls and night shelters for widows and destitute women and also to provide skill-based training to these women to help them earn their livelihood

श्रीमती रेखा वर्मा (धोरहरा): हमारे संसदीय क्षेत्र धोरहरा (उ.प्र.) अंतर्गत जनपद-लखीमपुर (खीरी) के सिसैया में निराश्रित विधवा महिलाएं एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं आदि के लिए सामुदायिक भवन/रैन बसेरा बनवाने की अति आवश्यकता है। साथ ही ऐसी महिलाएं आदि को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए प्रेरित करने व समाज में बराबर की हिस्सेदारी दिलाने की भी आवश्यकता है।

अतः मैं मांग करती हूं कि उक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

^{*} Treated as laid on the Table.

(ii) Need to establish Kendriya Vidyalayas in Bhind and Datia, Madhya Pradesh besides setting up a Sainik School in Bhind

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड): मध्य प्रदेश के भिंड तथा दितया जिले शिक्षा की गुणवत्ता में पीछे है। इस क्षेत्र के बच्चे कर्मठ एवं लगनशील हैं। अनुकूल वातावरण के अभाव में शिक्षा का अपेक्षित स्तर नहीं रह पाता है।

भिंड जिले में बड़े पैमाने पर सेना में लोग भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं । उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है । उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भिंड जिले से 4 हजार से अधिक सैनिक भारतीय सेना में कार्यरत हैं तथा 6537 पूर्व सैनिक तथा 1301 युद्ध विधवाएं हैं । इनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय खोले जाना आवश्यक है ।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि भिंड में कम से कम दो एवं दितया में एक अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए । भिंड में एक सैनिक स्कूल खोला जाए, जिससे सैनिकों के बच्चों को सेना में अफसर बनने के अवसर मिल सके ।

(iii) Need to develop Surha Taal (pond) in Ballia Parliamentary Constituency as a Water Sports Centre to promote tourism in the region

श्री भरत सिंह (बिलया): मेरे संसदीय क्षेत्र बिलया जनपद के बसन्तपुर में स्थित सुरहा ताल को वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के रूप में विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। यह वृहद तरण ताल (तालाब) है जिसका क्षेत्रफल लगभग 25.6 किमी. है जोिक वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इस ताल पर पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। इस योजना को शीघ्र अमली जामा पहनाए जाने पर सुरहा ताल पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा। वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के निर्माण से क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी सुलभ हो सकेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी के पर्यटन विकास योजना को गित मिलेगी जिससे देश-विदेश के पर्यटकों द्वारा देश को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बसन्तपुर में स्थित सुरहा ताल को वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए जिससे बलिया भी पर्यटक स्थल के मानचित्र में अंकित हो सके ।

(इति)

(iv) Need to construct an embankment on river Ganga in Misrikh Parliamentary Constituency to prevent recurrence of annual floods in the region

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): पवित्र माँ गंगा उत्तराखण्ड प्रदेश के गंगोत्री से उद्गम होकर हिरद्वार, सहारनपुर, फर्रू खाबाद, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बिलया होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। हमारी सरकार ने पवित्र माँ गंगा के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। माँ गंगा के विकास के क्रम में मैं अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के उस क्षेत्र के विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है।

बिलग्राम-मल्लावां क्षेत्र के सिढ़यापुर गाँव के पास माँ गंगा में गर्रा नदी का मिलान होता है, जिससे इस क्षेत्र में पानी के बहाव की गित बहुत विकराल हो जाती है । इससे सिढ़यापुर गाँव से उन्नाव जनपद के गहिरपुरवा गाँव तक माँ गंगा के तट पर बसे हुए सैकड़ों गाँव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं । अभी तक पचासों गाँव भूमि कटान के कारण पानी में बहकर अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके हैं । इस बाढ़ की समस्या के कारण प्रतिवर्ष यहाँ के निवासियों के जन-धन का नुकसान होता रहता है । सिढ़यापुर गाँव से गहिरपुरवा गाँव की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है ।

इस बाढ़ की अति गंभीर समस्या को मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं तथा मांग करती हूं कि जनहित में बाढ़ की इस गंभीर समस्या का समाधान माँ गंगा के किनारे पर तट बांध निर्माण कराकर कराया जाए ।

(v) Need to build a Road Over Bridge on level crossing no. C-61 in Nagaur, Rajasthan

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर): मैं मेरे लोक सभा क्षेत्र के मुख्यालय नागौर की प्रमुख समस्या से भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। नागौर शहर की जनसंख्या लगभग 1 लाख 40 हजार है एवं जिला मुख्यालय है। इस शहर में से एनएच 89 व 65 गुजरता है। शहर का रेलवे फाटक सी-61 अधिकतर समय बंद रहने के कारण दुर्घटना में आपातकालीन मरीज को जिला मुख्यालय चिकित्सालय जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही कृषि उपज मण्डी जाने के लिए भी काश्तकारों को इसी क्रासिंग से जाना होता है। इस रेल मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 40 गाड़ियों का आवागमन रहने के कारण रेलवे फाटक हमेशा बंद मिलता है। इस कारण से मरीजों, स्थानीय लोगों, मण्डी माल ले जाने वाले काश्तकारों को एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं जयपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें काफी देर तक रेलवे फाटक के दोनों ओर कतारों में व्यर्थ में खड़ा रहना पड़ता है। मानव का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी एवं सड़क परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की कृपा करें।

(vi)Need to sanction unreserved forest land in single phase and set up a regional office of Ministry of Environment, Forests and Climate Change in Jaipur, Rajasthan

श्री चाँद नाथ (अलवर): वन भूमि अनारक्षण के प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृति जारी की जाती है। भारत सरकार समस्त परियोजनाओं के अनारक्षण प्रस्तावों की स्वीकृति एकल चरण में जारी करें एवं स्वीकृति में लगाई गई शर्तों की पालना राज्य सरकार के स्तर पर की जावे।

कतिपय राजकीय परियाजनाओं में मुख्यतः आधारभूत संरचनाएं जैसे स्कूल, चिकित्सालय, विद्युत एवं संचार लाइनें, पेयजल योजनाएं, विद्युत सब स्टेशन, संचार पोस्ट, सड़क निर्माण एवं सुधार आदि सिम्मिलित हैं । इसलिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सामान्य स्वीकृति के अंतर्गत एक हेक्टेयर से बढ़ाकर दस हेक्टेयर कर दिया जाए । भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में खोला जाना प्रस्तावित है जोकि लखनऊ में है ताकि राजस्थान राज्य से संबंधित ऐसे प्रस्ताव जिनमें 40 हेक्टेयर तक अनारक्षण हेतु प्रस्ताव त्वरित गित से निस्तारण हो सके । भारत सरकार को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं नगरपालिका अपशिष्ट जल के उपचार एवं निस्तारण के लिए स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को पर्याप्त व्यवस्थाएं स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध है क्योंकि राजस्थान सरकार अकेले इस राशि को वहन नहीं कर सकती ।

(vii) Need to set up Food Processing Industries and cold storage facilities in Kaushambi Parliamentary Constituency

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): हमारे देश के कई क्षेत्र विशेष अपने विशिष्ट फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं । वर्तमान कौशाम्बी जनपद का निर्माण इलाहाबाद जनपद के एक भाग को अलग करके किया गया । कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत कुन्डा एवं बाबागंज विधान सभा क्षेत्र (जनपद प्रतापगढ़) आवंला उत्पादन के लिए तथा कौशाम्बी विश्व प्रसिद्ध अमरूद तथा केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है । इन जनपदों की लगभग 95 प्रतिशत आबादी कृषि विशेष रूप से इन फलों के उत्पादन पर निर्भर है । क्षेत्र में आज भी तकनीकी एवं विपणन सुविधा का अभाव है । केन्द्र एवं प्रदेश के संबंधित विभागों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया ।

इन फलों के व्यावसायिक उपयोग हेतु उद्योगों की स्थापना भी नहीं की गई है । जिसके फलस्वरूप उक्त फलों की प्रचुर मात्रा में उत्पादन के बावजूद किसानों को फलोत्पादन का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है । इन फलों के भंडारण हेतु भी कोई उचित व्यवस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई है । परिणामस्वरूप किसानों द्वारा फल-बागों को समाप्त किया जा रहा है तथा रोजगार की तलाश में क्षेत्र के नौजवानों का पलायन देश के अन्य प्रदेशों में हो रहा है ।

इलाहाबाद नगर के विस्तार के साथ फल-पट्टी आवासी कालोनियों में परिवर्तित हो गई है । प्रदेश शासन की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप इलाहाबाद की विश्व प्रसिद्ध सफेदा अमरूद की प्रजाति विलुप्त हो गई है ।

अतः इन जनपदों में फलों के भंडारण हेतु उचित आधारभूत संरचना जैसे कोल्ड स्टोरेज आदि का विकास (निर्माण) हो तथा इन फलों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों का विकास/निर्माण किया जाए जिससे फलोत्पादन किसानों के लिए फायदे का क्रियाकलाप बन सके और किसानों एवं नवयुवकों के लिए उचित रोजगार के अवसर सृजित हो सके ।

अतः अनुरोध है कि कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र हेतु योजना बनाकर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं फल प्रसंस्करण के अतिरिक्त क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग की भी अपार संभावनाएं हैं। सरकार इस प्रकार से इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर सकेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा इन क्षेत्रों से नवयुवकों का रोजगार के लिए पलायन रोका जा सकेगा।

(viii) Need to set up CNG stations in all the prominent cities of Rajasthan

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): पूरे राजस्थान में वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को न्यूनतम करने की दृष्टि से भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निवेदन किया गया था कि राजस्थान के मुख्य शहरों और राजमार्ग पर सी.एन.जी. आउटलेट खोले जाये तािक सी.एन.जी. का मुख्य मोटर ईंधन के रूप में उपयोग हो सकें । माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा भी माननीय केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री को पत्र प्रेषित कर राज्य के मुख्य शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेंर, भरतपुर, बीकानेर एवं अलवर आदि में सी.एन.जी. स्टेशन खोलने का अनुरोध किया जा चुका है । इस कार्य में हो रही देरी जहाँ एक ओर पर्यावरण सुरक्ष के राजस्थान राज्य के कार्यक्रमों को जोखिम में डाल रही है, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्णय की अनुपालना नहीं करने का दोषी भी बना रही है ।

में माननीय केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, राजस्थान के सभी मुख्य शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर बीकानेर एवं अलवर में सी.एन.जी. स्टेशन खोलने का शीघ्र निर्देश देने का कृपा करे तािक वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।

(ix) Need to ensure construction of overbridges and underbridges at strategic points on under construction four-lane National Highway in Rajsamand district, Rajasthan

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड गोमती-उदयपुर फोर लेन निर्माणाधीन कार्य की डी०पी०आर० दोषपूर्ण है। जहां केलवा गाँव में एलेवेटेड ओवरब्रिज बनना चाहिए था वहाँ नहीं बना। ग्राम राजनगर में ब्रिज जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा नहीं बना और मेन क्रासिंग सनवाड राजनगर से पहले ही ड्राप-डाउन कर दिया। नाथद्वारी में जहाँ बाइ पास होना चाहिए था वहाँ एलेवेटेड ओवरब्रिज बनाकर राजस्व बोझ बढ़ाया गया और कई ऐसे गाँव जहां अंडर पास की आवश्यकता थी उनका प्रावधान नहीं रखा है। गाँव मण्डावाला में टोल प्लाजा गलत स्थान पर बनाया गया है। मैं माननीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो सारी योजना का पुनः अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

(x) Need to give exemption to candidates belonging to General and Backward Classes who have cleared TET examination and not having B.Ed. Degree for appointment as teachers in Bihar

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : मैं सरकार का ध्यान बिहार के शिक्षक को टी.ई.टी. परीक्षा में उतीर्ण हुए हैं पर इन्हें नौकारी नहीं मिल रही है, की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।

किसी भी परीक्षा में परीक्षा देने का मापदण्ड समान होता है पर शिक्षक नियोजन की इस परीक्षा में जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़ों को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा बी०एड० करने के लिये 5 वर्षों की छूट दी गई है वहीं पिछड़ों एवं सामान्य छात्रों को यह छूट नहीं दी जा रही है जबिक भारत सरकार की दृष्टि में पिछड़े एवं अति पिछड़े दोनों ओ.बी.सी. में ही आते हैं । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को यह अनुरोध होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक बराबर मानते हुए सामान्य जाति एवं पिछड़े जाति के छात्रों को भी बी.एड. से उतनी ही दिन की छूट मिले जितना अति पिछड़े एवं एस.सी.,एस.टी. छात्रों को मिल रही है इससे न केवल हजारों छात्रों को नौकरी मिलेगी बल्कि बिहार में शिक्षा का भी सुधार होगा।

(xi)Need to take suitable measures to check the declining price of natural rubber in the domestic market

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to kindly stop the import of natural rubber under Open General Licence (OGL). There has been a huge influx of natural rubber from foreign markets to India during the last three years. Three years back the volume of imported natural rubber was 50,000 tonnes and now the figure in this regard reached an all time high of 325190 tonnes. It is to be noted that India has a stock of 240000 tonnes of natural rubber. In addition to that domestic production also surged 28.3 percent last month. Despite the bumper production and excess stock of natural rubber in India, its import has been steadily increasing in the country during the last few years. As a result price of natural rubber in domestic market is declining day by day. For instance price of RSS-4 grade of natural rubber in domestic market in last week was Rs 138 per kg., but today it came down to Rs. 136 per kg. Sharp decline in the prices of natural rubber will adversely affect Kerala economy as the State accounts for 90 per cent of natural rubber production in the country. Therefore, I request the Government to take urgent steps in this regard.

(xii) Need to amend Central Motor Vehicles Act, 1988 to permit use of sun control films in vehicles

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): The Hon'ble Minister of Road Transport and Highways in order to have the provisions of Motor Vehicles Act compatible with the international standards on road safety has announced that the Ministry of Road Transport and Highways is revisiting the Central Motor Vehicles Act 1989. One of the provisions in the Motor Vehicles Act across the globe provide for tinting of safety glass of automobiles (front, rear and side windowpanes by application (pasting) of sun control films with mandated restrictions on VLT. This is because of the inherent superior features of tinting with sun control film in comparison to factory manufactured tinted glass as the application of sun control film apart from being economical protects the occupants of the car from ultra violet rays which is one of the predominant reason of skin cancer. In addition, the application of sun control film enhances the robustness of the safety glass and in the event of accident or damage to the glass prevents its broken pieces from flying indiscriminately thus protecting the passengers from grievous facial and other bodily injuries. Application of sun control film on automobile safety glass as per ARAI study enhances the fuel efficiency by at least 5% inter alia saving more than Rs.7000 crores worth of revenue annually.

However, due to lack of appropriate explanation of Rule 100(1), of CMV Act 1988, the Supreme Court interpreted it in a manner making the usage of sun control film on automobiles illegal thereby rendering thousands of workers jobless. Incidentally sun control film is being exported by India to more than 80 countries.

In the light of above, Hon'ble Minister of Road Transport and Highways be pleased to specify the position and stand of his Ministry regarding amendment of Rule 100(1) of CMV Act 1988 to include sun control film for tinting of safety glass with VLT standards.

(xiii) Need to establish AIIMS like Institute in Tamil Nadu in the current financial year

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Recently the Central Government has announced its decision to establish All India Institute of Medical Sciences like Institute in each state in the country in a phased manner. In this connection Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu has received a letter from the Union Minister of Health and Family Welfare requesting the State Government to identify suitable alternative locations for setting up of a new AIIMS like Institute in the State. Tamil Nadu Government has already identified the required land at Chengalpattu in Kancheepuram District, Pudukkottai town in Pudukottai District, Sengipatti in Thanjavur District, Perundurai in Erode District and Thoppur in Madurai District where lands with suitable road connectivity are already in the possession of State Government and its agencies. Sufficient water and electricity are also available at all the five places, which also have excellent rail and air connectivity. Establishing AIIMS like Institute in Tamil Nadu would substantially augment the facilities in the State for providing quality medical education and also make available high-end tertiary level health care in the public sector to benefit the poor and middle classes. The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu has written to the Hon'ble Prime Minister on 20th July 2014 to include Tamil Nadu in the list of States in which AIIMS like Institute would be set up during the current financial year itself. Since Tamil Nadu was excluded in the first batch of six AIIMS like Institutes set up in 2012-13, I appeal to the Centre to establish AIIMS like Institute in Tamil Nadu during the current financial year itself.

(xiv)Need to expedite construction of railway halt station at Bansberia, Hooghly district, West Bengal

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Since long there is a demand for construction of a Halt Station at Bansberia in Hooghly district of West Bengal. The name of the Halt station is Hazi Md. Mohisin halt station. Though, the work has started, it is yet to be completed. This line is the life-line for the rail passengers living in this area as this halt station would help in commutation between Hooghly district and the rest of the surrounding districts in West Bengal. Under the circumstances, I would like to strongly plead to Hon'ble Railway Minister for the completion of Halt Station at Bansberia of Hooghly district of West Bengal without any further delay.

(xv) Need to allocate sufficient funds for early completion of East-West Metro Project in Kolkata, West Bengal

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Metro railway of Kolkata was one of the best railways in the world. But at present, Metro railway operation in Kolkata is causing worries and tensions amongst the passengers. A number of alarming incidents happened in the last few months and Metro railway passengers are panic-stricken.

On the other hand, East West Metro project has been thrown into total uncertainty. No budgetary support has been provided for this project. Kolkata city will emerge as a city with less traffic hazard once East-West Metro project is completed.

My demand to the Railway Minister is that adequate fund be allocated to complete East-West Metro project of Kolkata. Safety in Metro railway is to be ensured. In addition, I oppose the decision of 100% FDI in Indian railways (where it will be applicable) in certain sectors which include infrastructure segments.

(xvi) Need to extend gauge conversion of railway line from Naupada (Andhra Pradesh) to Gunupur (Odisha) upto Therubali

DR. SIDHANT MOHAPATRA (BERHAMPUR): The gauge conversion of Naupada (Andhra Pradesh) to Gunupur (Odisha) has been completed but the extension of 60 Km up to Therubali is yet to be taken up. Hence, the purpose and benefit of gauge conversion has not brought about the desired benefits to Railways and the society.

The gauge conversion of rail line from Naupada to Gunupur, if extended up to Therubali, will connect two major thorough lines (Chennai-Howrah & Visakhapatnam-Raipur). This line will have port connectivity with Gopalpur Port to the hinterlands of South Odisha, Chattisgarh and Madhya Pradesh.

Industrial units like NALCO, Vedanta, Utkal Alumina etc. will be the major users for transportation of their minerals. Railway will be equally benefited through its freight revenue. This line will bring a remarkable change in the socioeconomic condition of tribal people living in KBK & Gajapati districts of Odisha, Srikakulam district of Andhra Pradesh and part of Chhattisgarh.

This line will also help contain the Maoist activities of three states of Andhra Pradesh, Odisha & Chhattisgarh. Hence, I urge upon the minister of Railways to take the necessary step in this regard at the earliest.

(xvii) Need to allot land for the development of Nhava and Sheva villages by the Jawahar Lal Nehru Port Trust (JLNPT) as per agreed terms and conditions and also streamline the traffic system on the road leading to JLNPT

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जे.एन.पी.टी.) भारत सरकार का एक बहुत ही लाभदायक पोर्ट है परंतु इस पोर्ट की अन्य समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, महोदया, सिड्को ने नावा सेवा गांव की जमीन जे.एन.पी.टी. बनाने हेतु अधिग्रहण की और गांववासियों को विस्थापित करते समय यह वादा किया गया कि गांववासियों को 23 हैक्टेयर जमीन ग्राम विकास के लिए दी जाएगी और स्थानीय किसानों को यह भी वादा किया गया है कि अधिग्रहण की गई कुल जमीन का 12.5 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय किसानों को लौटाया जायेगा परंतु 1970 से अब तक राज्य या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण परियोजना से प्रभावित जनता अपने अधिकारों हेतु समय समय पर आंदोलन करते हैं।

जे.एन.पी.टी. जाने वाले रास्ते की चौड़ाई कम होने के कारण और रास्ते में ट्रक कंटेनर खड़े किया जाने के कारण ट्रैफिक एवं पार्किंग की समस्या भी उत्पन्न होती है।

अतः मैं सरकार से उक्त विषयों पर ठोस कदम उठाने एवं किये गये वादे के मुताबिक नावा सेवा इन दोनों गांवों को 23 हैक्टेयर व 12.5 प्रतिशत जमीन विस्थापित किसानों को तुरंत दिए जाने की मांग करता हूं और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के रास्ते की ट्रैफिक समस्या को हल करने हेतु पार्किंग की सुविधा भी दिए जाने की मांग करता हूं।

(xviii) Need to sanction a new ESI Hospital at Piduguralla town in Guntur district of Andhra Pradesh

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO (NARASARAOPET): Consequent upon the bifurcation of Andhra Pradesh State, residuary Andhra Pradesh is left with a few facilities in Education, Health, Industry and many other fields. The new NDA Government has promised to build the residuary Andhra Pradesh anew with all facilities in the core areas.

In this connection, I would like to inform you that Piduguralla is a town and municipality in Guntur district of Andhra Pradesh. It is famous for its white cement, limestone and cement industries. It is endowed with rich minerals. It has around 45 rice mills (parboiled rice and raw rice), 55 white cement factories, 6 roller mills and 25 poultry farms and grit (limestone) manufacturing units. This place is one of the most industrialized towns in Guntur district. It has around 300 limestone kilns, lime hydrating mills, a lot of cotton mills and paint industries. Some 2-5 fly ash brick industries are there. There are nearly 15 HDPE/PP woven sack stitching companies which supply rice bags to most of the rice mills. Besides, there are a lot of timber depots.

Piduguralla is the city supplying white lime to the entire Andhra Pradesh. The main profession of the people is exporting limestone and white cement. There are several industries like timber depots, hollow brick industries, agro-based industries, cereals and rice and groundnut oil.

Further, towns like Dachepalli, Nadikudi, Gurajala which are famous for cement industries, are located near Piduguralla town. All the industries located in these areas are labour-oriented; and there are two lakh labourers. It is needless to say that they are eking out their livelihood from these industries. But unfortunately they have no access to health and medical aids. In view of the above, I request the Government to kindly sanction a new ESI Hospital at Piduguralla town to meet the health needs of the labourers in that area.

(xix) Need to discontinue crop insurance scheme based on weather statistics and to re-start National Agriculture Insurance Scheme particularly in Nalanda district of Bihar

श्री कौशतेन्द्र कुमार (नालंदा) : नालंदा जिले में फसल बीमा योजना में काफी गड़बड़ी हो रही है । जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है । वहां फसल बीमा के लाभ-हानि का दावा वर्षा मापक यंत्र से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करना होता है, किंतु एक प्राइवेट कंपनी एनसीएमएसएल द्वारा वर्षापात द्वारा एकत्रित कर फसल बीमा लाभ दिया जा रहा है जो बिल्कुल फर्जी है । यह धोखाधड़ी साफ नजर आता है कि एनसीएमएसएल द्वारा 16.7.2012 को वर्षा मापक यंत्र का आंकड़ा 5.58 एमएम वर्षा दिखाया गया जबिक बिहार सरकार के नालंदा जिला के सांख्यिकी विभाग द्वारा दिखाया गया आकड़ा दिनांक 16.7.2012 में 17.02 एम.एम. दिखाया गया है । इसी प्रकार दिनांक 17.07.2012 को एनसीएमएसएल द्वारा प्राप्त आंकड़ा 50.28 एम.एम. है जबिक बिहार में सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा 17.07.2012 को 64.02 एम.एम. बारिश है । इसी प्रकार ढेर सारे आंकड़ों में काफी भिन्नता है । साथ ही एनसीएमएसएल द्वारा किसानों को फसल बीमा का दावा भुगतान 1004 रूपये प्रति हैक्टेयर से किया गया, जबिक बिहार सरकार के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 3000 रूपये होना चाहिए । इसी प्रकार जिले में करीब 50 हजार किसानों को राशि दी जा रही है । एक चौंकाने वाला विषय है कि गेहूं में प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत लिया जाता था जो 2014 से बीमित राशि का 4.8 प्रतिशत लिया जा रहा है । इसी प्रकार धान (खरीफ) 2014 के पूर्व बीमित राशि का प्रीमियम 2.5 प्रतिशत था, जो 2014 में 5 प्रतिशत कर दिया गया, जो किसानों के द्वारा भुगतान संभव नहीं है ।

अतः कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों के इस महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लेकर फसल बीमा में पहले की तरह प्रीमियम रहने दिया जाए तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना को बंद कर पूर्व में संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया जाए । साथ ही साथ खरीफ एवं रबी का बीमित राशि प्रति हेक्टेयर बढ़ाया जाय ।

(xx) Need to ensure appropriate utilization of funds under various schemes for Panchayati Raj Institutions and for rural development in Maharashtra

श्री राजू शेट्टी (हातकंणंगले): केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2008 में पूरे देश में ग्राम पंचायतों को कम्पयूटर (संगणक) सेवा से जोड़ने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया था। उसके तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों को करोड़ों रूपयों कि निधि आबंटित की थी। ग्राम पंचायत का कारोबार पूरे तरीके से ऑन लाईन हाना चाहिए, यह उद्देश्य उस योजना के पीछे था। इसके तहत पंचायत की तरफ से दिए जाने वाले दाखिले और दस्तावेज (कागजात) आम जनता को इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराने का भी उद्देश्य था।

हमारे महाराष्ट्र सरकार और टाटा कन्सलटेंसी इनके ज्वाइंट व्हेंचर से " महाऑन लाईन " नामक कंपनी का निर्माण किया गया । इस कंपनी ने ग्राम विकास मंत्रालय की मदद से महाराष्ट्र राज्य में 32 हजार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की । इन ऑपरेटर्स को हर माह 8,000/- (आठ हजार रूपये) मेहनताना देने का सरकार ने लिखित आदेश में स्पष्ट रूप से जारी किया था । लेकिन उसके बावजूद पहले दिन से ही 8,000/- रूपयों की जगह 4,000/- (चार हजार रूपये) की रकम 'महा ऑन लाईन' नामक कंपनी ने अपनी तरफ से डेटा ऑपरेटर्स को बिना बताए डायव्हर्ट कर ली । यह चौंकाने वाली खबर पूरे महाराष्ट्र में फैल गई है और इसी संदर्भ में यह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स लगातार पिछले छह महीनों से आंदोलित है ।

केन्द्र सरकार से ग्राम विकास मंत्रालय की तरफ से चलायी जा रही योजनाओं में ही पैसों का सही विनियोग नहीं हो रहा है। इस तरह की शिकायतें बार-बार आ रही है और वो इस घटना से साबित हो रहा है।

इसलिए मेरी ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह मांग है कि महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गत 10 वर्षों में जो केन्द्र सरकार की विविध योजनाओं की निधि का सही ढग से उसी नियोजित काम के उपर गाइड लाईन की तहत खर्च हुआ है, इस मामले की जांच कराना नितान्त आवश्यक है।

13.03 hrs

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-FIRST AMENDMENT) BILL, 2014

(Insertion of new articles 124A, 124B and 124C)

AND

THE NATIONAL JUDICIAL APPOINTMENTS COMMISSION BILL, 2014 Contd

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Item Nos. 26 & 27. Hon. Minister to continue.

13.03½ hrs (Hon. Deputy Speaker in the Chair)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, it is indeed a singular honour for me that immediately after your election, I had the privilege to address you, and continue with this proceedings. I feel singularly honoured.

Yesterday, I had very briefly begun. Today, when I am sitting here, addressing the concerns raised.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, order please. Hon. Minister is on his legs. It is a very important Bill and the Minister is replying. I would request all the hon. Members to take their seats. I don't want anybody to stand here.

... (Interruptions)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, as I had said yesterday, the entire House had shown great consensus. Sir, I had already said yesterday that I thank all the leaders of Political Parties, hon. the Prime Minister of India who gave me the advice to initiate the process pending for the last 20 years. I thank Madam Sonia Gandhi and all the leaders of the Opposition, Mulayam Singh Yadav *ji*; Madam Mayawati *ji*; hon. the Chief Minister of Tamil Nadu, Madam Jayalalitha; of West

Bengal Madam Mamata *ji;* Shri Naveen babu; Sharad Yadav *ji....* (*Interruptions*) Therefore, the entire House has shown consensus. I am grateful to all of them.

Sir, now I come to the specific issues raised. I will go one by one, very quickly without taking names to save time. Many hon. Members have raised the issue of composition as to why 6 members. Here I would like to say that the 67th Amendment Bill, 1990 proposed 5 members. The next one, 1998 proposal gave 7 members. The National Commission to Review the Constitution of Justice Venkatachaliah in 2002 proposed 5 members. The National Judicial Commission – 98th Amendment Bill, 2003 – proposed 7 members, the Administrative Reforms Commission headed by Veerappa Moily ji proposed 8 Members headed by the Vice-President, the Prime Minister, the Speaker, the CJI, the Law Minister and the two leaders of Opposition. And the last year's Bill proposed 6 members. Therefore, taking into account all these developments, we have kept 6 members. Therefore, that has to be considered. Two eminent persons are to be appointed by the Prime Minister, by the Chief Justice of India, the Leader of Opposition, the Leader of the largest Political Party in Opposition. Therefore, high-ranked people are going to appoint two eminent persons. I am sure, the two eminent persons will be the best available and in the collective judgement they will take a call. Regulations also give that right under the Constitution. It can also be framed. But as a Parliamentarian, as a Law Minister, I think, I will trust the collective judgement of the three eminent persons more.

The second question has come about composition as to why the rotation issue has been ignored. I would like to explain that very briefly. Ramvilas Paswan *ji*, in his own style, responded to that. We have got one woman from OBC or SC or ST or minority. If we say by rotation, then the term of one can come after 12 years because three years will be the term of one member not subject to re-nomination. You see the flexibility. We can have a very eminent woman from the minority community, as Ramvilas Paswan *ji* has said in his speech. We can have a very eminent woman from the OBC community or the SC community.

Who knows? We can have a Law Minister as a woman in future. You are making a Constitution Amendment. Who knows? You can have a Chief Justice of India as a woman or from minority community. Therefore, let this flexibility be available in the light of composition there that three persons be the Prime Minister, the Chief Justice of India and the Leader of Opposition or the Leader of the largest Political Party in Opposition. You have the flexibility to have one of these groups which shall be there. In that view, the rotation issue is not there. I hope this House will appreciate that.

Now I come to the next issue. Many hon. Members from the AIADMK said, Dharmendra *ji* also said, about the State Commission. That is an issue I would like to clarify. It may be constitutionally vulnerable because under article 214, the Governor does not appoint, the President appoints even the High Court Judges. Under Entry 77 and 78 of List 1 of Seventh Schedule, the power is only with the Government of India. Therefore, if we have a State Commission only for recommending for appointment, there may be a problem.... (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय मंत्री जी, यह सही है कि राष्ट्रपित महोदय ही नियुक्त करते हैं, लेकिन यह भी सही है कि अभी स्टेट में हाई कोर्ट का कोलेजियम रिकमैंड करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोलेजियम की एप्रूवल के बाद माननीय राष्ट्रपित महोदय ही नियुक्त करते हैं।...(व्यवधान) हमारी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसी व्यवस्था कर दें कि रिकमैंड वह कर दें, फाइनल नियुक्त भले ही महामहिम राष्ट्रपित जी के हाथ से हो जिससे पूरे प्रदेशों की जजों की नियुक्त की वास्तविक स्थित सबके सामने आ जाएगी।...(व्यवधान)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: What I am saying, hon. Deputy Speaker, Sir, is that if Shri Dharmendra Yadav will see the regulations, it very clearly says that the Commission shall elicit in writing the views of the Governor and the Chief Minister of the State concerned before making such recommendation in such manner as maybe specified by regulations. एक्ट में ही दे रखा है कि माननीय मुख्य मंत्री, माननीय राज्यपाल का लिखित मन्तव्य पूरी नियुक्ति के बारे में आएगा। वह बिल्कुल लिखा हुआ है। इसलिए उस पर कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

Therefore, in that view of the matter, I would also like to request my friends from AIADMK party to consider withdrawing their amendment which is for the purposes of State Commission because the interest of the State is completely safe. I totally agree with the observations made. I can tell you that initially we had named only the Governor. But, no, we realized in the Cabinet that we need to give the Chief Minister also to make it very clear and the Governor has to act on the aid and advice of the Chief Minister. That is the scheme of the Constitution. That is very clear. Therefore, I would request the hon. Members from AIADMK to consider withdrawing this amendment in view of my clarification.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): आपको सहयोग करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) यह थोड़ा है कि सब उन्हीं पर छोड़ दिया जाएगा।...(व्यवधान)

श्री रिव शंकर प्रसाद: मुलायम सिंह जी, जब कमीशन में है तो आप निश्चिन्त रहिए।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: कुछ वर्गों की उपेक्षा लगातार होती रही है। वही असली सवाल है।...(व्यवधान)

श्री रिव शंकर प्रसाद: मैं उस बात पर आ रहा हूं।...(व्यवधान) मैं उस पर बोलने वाला हूं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी बोलुंगा।...(व्यवधान)

Shri Veerappa Moily raised two issues. He asked as to why these two members, if they disapprove the recommendation, will not be carried out. It is a six-member Commission. Veerappa Moilyji may be knowing as he is the former Law Minister of India. So many recommendations came to him which now comes to me where a judge is also deferred. One is a dissenter and two is a voice of reason to be considered out of six. I am not saying all this. There is a judgment of 1998 of the Supreme Court whereby the special reference was made. This was before nine judges of the Supreme Court. This was reported in 1998, Volume VII SCC and the page is 739. I would like to read it for Shri Veerappa Moilyji. It says;

"Normally, the collegiums should make its recommendation on the basis of consensus but in case of difference of opinion no one would be appointed if the CJI dissents. If two or more members of the collegiums dissent, CJI should not persist with the recommendations."

Even in the Judgement or in the editorial note, it is there. The point I am saying is that if the members of four collegium are being given respect that if two decide to oppose, do not persist. Why should not the National Judicial Commission have the same provision, namely, if two members persist, do not recommend? I do not understand this whole question of veto. Who knows, two judges may oppose; who knows, the Law Minister and the CJI may together oppose; and who knows, one of the members and one of the judges may oppose? Therefore, a lot of flexibility is available but this provision of two members dissent is also in operation, as I told you, in the earlier collegium system.

Shri Veerappa Moilyji has raised one more issue. I would like to address that. In Clause VII of the Bill, I had kept a provision that if the President of India, constitutionally speaking, decides to refer the recommendation for reconsideration in that event the decision must be unanimous. Here there is an objection that it may be open to abuse that the Government would like to again try to influence. I would like to clarify this House, hon. Deputy-Speaker, Sir, that the Government has got no such intention. If the President of India, as the highest constitutional authority, thinks that there are reasons, then it may be considered by the Commission, and let the Committee take a unanimous view because if two members can feel that way, if you want to reiterate the advice of the President. But, Sir, I have taken his point. Giving due consideration to his advice, I propose to move an official amendment, and because of shortage of time, I have not been able to circulate. I will just read it to all the Members of this House. Sir, I will do it separately.

Shri Veerappa Moily ji, I have to follow certain procedures. When I come to the Bill, I will have to move it, and I will just do that.

As far as this amendment is concerned, the sum and substance is this. I will move it formally later on. Let me explain to you and to the House as to what is that. If the President recommends back the reference of the Commission for

reconsideration, the Commission shall act in the same manner as they do while appointing the High Court and the Supreme Court judges. That means, the same procedure shall be followed, namely, if two members are not supportive of it, you will not consider or other manners laid down by the regulations. Therefore, the plea of unanimity is no more being insisted. I must indicate that. Shri Veerappa Moily ji requested, I considered and I have agreed for that. I would like to tell that to the House.

Now, I come to the other issue. Shri Bhartruhari Mahtab is not here. He raised the issue, why not the Legislature be consulted. It is quite a valid point. In many parts of the world, you have the Legislature confirming this. But I would like to quote Ambedkar again. In 1950, this provision was there. Shri Ambedkar said: "No. If we are not giving a veto to the President, we cannot give a veto to the House also, we cannot give a veto to the Chief Justice of India also because if this kind of situation comes, it may be open to a lot of pressures, pulls and political considerations.

I would like to convey to this House - there was a view – that while making this new process, the Government also must give names, the State Government and the Central Government must also give names. But we have avoided that for the simple reason the sanctity of the institution of judiciary is to be maintained. Yes, there are forums to convey their names. The names will be considered by the Chief Justice, by the Chief Minister, by the Governor, and their views will be taken.

Now, I come to the other issue, that is, about the primacy of judiciary. I think, Shri Veerappa Moily raised some issue and someone else raised this issue. Even in the present Bill, the primacy of judiciary is very much there. Let me recount that the Chief Justice of India is the Head of the Commission. Two senior most judges are there. The Chief Justice is a part of the team consisting of the Prime Minister, the Chief Justice, and the Leader of Opposition or the largest single Party in Opposition to select two eminent members. The names are set in

motion by the Chief Justice of the High Court concerned. Therefore, everywhere the primacy of judiciary is there. But, yes, what is the difference? Consultation has been made more meaningful. I would like to say this while recognizing the importance and sanctity of judiciary.

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसे विषय पर आना चाहूंगा, जिसकी चर्चा माननीय राम विलास पासवान जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने की। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कई ऐसे वर्ग, जिनका न्यायपालिका में स्थान होना चाहिए, वे नहीं हैं। राम विलास पासवान जी ने अपनी चिंता बहुत सही जाहिर की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसमें कहा गया है कि -- we must ensure that woman/OBC/STSC also come.

लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं हुआ है। हमारी यह कोशिश होगी कि कमिशन को भी अधिकार है नाम मंगाने का, तो रिजर्व्ड कैटेगरी के अच्छे वकीलों का डाटा बैंक बनाया जाए। श्री रामविलास जी, यह मेरी इच्छा है। कमिशन का जो दफ्तर बनेगा, तो आगे रेगुलेशंस भी बनेगा, इसकी चर्चा मैंने उनसे की है, रेगुलेशंस भी साथ में बैठकर चीफ जस्टिस बनाएंगे। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि देश में एससी वर्ग के जो अच्छे वकील हैं, उनका डाटा बैंक बने, एसटी के बहुत कम वकील हैं, उनका डाटा बैंक बने, जो लेडीज़ जजेज़ हैं, उनका डाटा बैंक बने, वे कैसे बहस कर रहे हैं, उस पर कितना रिपोर्ट हो रहा है, उनका परफॉरमेंस क्या है, इसको जांचने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जानबूझकर चर्चा करके, हमने इसीलिए ऐसा रखा कि कमिशन भी हाई कोर्ट के जजेज का नाम देगा, उसका यही परपस है कि यदि इस तरह के वर्गों के लोगों का नाम छूटा है, तो कमिशन नाम भेजेगा कि हमारे डाटा में ओबीसी, महिलाएँ, एससी, एसटी, मायनॉरिटी आदि वर्गों के हाई कोर्ट के अच्छे वकीलों की सूची है, आप इन पर विचार कीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पटना का हूँ और श्री रामविलास जी बिहार से हैं, इस सदन में वहाँ से कई लोग हैं। श्री मुलायम सिंह जी, पटना में एक "सुपर-30 " चलता है। इसके बारे में श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी भी जानते हैं। इसे चलाने वाले श्री आनन्द हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। वे गरीब, उपेक्षित एससी, एसटी, तथा रिक्शा चलाने वालों के बच्चों को पढ़ाते हैं और वे बच्चे आईआईटी में टॉप कर रहे हैं। आज उनका देश में एक नाम बन रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: वे अपनी मेहनत पर कर रहे हैं। एससी, एसटी के लिए अलग है।

श्री रिव शंकर प्रसाद : इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात का विशेष प्रयास, हम किमशन के माध्यम से करेंगे कि ऐसे वर्गों को न्यापालिका की नियुक्ति में, जजेज़ की नियुक्ति में स्थान मिले। इन वर्गों के लोगों को योग्यता, प्रतिभा और क्षमता पर स्थान मिले।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मुझे एक ही बात का क्लैरिफिकेशन करना है, आप जो कह रहे थे, मुझे उसमें यही पूछना है कि जब तक मैनडेटरी प्रोविज़न नहीं होता, तब तक एससीज,एसटीज, बैकवर्ड्स, मायनॉरिटीज को जगह नहीं मिलती है। आप बोल रहे हैं कि इसे रेगुलेशन में लाएंगे और नाम मंगवाएंगे, जैसा कि आप किमटमेंट से बोल रहे हैं, यदि यही किमटमेंट प्रत्येक लॉ मिनिस्टर का होगा और किमशन का होगा, तब ठीक है, लेकिन in the absence of mandatory law, it is very difficult, भविष्य में भी ऐसा ही होगा और नाम बुलाए जाएंगे और वे चूज़ करेंगे। Therefore, it is better to have some mandatory provisions. As you have said, you are bringing some amendments, as Moilyji pointed out and you agreed. For this also, you make some mandatory provisions so that it will be all right.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: As I told, hon. Deputy-Speaker, Sir, in the present memorandum of the procedure itself, in the collegiums system it is there. When the regulation will be there, certainly, it will be considered.

But with his wide experience, Khargeji, let me tell you, it depends ultimately upon the commitment of the people concerned. In our Government though there is no 33 per cent reservations, but kindly see in the Cabinet how many women Ministers are there. Let him just recount them. Sushma Swaraji is there; Maneka Gandhiji is there; Uma Bharati is there; Smriti Irani is there; Harsimrat Kaur is there; Nirmala Sitharaman is there. All are holding important portfolios. Why not?

13.22 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

Therefore, if the nominee process is alive to those considerations, I am sure it will be taken care of.

Madam, I am very sorry. Hon. Speaker is also a woman. Therefore, this kind of respect we have given. Surely, when it comes to appointment of Judges, we will surely take this into account.

You are talking of reservation in the Judiciary. That is a larger issue. We will have to consider it separately.

Now, Sir, I come to what Ram Vilasji stated about All India Judicial Service. Many of other Members also stated this. Hon. Veerappa Moilyji is a former Law Minister of India, would know it. Ram Vilasji, this is an issue, which has been pending for the last 40 years. Many States agree and many States do not agree. They say, it is an attack on federal principle. I also see the point, which you stated, if there are brilliant law graduates, after eight to nine years of practice, they can become Additional District Judges straightaway and District Judges including from reserved category, and also become High Court Judges. But the existing Judiciary in the States oppose it saying: "why are you killing my rights?" The Chief Minister also says: "It is my right as a federal Chief Minister. Why is there an All India Service apart from IAS and IPS?"

So, these are issues which have to be clarified and considered. I take on board your concerns. I know Veerappa Moily Ji also knows how it has been pending for the last so many years. But I will try to ensure that a consensus is built on this issue and this I would like to assure the House.

Now, I would like to share with this House one important fact. How do we work? Why should we have this impression that Judiciary and Executive will always have differences of opinion? Let me tell this House that so many Tribunals' Chairmen are appointed. There are about 8-9 Tribunals—Central Administrative Tribunal, SEBI Appellate Tribunal, Competition Appellate Tribunal, Debt Recovery Tribunal and others. All is headed by retired judges and executive members, retired Secretaries or other eminent people. How are they appointed? They are appointed by the nominee of the Chief Justice of India, Secretary, Department of Law, Finance Secretary and Secretary of DoPT. Have you ever heard the case that the view of the nominee of the Chief Justice of India has been ignored? No, we have been working so satisfactorily. Therefore, there is no reason for all these apprehensions.

The National Judicial Commission will have matured people. The CJI, two senior-most judges, the Law Minister of India, two eminent persons—all are matured senior people. Surely, they will work in coordination. The larger objective would be that those who are the best must be appointed as judge of the Supreme Court and High Courts and the voices of those who are ignored must also come in the judicial appointment. I am sure they will work collectively.

I think Mr. Kalyan Banerjee is not here. Bandyopadhyay Ji, he raised an issue about seniority of judges. Yes, I agree with his concern. Many of the good High Court Chief Justices have not been promoted in the collegium system. I am speaking less as the Law Minister of India, more as a senior lawyer and as a concerned citizen that many of the eminent judges of the High Courts and the Chief Justices, who could have been elevated, were not elevated. Why? There is no answer. He talked about Mr. Bhattacharya. He is a brilliant judge. He ought to have been promoted. But the seniority will have to be considered, apart from the High Court and also the region. Suppose in Mumbai or in Kolkata or in Delhi, there are senior judges. Should we see that only judges from these High Courts go to the Supreme Court? Or, there must be a system where judges from the entire country are also reflected. Therefore, we will have to be a little flexible. Therefore, I have said, yes, apart from seniority while appointing judges of the Supreme Court, ability and merit should also be considered.

It should not be a case of seniority. Madam, Advani Ji is also here. He is very well read in Constitutional affairs. I would like to inform this House that Mr. V.R. Krishna Iyer was brought to the Supreme Court. He was seventh in the order of seniority, yet, he was brought. What a brilliant judge he became. I know many good judges could not come. Mohammed Carim Chagla was chief for 11 years in Bombay High Court. He could not come to the Supreme Court. I know G.P. Singh whom talked about. I talked about Justice Jagmohan Lal Sinha who gave the historic judgement of Allahabad High Court about the election of Indira Gandhi. He could not come to the Supreme Court. Therefore, we know of good judges who

could not come to the Supreme Court. Therefore, it is very important that apart from seniority, the ability and merit of High Court judges must be properly considered for elevation to the Supreme Court of India.I am sure the Commission will take care of that. Therefore, this provision is there.

As far as appointment of lawyer is concerned, there have been good and eminent lawyers but hardly four have been appointed. I would like that let good lawyers also come to the Supreme Court of India.

Similarly, in the case of High Courts, let me make some general observation today because it is very important. What happens? Mr. Kalyan Banerjee rightly raised that issue. Suppose a good lawyer, who is 48 years old, is not considered at the right time, and a lawyer, who is 46 years old, is appointed earlier but not outstanding as he is, he says, why should I join now? I will become junior. Let me remain in practice. Therefore, while appointing judges, I am sure the Commission headed by the Chief Justice of India would consider that eminent, promising, young lawyers of integrity and ability are made judges at the right time so that they are able to serve the institution. It is indeed very important and I would like to emphasise it.

The second issue is, while considering these appointments, the nature of whole architecture, which we have brought about, will be working in a manner that there is a proper balance of opinion and consideration of each other views, giving due primacy to the views of the Chief Justice of India and two senior most judges.

Madam Speaker, let me say something very interesting. Before 1993, the Executive had an important role. We all know that. In the S.P. Gupta case, the Supreme Court said, Executive's role is 'primacy'. But, let me say something. Right from 26th of January, 1950 till 1993, some of the finest judges of India – Supreme Court and High Courts – came from the earlier system. Some missed out also. Can we say today, Mr. Veerappa Moily, that after 1993 in the collegium system we have got the best judges? Obviously, there have been very good judges,

very good Chief Justices, I must acknowledge it. But, if we say that in the collegium system all good judges have come, I think that claim we cannot make.

This is not that this need for change is something a decision of our Government only. As I said earlier, while introducing the Bill, for 20 years this has been pending. Five to six Commissions, including the Administrative Reforms Commission headed by Mr. Veerappa Moily and so many Constitution Review Commissions have recommended it. Even the views of Shri Venkatachaliah, the former Chief Justice of India, who headed the Constitution Review Commission, are there. The Law Commission's view is there. Therefore, it is a collective exercise in existence for the last 20 years, which was saying to change the collegium system.

Now, I have two short points, before I conclude. Someone said, how the Commission will take this load. Mr. Premachandran has moved the amendment, 'make the Registrar General'. I would request you to withdraw your amendment for the following reasons. The Secretary, Justice has been made the Member and not the Convener because all the information come to the Secretary, Justice about the working of the High Courts all over the country. For smooth functioning of the Commission, it is very important that the Justice, Secretary must be there.

The other issue stated is about making it a permanent body. If we make a permanent body, then there will be some retired judges. I would request those Members to consider that the sitting Chief Justice is the head of the Judiciary. The two senior most judges are important and they all come to that. The sitting Chief Justice of the High Court is important. अगर आप कहेंगे कि इन सभी को छोड़ कर एक परमानेंट बॉडी बनाओ, तो उनके व्यू का क्या होगा, इसलिए यह पूरा नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन ठीक से चले, हैड ऑफ दी ज्यूडिशरी का भी सम्मान हो, हाई कोर्ट के हैड का भी सम्मान हो, मुख्य मंत्री का भी सम्मान हो, गवर्नर की भावनाओं पर भी विचार हो, लॉ मिनिस्टर भी अपनी बात रखें, एमीनेंट पर्सन भी अपनी बात रखें, तो यह पूरा सिस्टम बहुत सोच-समझ कर बनाया गया है। यह बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हं।

Hon. Speaker, Madam, with these words, I conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, the hon. Minister misunderstood the amendment, which I have proposed. My amendment is not in respect of the appointment of Secretary to the Commission. My amendment is in respect of reporting of vacancies. We are not moving the amendments now. In clause 4 of the Bill, it is mentioned that the Central Government shall within a period 30 days, intimate the vacancies to the Commission. My point is that we should maintain the separation of the Judiciary. The Bill should give a message that independence of the Judiciary is maintained by the Legislature. Why should the Central Government report the vacancies to the Judicial Appointment Commission? Let the Judiciary recommend it. So, it is a small and harmless amendment. But the message is very clear. The Central Government is taking the entire powers to report the vacancies to the Judicial Appointments Commission to fill the vacancies. It should be that the Judiciary has to say that such and such vacancies are there, which need to be filled. That reporting right should be given to the Judiciary. Then only we can say that the Judiciary is separate and the Executive is separate. That is my amendment. It is just to prove the intention of the Legislature. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I think, Shri Premachandran, you would know that I am also the former Law Minister of India and Shri Moily is also sitting here.

The Justice Department maintains the entire list of the judges of India of who is retiring when, not from now but since 1950. It is more than, I would say, 64 years. By the way, will the independence of the Judiciary be sanctified only when Registrar is given the reporting authority? This House yesterday has confirmed so openly that this House respects the independence of the Judiciary. That assurance is more important and not the reporting of the Registrar. I would like to say that. Therefore, I think that you need to withdraw that.

Madam, I think, I have replied to all the other issues raised by the Members. I have not taken the names, but let me repeat that with profound respect,

I thank all the Members who have participated. We have seen the collective consensus which has emerged in the House about the entire functioning and the entire need of it. I salute the Members. Let a message go to the country that the polity of India reflected by this greatest institution of Indian democracy is one for independence and integrity of Judiciary, but surely, the system of appointment needs to be changed.

With these words, I would move the Constitution (Amendment) Bill and the amendment for the kind consideration of the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, my query relates to the National Judicial Appointment Commission Bill. It is about clause 7 where the power of President to require reconsideration has been given. I would like to read those two paragraphs and put that question. It reads:

"Provided that the President may, if considered necessary, require the Commission to reconsider, either generally or otherwise, the recommendations made by it."

There is another proviso which reads:

"Provided the Commission makes unanimous recommendation after reconsideration..."

The point which I had made in my speech yesterday was relating to independence of Judiciary and that it should be maintained. In that, following the independence of the Judiciary, Shri Moily had mentioned about the issue of veto. I want to extend that question a little bit. I hope that the Minister is considering or will come up with certain clarifications in that regard. Is it not true that once hon. President sends the recommendation of the National Judicial Appointments Commission for reconsideration and there is no consensus on the list, the recommendation becomes infructuous because once the word 'consensus' is there, it means that even if one single member disagrees, it is not consensus. In that respect, I would like to know whether the recommendation of the Chief Justice of

India is also dropped. How are they going to correct that? Here, the independence of Judiciary also is being compromised.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Mahtabji, you are a very distinguished friend and hon. Member. You were not here when I was explaining. I have explained that I am going to amend that particular provision.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I was present. You did not explain. You were advised not to.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I had explained that. Let me just repeat what I said.

I conveyed my appreciation to Shri Veerappa Moily. He had raised it and you had also raised. I had proposed in the Bill that the views of the President must be given due consideration. If you want to reject his view, then come with a unanimous recommendation. There is no element of veto at all. I was talking about the President of India, not the Law Minister. Seeing the views of the House, I will just move an official amendment stating *inter alia* that if the President sends a request for reconsideration, then such request shall be considered in the same manner as in Section 5 and Section 6. Therefore, unanimity issue goes and if two members say 'no', it will be considered. I have explained it about the collegium's view also.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: If there is a single member who says 'no'.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: A single member becomes a dissenter; two members become a weight in six. This is how you have to see it.

HON. SPEAKER: Firstly, before I put the motion for consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-First Amendment) Bill, 2014 to the vote of the House, I may inform the House that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division. Since Division Numbers have not been allotted, the Division shall take place by distribution of slips to the Members.

So, let the Lobbies be cleared --

Now, the Lobbies have been cleared.

Now, the Secretary-General will inform about the procedure of voting by

distribution of slips. किस तरीके से वोटिंग करनी है, सैक्रेटरी जनरल आपको बताएंगे, ध्यान से सुनें।

ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

SECRETARY-GENERAL: I have to inform the hon. Members that as the

Division Numbers have not so far been allotted to members, it is not possible to

hold the Division by the Automatic Vote Recording machine. Division will now

take place under rule 367 AA by distribution of slips.

Members will be supplied at their seats with 'Aye/No' printed slips for

recording their votes. 'Aye' slips are printed on one side in green, both in English

and Hindi and 'No' in red on its reverse. On the slips, members may kindly record

votes of their choice by signing and writing legibly their names, Identity card

numbers, constituency and State/Union Territory and date at the place specified on

the slip. Members who desire to record 'Abstention' may ask for the 'Abstention'

(yellow colour) slip. Immediately after recording their vote, each member should

pass on the slip to the Division Officer who will come to their seat to collect the

same for handing over to the Officers at the Table. Members are requested to fill

in only one slip for Division.

Members are also requested not to leave their seats till the slips are

collected by the Division Officers.

14.00 hrs

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken

into consideration."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. -I

AYES

14.05 hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Anwar, Shri Tariq

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chavan, Shri Harishchandra

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Babulal

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dattatreya, Shri Bandaru

De, Dr. Ratna (Nag)

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gohain, Shri Rajen

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hazra, Dr. Anupam

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karandlaje, Kumari Shobha

Karra, Shri Tariq Hameed

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Virender

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Saumitra

Khanduri, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Kaushal

Kirtikar, Shri Gajanan

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balbhadra

Mani, Shri Jose K.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri M. Murli

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mufti, Ms. Mehbooba

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagesh, Shri Godam

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M. B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramchandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Muthamsetti Srinivasa [Avanthi]

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Salim, Shri Mohammad

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sarnia, Shri Naba Kumar

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Shanavas, Shri M.I.

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shirole, Shri Anil

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Prabhas Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hemendra Chandra

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Rao Inderjit

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Virendra

ËSinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya

Supriyo, Shri Babul

Swain, Shri Ladu Kishore

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Anurag Singh

Tripathi, Shri Sharad

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

NIL

ABSTAIN

Arunmozhithevan, Shri A.

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Elumalai, Shri V.

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Hari, Shri G.

Jayavardhan, Dr. J.

Kamaraj, Dr. K.

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Nagarajan, Shri P.

Natterjee, Shri J.J.T.

Panneerselvam, Shri V.

Parthipan, Shri R.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Radhakrishnan, Shri T.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajendran, Shri S.

Ramachandran, Shri K. N.

Sathyabama, Shrimati V.

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Sundaram, Shri P. R.

Thambidurai, Dr. M.

Udhayakumar, Shri M.

Vanaroja, Shrimati R.

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Vijaya Kumar, Shri S. R.

HON. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 315

Noes: Nil

Abstain: 033

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, लंच का क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष: पहले ही बोल दिया है कि आज लंच ब्रेक नहीं होना है। Hon. Members, Dr. M. Thambidurai does not want to move his amendments to clause 3. As such, there are no amendments to clauses 2 to 10. If the House agrees, I shall put clauses 2 to 10 together to the vote of the House in which case, the result of the voting shall be taken as applicable to each clause.

The Lobbies have already been cleared....

I shall now put clauses 2 to 10 to the vote of the House.

The question is:

"That clauses 2 to 10 stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. -II

AYES

14.20 hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Anwar, Shri Tariq

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chavan, Shri Harishchandra

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Babulal

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dattatreya, Shri Bandaru

De, Dr. Ratna (Nag)

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gohain, Shri Rajen

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hazra, Dr. Anupam

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karandlaje, Kumari Shobha

Karra, Shri Tariq Hameed

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Virender

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Saumitra

Khanduri, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Kaushal

Kirtikar, Shri Gajanan

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balbhadra

Mani, Shri Jose K.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri M. Murli

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mufti, Ms. Mehbooba

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagesh, Shri Godam

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M. B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramchandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Muthamsetti Srinivasa [Avanthi]

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Salim, Shri Mohammad

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sarnia, Shri Naba Kumar

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Shanavas, Shri M.I.

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shirole, Shri Anil

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Prabhas Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hemendra Chandra

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Rao Inderjit

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Virendra

ËSinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya

Supriyo, Shri Babul

Swain, Shri Ladu Kishore

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Anurag Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

NIL

ABSTAIN

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Elumalai, Shri V.

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Hari, Shri G.

Jayavardhan, Dr. J.

Kamaraj, Dr. K.

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Nagarajan, Shri P.

Natterjee, Shri J.J.T.

Panneerselvam, Shri V.

Parthipan, Shri R.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Radhakrishnan, Shri T.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajendran, Shri S.

Ramachandran, Shri K. N.

Sathyabama, Shrimati V.

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Sundaram, Shri P. R.

Thambidurai, Dr. M.

Udhayakumar, Shri M.

Vanaroja, Shrimati R.

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Vijaya Kumar, Shri S. R.

HON. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 315

Noes: Nil

Abstain: 032

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1 Short title and commencement.

(1) "

HON. SPEAKER: There is an amendment to Clause 1. Now, the Minister to move amendment No.1

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I beg to move:

"Page 1, line 2, -for "One Hundred and Twenty First"
substitute "Ninety-ninth"

माननीय अध्यक्ष: आपने अमेंडमेंट मृव कर दिया।

श्री रिव शंकर प्रसाद: मैंने अमेंडमेंट मूव कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष: क्या आपको इस पर कुछ बोलना है?

श्री रिव शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, यह अमेंडमेंट बहुत ही छोटा है, पहले हमने इसका नम्बर 121 अमेंडमेंट रखा था, गिनती करने पर आया कि यह 99 होगा, इसका नम्बर ठीक कर रहे हैं। संविधान के संशोधन में संविधान के संशोधन का नम्बर कितना है, वह देना पड़ता है। पहले हमने काउंट किया था तो यह 121 था, जब हमने पूरी काउंटिंग की तो मालूम हुआ कि कई संविधान के संशोधन पैंडिंग हैं, चूंकि यह पास हो रहा है, इसलिए इसका सही नम्बर 99 होगा, उसी अनुरूप में इसका हम संशोधन कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

"Page 1, line 2, -for "One Hundred and Twenty First"
substitute "Ninety-ninth"

(1)"

The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष: कृपा कर जो माननीय सदस्य हाउस में हैं, वे बैठ जाइए। उसके बाद लॉबी क्लियर करेंगे।

श्री रिव शंकर प्रसाद: एक बार घंटी बजवा दें।

HON. SPEAKER: Let the Lobbies be cleared—

Now, the Lobbies have been cleared.

I shall now put clause 1, as amended, to the vote of the House.

The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. -III

<u>AYES</u>

14.45 hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Anwar, Shri Tariq

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Barne, Shri Shrirang Appa

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dattatreya, Shri Bandaru

De, Dr. Ratna (Nag)

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay

Dohre, Shri Ashok Kumar

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Faizal, Mohammed

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hazra, Dr. Anupam

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayadevan, Shri C. N.

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai Bhikhabhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karandlaje, Kumari Shobha

Karra, Shri Tariq Hameed

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Saumitra

Khanduri, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Kirtikar, Shri Gajanan

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Dr. Mriganka

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Malviya, Prof. Chintamani

Mandal, Dr. Tapas

Mani, Shri Jose K.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mufti, Ms. Mehbooba

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

Naik, Shri Shripad Yesso

Nath, Shri Chand

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Jagdambika

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri Bheemrao B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M. B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramchandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Muthamsetti Srinivasa [Avanthi]

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Renuka, Shrimati Butta

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Ruala, Shri C.L.

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Salim, Shri Mohammad

Samal, Dr. Kulmani

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarnia, Shri Naba Kumar

Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Sethi, Shri Arjun Charan

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Shanavas, Shri M.I.

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shirole, Shri Anil

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hemendra Chandra

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Rao Inderjit

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya

Supriyo, Shri Babul

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Swain, Shri Ladu Kishore

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

NIL

ABSTAIN

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Elumalai, Shri V.

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Hari, Shri G.

Jayavardhan, Dr. J.

Kamaraj, Dr. K.

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Mahendran, Shri C.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Nagarajan, Shri P.

Natterjee, Shri J.J.T.

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Radhakrishnan, Shri T.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajendran, Shri S.

Ramachandran, Shri K. N.

Sathyabama, Shrimati V.

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Sundaram, Shri P. R.

Thambidurai, Dr. M.

Udhayakumar, Shri M.

Vanaroja, Shrimati R.

Vasanthi, Shrimati M.

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Vijaya Kumar, Shri S. R.

HON. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 367

Noes: Nil

Abstain: 035

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Speaker, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. -IV AYES 14.55 hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Anwar, Shri Tariq

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Barne, Shri Shrirang Appa

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dattatreya, Shri Bandaru

De, Dr. Ratna (Nag)

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay

Dohre, Shri Ashok Kumar

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Faizal, Mohammed

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hazra, Dr. Anupam

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayadevan, Shri C. N.

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karandlaje, Kumari Shobha

Karra, Shri Tariq Hameed

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Saumitra

Khanduri, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Kirtikar, Shri Gajanan

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Dr. Mriganka

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Malviya, Prof. Chintamani

Mandal, Dr. Tapas

Mani, Shri Jose K.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mufti, Ms. Mehbooba

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

Naik, Shri Shripad Yesso

Nath, Shri Chand

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Jagdambika

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri Bheemrao B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M. B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramchandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Muthamsetti Srinivasa [Avanthi]

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Renuka, Shrimati Butta

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Ruala, Shri C.L.

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Salim, Shri Mohammad

Samal, Dr. Kulmani

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarnia, Shri Naba Kumar

Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Sethi, Shri Arjun Charan

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Shanavas, Shri M.I.

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shirole, Shri Anil

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hemendra Chandra

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Rao Inderjit

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya

Supriyo, Shri Babul

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Swain, Shri Ladu Kishore

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

NIL

ABSTAIN

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Elumalai, Shri V.

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Hari, Shri G.

Jayavardhan, Dr. J.

Kamaraj, Dr. K.

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Mahendran, Shri C.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Nagarajan, Shri P.

Natterjee, Shri J.J.T.

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Radhakrishnan, Shri T.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajendran, Shri S.

Ramachandran, Shri K. N.

Sathyabama, Shrimati V.

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Sundaram, Shri P. R.

Thambidurai, Dr. M.

Udhayakumar, Shri M.

Vanaroja, Shrimati R.

Vasanthi, Shrimati M.

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Vijaya Kumar, Shri S. R.

HON. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 367

Noes: Nil

Abstain: 035

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Bill, as amended, is passed by the requisite majority, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: I shall now put to the vote of the House the motion for consideration of National Judicial Appointments Commission Bill.

The question is:

"That the Bill to regulate the procedure to be followed by the National Judicial Appointments Commission for recommending persons for appointment as the Chief Justice of India and other Judges of the Supreme Court and Chief Justices and other Judges of High Courts and for their transfers and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move amendment Nos.6, 7 and 8. Are you moving?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: In the light of the assurance given by the hon. Minister that the Government has no intention to interfere in the internal administration of the judiciary, and also in the light of a matter which has been brought to the House that the Department of Justice is well equipped with the vacancy position of the Judges, I withdraw those three amendments in my name.

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clauses 4 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

Clause 7

Power of President to require reconsideration.

Amendment made:

Page 3, for lines 26 and 27, Substitute

"Provided further that if the Commission, makes a recommendation after reconsideration in accordance with the provisions contained in sections 5 or 6, the President shall make the appointment accordingly." (9)

(Ravi Shankar Prasad)

HON. SPEKAER: The question is:

"That Clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 14 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

15.00 hrs

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill as amended be passed.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, there a discussion about the atrocities against women. We will conclude it. ... (*Interruptions*) Let the Minister respond to that discussion; then, we will go to the other item. Otherwise it will take more time. If there are other hon. Members who want to speak I would request the hon. Members who have given their names to please bear in mind that it has been discussed at length. So, let the Minister respond to that discussion. After that, we will take up the other issues.

HON. SPEAKER: Do you want it after Calling Attention or before that?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: First, we shall have the reply and then the Calling Attention please, Madam. After that we can take up what Shri Kharge wanted. All of this will be taken up today itself. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: केवल रिप्लाई देना है, उसके बाद दूसरा विषय लेंगे। अभी तो तीन ही बजे हैं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, Calling Attention can be taken up now; immediately after that the other subject can be taken up. The reply can be given afterwards. That is what you have promised. ... (*Interruptions*) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have no problem. If you want Calling Attention first and then the next discussion, the Government has no problem. Is that what you want? ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: By raising such questions, do not put me in an embarrassing position. I have already stated what I wanted to say about the promise made. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, रिप्लाई कल हो जाएगा। अभी कॉलिंग अटेंशन ले लेते हैं। श्री किरीट सोमैया। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let there be some order in the House please. कृपया सदन में शांति बनाए रखें। जिन माननीय सदस्यों को जाना है, वे शांति से जाएं, बातें न करें।

15.05 hrs

$\frac{CALLING\ ATTENTION\ TO\ MATTER\ OF\ URGENT\ PUBLIC}{\underline{IMPORTANCE}}$

Need to exempt residential colonies as well as vacant land of Defence from obtaining NOC from Ministry of Defence to carry out development work

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Madam, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"To exempt residential colonies as well as vacant land of Defence from otaining NOC from Ministry of Defence to carry development work."

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, the issue of No Objection Certificate (NOC) for construction on lands adjacent to the Defence Establishments had generated controversy particularly in two cases of Sukhna and Adarsh Housing Cooperative Society, Mumbai. Various issues involved in these two cases were reviewed and the matter was considered in detail by the Government in consultation with the Services and other Defence organizations. It was felt that Works of Defence Act, 1903, which imposes restrictions on the use and enjoyment of land in the vicinity of Defence Establishments, needed comprehensive amendment so as to take care of security concerns of Defence Forces. Pending amendment in the Works of Defence Act, it was felt necessary to issue instructions in the interim, to regulate the grant of NOC for construction being undertaken in the vicinity of Defence Establishments. The objective of these instructions is to strike a balance between the security concerns of the Forces and the right of the public to undertake the construction activities on their land.

2. Instructions issued for grant of NOC for building constructions in the vicinity of Defence Establishment *vide* Ministry of Defence Letter No. 11026/2/2011 D(lands) dated 18th May 2011, stipulate the following:

- (a) Where local municipal laws require consultation with the Station Commander before a building plan is approved, the Station Commander may convey his views after seeking approval from the next higher authority not below the rank of a Brigadier or equivalent within four months of the receipt of such requests or within the specified period if any required by law. Objections/views/NOCs will be conveyed only to the State Government agencies or to the Municipal authorities, and under no circumstances shall be conveyed to the builders/private parties.
- (b) Where local municipal laws do not so require, and the Station Commander feels that any construction coming up within 100 metres (for multi-storey buildings of more than four storeys the distance shall be 500 metres) radius of the Defence Establishments can be a security hazard, the Station Commander can convey his objection to the local municipality after seeking approval of the next higher authority in the chain of command. In case the next higher authority is also convinced, then the Station Commander may convey its objections/views to the local municipality or the State Government agencies. If the local municipality or the State Government does not take cognizance of the objections, matter may be taken up with the higher authorities, if need be through Army Headquarters, Ministry of Defence.
- (c) Objections/views/NOCs shall not be given by any authority other than Station Commander to the local municipality or the State Government agencies and shall not be given directly to private parties/builders under any circumstances.
- (d) NOCs once issued will not be withdrawn without the approval of the Service Headquarters.

(e) These instructions will not apply where constructions are regulated by the provisions of the existing Acts or Notifications. In such cases provisions of the concerned Act/Notification will continue to prevail.

- 3. Following the issue of these instructions references and representations were received by the Ministry of Defence raising several issues about the guidelines. It has therefore been decided to carry out a comprehensive review of the above guidelines/instructions dated 18.5.2011. The terms of reference for the review have been circulated to all Service Headquarters and Defence Organizations for obtaining their comments, suggestions and recommendations for changes if any.
- डॉ. किरीट सोमेया : अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। कल आपको श्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला, इसलिए बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूं कि आज के रिप्लाई के पैरा 3 में माननीय मंत्री जी ने रिव्यू की बात कही है। तीन साल से हिंदुस्तान के 500 शहर के लोग परेशान हैं। घोटाला हुआ आदर्श का, उसमें सब छुट रहे हैं, लेकिन फंस गये 50 लाख आम नागरिक। मुम्बई हो, पूणे हो, जबलपुर हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि इंदौर हो या महूं हो, आपको भी इस विषय की जानकारी है कि जिस प्रकार से आर्बिट्रेरी सर्कूलर 2011 में निकाला गया। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुम्बई जैसे शहर में 500 मीटर इस पार और 500 मीटर इस पार डिफेंस की 187 से ज्यादा लैंड हैं, छोटे-छोटे ट्कड़े हैं, इन सब पर यह कानून लागु कर दिया। अब जु-एरिया में स्कुल कॉलेज हैं, जिनमें हम सब जाते हैं, हमारे बच्चे पढे हैं, वहां विले-पार्ले केलवानी मंडल स्कूल के एक्सपेंशन पर रोक लगा दी, क्योंकि वहां पर एक आर्मी क्लब है। आर्मी क्लब की डिफेंस लैण्ड है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उसका रिव्यू जल्दी से जल्दी हो। मेरी दूसरी प्रार्थना है कि करैक्शन लेकर आएं कि those defence establishments which are security sensitive, उन पर यह कानून लागू करें। मैं मुम्बई का उदाहरण दूं तो चाहे कांदीवली हो, मलांड हो या वर्ली में स्कीम है एसआरएस झौपड़ पटटी पूनर्वसन, वहां 27 माले की बिल्डिंग बन गयी, उसको एनओसी मिल गयी, लेकिन जिस झुग्गी-झौपड़ी वाले ने पांच माले का मकान बनाया, उनको एनओसी नहीं मिल रही है। पिछले तीन साल में एक एनओसी नहीं दी गयी। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहुंगा कि this circular itself is illegal. जिस वर्ष 1903 के कानून का रैफर किया

गया है, उस कानून का मैं तो विद्यार्थी हूं और आपसे काफी सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसके रिव्यू करने के लिए, क्योंकि पिछले तीन साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं, मेरे साथ मेरे सांसद मित्र भी हैं, लेकिन डिफेंस मंत्रालय हमारा साथ नहीं दे रहा था। दो महीने में मंत्री जी ने रिव्यू करने का निर्णय लिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसका रिव्यू एक टाइम पीरियड में हो जाए, तब तक के लिए सिक्योरिटी सेन्सटीव जोन छोड़ कर बाकी इलाके, स्कूल और उनके डेवलपमेंट को अनुमित प्रदान की जाए, यही प्रार्थना है।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, किरीट सोमैया जी ने इस विषय को बहुत ही विस्तार से रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान कांदीवली और मलाड की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदया, कांदीवली और मलांड का जो सीओडी ऑर्डिनेन्स डिपो है, यह पहले कोलांबा से लेकर बांद्रा तक मुम्बई शहर हुआ करता था। अब मुम्बई शहर दहीसर क्रॉस करके बांद्रा तक पहुंच गया है और यह सीओडी ऑर्डिनेंस डिपो मुम्बई शहर के बीचों-बीच आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां कोई एक्सप्लोसिव मेटीरियल स्टोर नहीं किया जाता है। यहां केवल भंगार गांडियां, टायर्स-ट्यूब्स इत्यादि वस्तुएं रखी गयी हैं। मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि मुम्बई महानगर पालिका के कायदे के मुताबिक वर्ष 2011 से पहले सर्कुलर निकलने से पहले बहुत सी बिल्डिंग्स को एप्रूवल दिया गया था, वह बन चुकी हैं, बहुत सारी तो रेडी हैं और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए रुकी हुई हैं। इस तरह के काम भी इस सर्कूलर की वजह से बंद हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम कांदीवली और मलाडा, और जहां एक्सप्लोसिव मेटीरियल डम्प नहीं होता है, वहां के लिए इस सर्कुलर को तुरन्त विद्रा करके वहां की महानगर पालिका ने जो प्लान मंजूर किए हैं, उनको जैसे थे, वैसी स्थिति में आगे बढ़ने की अनुमित दी जाए।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): अध्यक्ष जी, देश में जितनी भी रक्षा भूमि है, इनका वर्गीकरण है। समय की कमी है, इसलिए में उनके वर्गीकरण के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्गीकरण में ए-1 और ए-2 है। इनके अंतर्गत जो भूमि है, उनमें समस्या नहीं है। इस वर्गीकरण में बी-3 और बी-4 है, इसके अंतर्गत कैंट क्षेत्र में बंगले और खेती की जमीन है, वह है आजादी के पूर्व में जो नोटीफाई सिविल एरिया था, जिनका प्रबंधन कैंट क्षेत्र के हाथ में है, वे भी हैं। सारी समस्याएं इसी बी-3 और बी-4 क्षेत्र में हैं। इसी में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं और इसी में जनता की भी शिकायतें आती हैं। सिविल एरिया के बारे में निर्णय हुआ था कि जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, उसके साथ-साथ सिविल एरिया का विस्तार भी किया जाएगा।

महोदया, माननीय मंत्री जी बहुत गहराई के साथ सारे विषयों को देखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस विषय में भी हमें राहत मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1957 के बाद से सिविल एरिया में कहीं कोई विस्तार नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र जबलपुर में वर्ष 1941 के सैंसस के अनुसार 4700 की आबादी थी, लेकिन आज डेढ़ लाख से ज्यादा की आबादी है, लेकिन सिविल एरिया में किसी तरह का कोई विस्तार नहीं हुआ है। हम यह नहीं कहते कि सेना की जमीन ली जाए या उसमें किसी प्रकार का दखल दिया जाए, लेकिन हर स्थान पर राज्य सरकार की जमीनें और अन्य खाली पड़ी जमीनें सेना के अधिकार में हैं। मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से इतना ही कहना है कि इस तरह की जो जमीनें हैं, इनका समायोजन करके सिविल एरिया में विस्तार किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

इसके साथ-साथ एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है, जो सिविल एरिया में रहने वाले लोगों से संबंधित है। जब उन्हें अपनी जमीन फ्री होल्ड करानी होती है तो उसकी दर चार हजार रुपए प्रति स्केयर फीट होती है। अगर उनके पास 3000 फुट का प्लॉट है और उसमें से मात्र 500 स्क्वायर फिट में भी वे निर्माण करना चाहते हैं तो उनको पूरा 3000 स्क्वयार फिट का फ्रीहोल्ड करके, 4000 रुपये के हिसाब से उसकी दर देनी पड़ती है। इसके कारण ही परेशानी खड़ी होती है कि वे अतिक्रमण करते हैं, बिना अनुमित के निर्माण करते हैं, बाद में सेना उसको तोड़ने की बात करती है, उससे आम जनता और सेना के लोग आमने-सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं।

इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र से भी इन क्षेत्रों के लिए पैसा जाता है लेकिन होता यह है कि यह जो पैसा जाता है, यह पैसा बजाए सिविल एरिया में खर्च होने के, जो बाकी के सैन्य क्षेत्र हैं, उनमें खर्च होता है और इसलिए सिविल एरिया के लोग विकास से मरहूम रहते हैं। उनमें जितना विकास होना चाहिए, वह विकास वहां नहीं हो पाता। एक और विषय था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं कि इन सिविल एरिया में रहने वाले लोगों से जिस तरह से नगर निगम के क्षेत्रों में टैक्स लिया जाता है, वैसे ही इन लोगों से भी टैक्स लिया जाता है। लेकिन 2006 के पूर्व तक इस टैक्स पर किसी भी तरह की अगर वृद्धि कोई करनी हो तो उसके लिए एक कमेटी होती थी, उस कमेटी की राय ली जाती थी। उसमें सिविल एरिया से तीन जानकार लोग लिये जाते थे और ये लोग मिलकर जो रिपोर्ट देते थे, उसके आधार पर टैक्स का निर्धारण किया जाता था। लेकिन 2006 का जो अधिनियम आया, उसके बाद से इस टैक्स समिति का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया और ये सारे अधिकार कैंट बोर्ड के सी.ओ. को दे दिये गये हैं जिसके कारण टैक्स में अव्यावहारिक वृद्धि होने लगी है। ये परेशानियां ऐसी परेशानियां हैं जिनके कारण हम लोगों को भी आएदिन परेशानी होती है। इन सिविल एरिया में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। लेकिन अचानक

उन लोगों को जो तीन-चार पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया जाता है कि अब यह जमीन आपकी नहीं रहेगी, इससे आप बेदखल कर दिये जाएंगे। वे छोटे-छोटे बच्चों को लेकर हम लोगों के घरों में आते हैं। उसमें हर वर्ग के लोग हैं, उनमें एससी, एसटी हैं। ये सभी लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि अब हम कहां जाएं? कई पीढ़ियों से खेती करते करते हमारा जीवन निकल गया। अब हम कहां पर जाकर रहें? इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर किरीट सौमैया जी ने रखा है, उसमें एक बार जो रिव्यू की बात माननीय मंत्री जी ने की है, समय सीमा के भीतर इन सारे विषयों पर अगर रिव्यू कर लिया जाएगा और उचित निर्णय ले लिये जाएंगे तो बार बार होने वाले टकराव को टाला जा सकता है।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): माननीय अध्यक्ष जी, गोपाल शेट्टी जी ने मलाड और कांधीवली का जो सवाल उठाया है, उसमें मैं खुद एक विटनैस हूं। जो कांधीवली ईस्ट रेलवे लाइन के बराबर है, जो डिपो है, यहां रेसीडेंशियल कॉलोनी नैवल की है और उस डिपो का इस्तेमाल भंगार रखने के लिए होता है। कंपाउंड वॉल के साथ पिछले दो साल से एक नयी बिल्डिंग 28 मंजिल की बनी है। वहां मैं खुद रहता हूं जो कंपाउंड वॉल के बाजू में है और आज सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण वहां से 400 मीटर दूर जो मेरा दूसरा पुराना घर है, वहां सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण हम रीडवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड वॉल के बाजू में मैं रहता हूं जो 28 मंजिल की नयी बिल्डिंग बनी है और उसके बाद पीछे 400 मीटर की दूरी पर जो घर है या बाकी बिल्डिंग्स हैं, जिसका रीडवलपमेंट या प्लॉट्स का रीडवलपमेंट हम नहीं कर सकते हैं। इतना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सभापित जी, सबसे पहले मैं डिफेंस मंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सरकुलर का रिव्यू लेने का निर्णय किया है। आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र साउथ सेन्द्रल मुम्बई में मानखुर्द में इंडियन नेवी का एक नेवी आर्मामेंट डिपो है और वहां पर एक्सप्लोसिव्स का स्टोरेज किया जाता है और उसी वजह से उस एक्सप्लोसिव रेंज में आने वाले निवासी क्षेत्र को मुम्बई महानगर पालिका डवलप करने की परिमशन नहीं देती है। नेवी के एनओसी के सिवा वहां के सराउंडिंग एरिया में कंसट्रक्शन करने की परिमशन नहीं मिलती है।

पांच, दस साल पहले महाराष्ट्र यू.डी. डिपार्टमेंट से मानखुद एरिया को 0.5 एफ.एस.आई. मिलता था लेकिन अभी वहां 1.33 एफ.एस.आई. मिल रहा है और बैलेंस के अगेंस्ट वहां के निवासी क्षेत्र को जो मिलता है, उसे यूटीलाइज करने के लिए नेवी की एन.ओ.सी. की जरूरत होती है। बैलेंस 1.33

एफ.एस.आई. निवासी क्षेत्र का है, एन.ओ.सी. न मिलने की वजह से इसे यूज करने में दिक्कत होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नेवी से आसान शर्तों पर एन.ओ.सी. मिल जाए, रूल्स में ढील दी जाए तो इस निवासी क्षेत्र में डेवलपमेंट या री-डैवलपमेंट वर्क्स के प्रोजैक्ट्स इम्पलीमेंट हो सकते हैं।

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष जी, श्री किरीट सोमैया, श्री गोपाल शेट्टी और अन्य माननीय सदस्यों ने सेना की जमीन, सिक्योरिटी फोर्सिस की लैंड के नजदीक जिन लोगों की भूमि है, उनकी समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है। इस विषय के दो पहलू हैं। मैंने आरंभ में वक्तव्य दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पहला पहलू यह है कि जितनी भी सुरक्षा फोर्सिज़ या सिक्योरिटी फोर्सिज़ हैं, वहां आर्मी, एयरफोर्स के अलावा नेवी के भी बहुत बड़े एस्टाबलिशमेंट्स हैं। इस पर मुम्बई, महाराष्ट्र के सदस्य ज्यादा बोले हैं। यहां नेवी के अतिरिक्त कोस्ट गार्ड के भी हैं और एक प्रकार से चौथी फोर्स जुड़ती जा रही है। इनको वहां स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तमाम फौज के अंगों को स्वाभाविक है कि भूमि चाहिए। 26.11 की घटना के बाद नेवल सिक्योरिटी और कोस्टल सिक्योरिटी का पूरा अभियान शुरु हुआ है, उसके लिए भी भूमि चाहिए। अगर वहां एक्सेसिव पेट्रोलिंग करनी है या पुलिस स्टेशन कोस्ट के साथ बनने हैं तो वहां भी भूमि चाहिए। जहां स्टाफ होगा, वहां उनके रहने, अस्पताल, स्कूल आदि सुविधाओं के लिए भी लैंड चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सिस को भी लैंड चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कई एस्टाबिलशमेंट ऐसी हैं, जमीन के आसपास एक सिक्योरिटी कोरिडोर की जरूरत हो सकती है। हम उदाहरण लेते हैं, अगर कहीं एम्युनिशन डिपो है तो स्वाभाविक है कि इसके नजदीक लोग रहें, यह हम नहीं चाहेंगे। इसके बाद सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टालेशन आता है, इसके साथ भी सिक्योरिटी कोरिडोर चाहिए होगा। कहीं रेडार हैं, कहीं मिसाइल्स लगे हुए हैं, स्वाभाविक है कि वहां लोग रहें या नजदीक की रेंज में लोग पहुंच पाएं, यह भी अपने आप में डिजाएरेबल नहीं है इसलिए इन जमीनों के आसपास एक कोरिडोर छोडना पड़ेगा।

इसका दूसरा पक्ष यह है कि वहां जिन लोगों की जमीनें हैं, उनका क्या होगा। यह हम जानते हैं, कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि शासन कई नियम बनाता है, पर्यावरण, सिक्योरिटी की वजह से बनाता है। जैसे राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री निवास के पास कोई दूसरी बड़ी हाई राइज एस्टाबिलशमेंट नहीं बना सकता, दिल्ली के अंदर लुटियन्स बंगलो जोन में नहीं बना सकता, मुम्बई के कोस्ट के साथ सी.आर.जेड. का इश्यू है कि पर्यावरण की वजह से नहीं बना सकता। इस तरह ये तमाम विषय हैं।

अब दूसरा पक्ष माननीय सदस्यों ने रखा है कि वे लोग जिनकी ईमानदारी की पूंजी लगी हुई है, उनकी जमीन इन एस्टाबलिशमेंट्स के नजदीक है। आपका कहना है कि जिनकी जमीन किसी सेंसिटिव

सिक्योरिटी इंस्टालेशन्स के पास है तो पब्लिक इंटरैस्ट उसके ऊपर हावी रहेगा और उनकी निजी संपत्ति का अधिकार पीछे रह जाएगा। इन दोनों के बीच में समन्वय बनाना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों की इस भावना का आदर करता हूं इसीलिए मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा कि मई, 2011 में सुखना लैंड को लेकर सेना कांड हुआ था और आदर्श स्कैंडल हुआ था। सुखना का विवाद इसी संदर्भ में था कि आपने नो आब्जेक्शन आर्मी लैंड के नजदीक का दे दिया। उसे लेकर सारा विवाद हुआ था। इसलिए यह एक सर्कुलर वहां लाया गया था और सर्कुलर आने के बाद भी कई केसिज के अंदर नो ऑब्जेक्शन दिया गया है। मुम्बई में वर्ली क्षेत्र में आठ नो ऑब्जेक्शंस दिये गये हैं। इसलिए यह स्थिति नहीं है कि यह नहीं दिये जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से वहां जो नजदीक में जमीनों के मालिक हैं या जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई पूंजी लगाई है, उन्हें बहुत तकलीफ आए तो इसलिए इसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और उस रिव्यू की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या होंगी। जितने डिफेंस हैडक्वार्टर्स हैं, उन्हें भेजा है, उनके सुझाव मंगवाये हैं और शीघ्र ही यह रिव्यू की प्रक्रिया सरकार आरम्भ करेगी, ताकि ये दोनों जो हित हैं कि एक तरफ बड़ा जनहित है और दूसरी तरफ जिन लोगों की भूमि है, उनकी भूमि का भी अधिकार है, इसके बीच में समन्वय कैसे हो जाए, इसके संबंध में रिव्यू करके हम लोग निश्चित रूप से निर्णय लेंगे।

(Placed in Library, See No. LT 755/16/14)

15.27 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in the country

HON. SPEAKER: Now we take up the discussion under rule 193 on the need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in the country. Shri Mallikarjun Kharge.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी, लेकिन इसे बहुत दिनों के बाद आपकी सहमित मिली है. इसिलए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि सैशन के आखिरी दिनों में तो कम से कम यह विषय यहां पर आया है। इसकी गम्भीरता को देखने के बाद यह विषय पहले भी ले सकते थे, क्योंकि भारत देश में हर कोने-कोने में आज ...(व्यवधान) Madam, the Home Minister is not here.

माननीय अध्यक्ष: राज्य मंत्री अभी बैठे थे, यहीं हैं, आ रहे होंगे।

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अभी राज्य मंत्री यहां बैठे थे। बाकी दूसरे मंत्री इसका नोट ले लें।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, if the Cabinet Minister is engaged in the other House or somewhere else, at least the Minister of State should be present here and while replying to the debate, the Cabinet Minister can reply. The Government is taking it lightly.

HON. SPEAKER: Nobody is taking it lightly. The Minister of State for Home Affairs was here just now.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I do not want to speak now. You can take it up later when the Minister is present. Till then you may adjourn the House for half-an-hour or so. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4 o'clock.

15.29 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

DISCUSSION UNDER RULE 193Contd.

Need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in the country

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, the hon. Home Minister was having a small problem in health and so, we got a small lapse and because of which, some inconvenience was caused in the House. I regret for that.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Okay. Now, Shri Kharge.

श्री मल्लिकार्जुन खड़में (गुलबर्गा): उपाध्यक्ष जी, मैंने कम्यूनल वायलेंस और इंक्रिज़िंग इंसिडेंट्स विषय पर प्रस्ताव किया था, लेकिन एजेंडा में जो आया है, जो सब्जेक्ट या विषय हमने दिया था, उसको जरा बदल कर पुरःस्थापित किया गया है। हमने विषय दिया था - 'Rising incidents of communal riots, violence and polarization which is affecting life and security of the people in various parts of the country'. लेकिन उसको अलग ढंग से आज के एजेंडा में रखा गया है। विषय कुछ भी हो, जब वह विषय एक बार एजेंडा में आया है तो मैं अपने विचारों को सदन के सामने रखता हूँ। ये इंसिडेंट्स, खास कर कम्यूनल रॉयट्स इस देश में क्यों हो रहे हैं? इनकी वजह क्या है? कौन इनके पीछे हैं? इनका कारण क्या है? केवल 2-3 महीने में ही इतनी संख्या में क्राइम बढ़ना, खास कर कम्यूनल इंसिडेंस ज्यादा होना, यह अच्छा लक्षण नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के साथ देखें तो शायद सरकार उसको मान जाएगी। सरकार का यह भी कहना है कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ। ... (व्यवधान) नहीं, नहीं पेपर में आया है, वैंकेय्या साहब का भी रिपोर्ट, आप पढ़ते जाओ। कम से कम आपके नेता लोग क्या बोलते हैं, वह तो पढ़िए, फिर उसके बाद में देखेंगे। यह एक सफाई भी डिफेंस में दी जा रही है। लेकिन यह सत्य है कि आज जो इंसिडेंट्स यू.पी. में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, गोवा में हो गए, और दूसरी जगह हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण हैं? इनके पीछे कौन हैं? कौंन सी शक्तियां ये काम कर रही हैं? इसके बारे में उत्तर स्पष्ट मिलना चाहिए।

इस देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर जो इंसीडेंट्स कराये जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई साम्प्रदायिक शक्तियाँ हैं या सत्ता को अपने काबू में रखने के लिए ऐसे इंसीडेंट्स किये जा रहे हैं। क्या कोई इनको करवा रहा है, इसकी भी स्पष्ट जानकारी हमें मिलनी चाहिए। हम यह देखते हैं कि हमारे देश का ढाँचा सेक्युलर है और संविधान भी यही कहता है। संविधान का जो प्रियाम्बल है, उसमें भी यही लिखा गया है कि,

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

So, IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."

तो संविधान में सेक्युलर, डेमाक्रैटिक, रिपब्लिक के लिए स्थान है। हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, उनका यह धर्म होता है कि इन तत्वों की हिफाजत करे, सुरक्षा करे। इसके बारे में इतनी केयर ले कि इसमें से किसी तत्व का उल्लंघन न हो और लोगों को दिक्कत न हो और शांति से सभी धर्मों के लोग, सभी समाज के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी प्रान्त के लोग मिलकर रहें। इसके लिए कोशिश करना सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हक है या वह काम कर सकते हैं और यह उनका कर्तव्य है। लेकिन इन दो-तीन महीनों में जो 600 से अधिक इंसीडेंट्स हुए हैं।...(व्यवधान) कहां हुए है, अभी बताता हूं।...(व्यवधान) इनको कराने में किनका हाथ है?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him speak.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: When your leader is speaking, you have to cooperate. Please try to co-operate. Otherwise, there will be a reaction. That is the problem.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will control it. It is not your duty. It is my duty. I will control it.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I am not the only one who is saying this but they also know that. Everyday they are reading in the newspapers; everyday they are hearing in the media; everyday they are getting reports; and their Intelligence is also giving them the feedback. But in spite of that, if they deny कहाँ हो गये तो मेरे पास लिस्ट है, अगर आप पूरा पढ़कर बताने के लिए बोलेंगे तो मैं एक-एक पढ़कर बता देता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: It is not necessary.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : But there have been over 600 incidents of violence against religious minorities all over Uttar Pradesh, Maharashtra and other places. In Western U.P, ...(व्यवधान) इसीलिए तो देखेंगे कि इनके पीछे किनका हाथ है?...(व्यवधान) उसके पीछे कौन है?...(व्यवधान) इन्हें कौन करवा रहे हैं?...(व्यवधान) कौन इन्स्टिगेट कर रहे हैं?...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज ये घटनाएँ हो रही हैं। बहुत से लीडर्स अपने भाषण से, अपने चलन से और जहाँ कहीं भी वे जाते हैं, और बहुत से जो धार्मिक लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि वे इस सदन के मैम्बर नहीं हैं, लेकिन जो ..* संगठन हैं, ...(व्यवधान) इन संगठनों के नेता लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kharge ji, please do not mention any particular name.

... (Interruptions)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उन्होंने केवल संगठन का नाम लिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do no interfere.

... (Interruptions)

-

^{*} Not recorded as ordered by the Chair.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You speak only when your turn comes.

... (Interruptions)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): इन्होंने संगठन का नाम लिया है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If any objectionable thing is there, it will be removed.

... (Interruptions)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, ये घटनाएँ कब घटती हैं - जब इसके पीछे कोई प्रेरणा होती है, that too a political power. अगर किसी को हिम्मत आती है कोई इंसीडेंट कराने में, एक्साइट कराने में, या जो हादसे होते हैं, इसके पीछे अगर किसी को यह महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई पोलिटिकल पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वही व्यक्ति इसको कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ दो-तीन महीने में ही इतनी घटनाएँ हो रही हैं? अब तक क्यों नहीं हुई? आप तमिलनाडु की बात लीजिए, कर्नाटक लीजिए, केरल लीजिए या आंध्र प्रदेश लीजिए, जहाँ कहीं भी उनकी शक्ति कम है, उन जगहों पर यह नहीं हुआ। जिस जगह उनकी शक्ति ज्यादा है, उन जगहों पर ही ये घटनाएँ हो रही हैं। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि अगर सरकार आई, आपको सत्ता मिली है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को सप्रैस करो, किसी को उचकाओ। ...(व्यवधान) किसी को इनसाइट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए आपके हिन्दी में क्या बोलते हैं, मैं उसे उचकाना कह रहा हूँ। उर्दू में उचकाना भी बोलते हैं। ...(व्यवधान) आप क्यों इतना गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हमेशा सत्य बोलते हैं तो लोगों को सहन नहीं होता। जब सत्य बोल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। ...(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और दंगों के पीछे चंद पार्टियों का हाथ है। दंगों ने इन्हें सत्ता की चाबी दी है। बिहार में सरकार से बाहर होते ही बहुत सी जगह दंगे हुए। ऐसा ही दूसरी जगह भी पोलराइजेशन करने, दूसरों को अपने साथ में लेने और दूसरों को एक करने का एक ही तरीका है कि दूसरों को आइसोलेट करो, ऐसी भावना समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह गलत है, इसकी वजह से देश और समाज में फूट होगी। हम देश और समाज को जोड़ने की बात करते हैं। आप तो हमेशा समाज तोड़ने की बात करते हैं...(व्यवधान) हम जब यह कहते हैं कि सभी लोग एक हैं, सभी लोगों को मिल कर रहना चाहिए तो आप वहां जा कर तक़रीरें करके, समाज

में धर्म के नाम पर या उसूल के नाम पर फूट डालने की कोशिश करते हैं। आप के लोग उस क्षेत्र में अपने उसूलों को लागू करने के लिए हर ढंग से कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से माइनोरटीज़, वीकर सेक्शन्स या लिंग्विस्टीक माइनोरटीज़ को दबाने की कोशिश चल रही है तािक वे लोग पोलीटिकल पावर से दूर रहें। जो लोग सत्ता में आए हैं, इस तरीके से अपने आपको सत्ता में कायम रखने की कोशश कर रहे हैं। यह देश सभी का है, किसी एक का नहीं है। कोई एक ठेकेदार नहीं है, रिलीजन के नाम पर कोई ठेका नहीं ले सकता है।

महोदय, आपको तो मालूम है, आप तमिलनाडु से आए हैं, धर्म इंसान की भलाई के लिए होता है। Religion has taken birth for the upliftment of human beings. Man is not born for religion; religions have come later on, after thousands of years. Anthropology tells this and you have been a student of anthropology. जब धर्म मनुष्य के हित और कल्याण के लिए है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। धर्म अलग चीज है, अधिकार अलग चीज है। इस देश को बनाने के लिए सभी की जरूरत है ताकि कोई एक ठेकेदार यह नहीं कह सकता कि हम से ही देश बनता है और हम ही सब कुछ कर सकते हैं, कोई दुसरा कुछ नहीं कर सकता है।...(व्यवधान) आपकी ठेकेदारी इसमें नहीं चलेगी। इस देश को एकता से रखने के लिए यह जरूरी है कि हम सभी को मिल कर काम करना है। जहां भी अन्याय हो रहा है, उदाहरण के लिए मैं दो-चार जगह बताना चाहता हूं, जिस-जिस जगह चुनाव हो रहे हैं या उप-चुनाव हो रहे हैं, जिन जगहों पर चुनाव आ रहे हैं, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं राज्यों में ये दंगे ज्यादा हो रहे हैं। उप-चुनाव युपी में हैं, इसीलिए वोट पोलराइज्ड करने के लिए वहां दो महीने में 600 से अधिक दंगे करवाए गए हैं।...(व्यवधान) अगर कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि राज्य सरकार का दायित्व है और राज्य सरकार ऐसा करवा रही है। राज्य सरकार की अगर किमयां हैं तो जो करना है वे करेंगे। इसके पीछे आपके लोग जो काम कर रहे हैं, जिनमें हिम्मत आयी है, उनमें यह हिम्मत आपके पावर में आने के बाद आयी है, वे इस देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोगों को डरा कर रखते हैं। हर एक को दबा कर रखने की यह जो आपकी नीति है, यह नीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, लोग इसके लिए एक-न-एक दिन रिवोल्ट करेंगे और आपको सबक़ सिखाएंगे।

दूसरी चीज़, सिर्फ दो महीने में, केवल मई, जून में जो इंसीडेंट्स हुए हैं, ये आपके ही डाटा हैं।...(व्यवधान) आप पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, मैं तो आपका ही डाटा निकाल कर लाया हूं। वह ही बता रहा हूं।...(व्यवधान) Government data shows that in May-June there have been 113 incidents of communal violence in the country in which 15 people have died and 318 injured.

यह राज्य सभा में अनस्टार्ड क्वैश्चन में आपका रिप्लाई है। इसे कोई प्रूफ़ की जरूरत नहीं है। यह तो गवर्नमेंट की रिप्लाई है।...(व्यवधान) यह दो महीने पहले का है।...(व्यवधान)

Of these, more than 50 per cent of the incidents have occurred in the States of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra, accounting for 13 out of 15 deaths. Source of this information is reply to Unstarred Question No.788 in Rajya Sabha.

इस पर तो आप विलीभ करते हैं या नहीं करते हैं, यह मालूम नहीं है, लेकिन आप पेपर कटिंग के बारे में बता रहे थे।...(व्यवधान)

This occurred in or around the 12 Constituencies that are scheduled to go for polls. Nearly 200 in two months!

Then communal clashes occurred in Bhuj on 28th July ahead of Eid, when some objectionable comments about the Prophet on Instant Messaging Service sparked off clashes between locals. That was reported not only in the newspapers but also on all other media.

Since police and public order is a State subject, if we look at State-wise the Government data of communal violence ...

जिस जगह यह हो रहा है, वहां की सरकार को बुलाकर या उन से बातचीत करके कि इसमें क्या कमी है, इसके पीछे कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है, आज तक इसे एनालाइज़ नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बड़े हल्के से ले रही है। वे नहीं चाहते कि इस देश में अमन रहे और सब मिल कर रहें। आप हम पर वोट बैंक के लिए कार्य करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी वोट बैंक के लिए यह पोलेराइज़ेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है। जिस ज़गह पर शांति है, हर ज़गह उस शांति को भंग करने का काम उन्होंने शुरू किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में स्पष्ट उत्तर उन से आना चाहिए। इसके बारे में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए।

मैं, खासकर, होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। ये जो आंकड़े हैं, ये तो आपने ही राज्य सभा में दिया और दूसरे आंकड़े जिसमें 600 से अधिक इंसीडेंट्स हो गए, वे भी आपके पास हैं। ये सब आपके पास हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Many Members want to speak. Other party leaders are also there and they want to speak.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: सर, उन्होंने पूछा कि कब-कब हुआ तो इसके बारे में बता दिया। अगर अभी के इंसीडेंट्स को देखना है तो 4 अगस्त का मेरठ का वॉयलेंस, 28 जुलाई का भुज का इंसीडेंट, 26 जुलाई का सहारनपुर का, 9 जून का गुड़गांव के इंसीडेंट्स को देखिए। दूसरे ज़गहों पर भी ऐसे इंसीडेंट्स हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सी लिस्ट्स हैं, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। यह सरकार आने के बाद जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं, उनको ऐसी ताकत मिली है कि हम कुछ भी करेंगे तो भी यह सरकार हमारे साथ रहेगी, यह उनका कहना है। इसीलिए ये वॉयलेंस एवं इंसीडेंट्स बढ़ रहे हैं और वे उसका समर्थन भी एक न एक दृष्टि से कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have taken 25 minutes. The other hon. Members also want to speak. We have to conclude the discussion early because two hours are allotted for this discussion. That is why, I am saying this.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: उपाध्यक्ष महोदय, ड्राउट पर चार दिन, एट्रोसिटी पर तीन दिन चर्चा हुई, इस पर मुझे थोड़ा बोलने का समय दीजिए। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत हैं, मैं बताना चाहता हूं। यह सरकार हमेशा इसको टालती रही। जहां-कहीं भी इंसीडेंट्स होते हैं, उसके बारे में अगर हम यहां पर आवाज उठाते हैं तो उसको टालने की और आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। हम कई बार स्पीकर से जाकर मिले, मिनिस्टर से भी हमने अपील की, उसके बाद आज यह मामला आया है। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं होम मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं, हम यह नहीं कह रहे कि सरकार ने खुद सामने खड़े होकर यह करवाया है, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आपके आने के बाद ही उनमें क्यों हिम्मत आती है और ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं, यह हम बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए आपको इसके बारे में सोचना होगा। ...(व्यवधान) हर एक नेता आप देखिए, मैंने जब वी.एच.पी. और बजरंग दल का नाम लिया तो ये लोग बहुत गुस्से में आए। भागवत साहब ने जो बोला, वह भी आपको मालूम है। यानी हर लीडर, इनके सिम्पेथाइज़र, सपोर्टर्स और जितने भी कार्यकर्ता हैं; इस देश में अशांति फैलाने के लिए जो स्टेटमेंट देना है, वही देते हैं।

मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए एक आखिरी बात कहता हूं। वे समझ सकते हैं, इधर के लोग भी समझ सकते हैं, आप ट्रांसलेशन में क्या समझ सकते हैं, जरा देखिए। नायडू साहब को भी मैं यही बोल रहा हूं कि "मत्तल में आते हैं वे खंजर बदल-बदल के, मत्तल मतलब कतल करने की जगह, मत्तल में आते हैं वे खंजर बदल-बदल के, या रब मैं कहां से लाऊं सर बदल-बदल के।" मत्तल में इनके खंजर बदल-बदल के आते हैं, लेकिन जिनके सिर कट जाते हैं, वह सिर तो एक ही रहता है, खंजर तो अनेक रहते हैं। इसीलिए आपके पास बहुत से खंजर हैं, आप खंजर बदल-बदल के मत्तल में आते हैं, लेकिन भगवान ने हमें

एक ही सिर दिया, यह सिर मत काटो, इस देश के टुकड़े मत करो, समाज के टुकड़े मत करो, समाज को, देश को एक रखो। देश और समाज अगर एक रहेगा, उसी वक्त हम सब आगे बढ़ेंगे। इस देश में अगर फूट डालने की कोशिश करेंगे, अपनी हुकूमत रखने के लिए अगर ऐसी चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ऐसा आएगा, हम-तुम मिल कर पछताएंगे।...(व्यवधान)

इतनी बात कह कर में अपनी बात समाप्त करता हूं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कांग्रेस के नेता माननीय खड़गे जी की बातों को यहां पर सुन रहा था। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपना लिखित स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि 113 घटनायें घटित हुयीं, लेकिन जब वे मौखिक बोल रहे थे तो कह रहे थे कि 600 से अधिक घटनायें घटित हुयीं। इसमें सत्य क्या है? मुझे लगता है कि यह पूरा देश जानता है।

26 मई को श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। इस देश के अंदर इस सरकार के आने के बाद आम जनता में विश्वास बहाली हुयी है। यह शासन और प्रशासन में देखा जा सकता है। खड़गे जी जो आंकड़े यहां पर कह रहे थे, मैं उसके पीछे के आंकड़े आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े वास्तव में स्वीकार करेंगे और सचमुच इस देश की साम्प्रदायिक हिंसा से चिंतित हैं तो साम्प्रदायिक आधार पर इन्होंने जो घोषणायें की हैं तो इनको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी।

महोदय, जिन प्रदेशों की घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, वर्ष 2011 में न वहां पर और न ही केंद्र में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस देश में 580 घटनायें घटित हुयीं। इनमें 91 लोग मारे गए और 1899 घायल हुए। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर 84 घटनायें घटित हुयीं, 12 लोग मारे गए और 347 लोग वर्ष 2011 में घायल हुए थे। ...(व्यवधान) खड़गे जी, आपने कहा है, आप सुन तो लें।...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे : मैं हमेशा सदन में बैठता हूं। ...(व्यवधान) मैं आपके जैसा नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: महोदय, दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है। ...(व्यवधान) वहां 88 घटनाएं घटित हुईं। ...(व्यवधान) वहां कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है। ...(व्यवधान) वहां 88 घटनाएं घटित हुईं, जिनमें 15 लोग मारे गये। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, वहां 70 घटनाएं घटित हुईं। करेल में 30 घटनाएं घटित हुईं। ...(व्यवधान) मैं वर्ष 2011 की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2012 में 668 घटनाएं घटित हुईं, जिनमें 94 लोगों की मौतें हुईं और 2,117 घायल हुए। वर्ष 2013 में केन्द्र में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, तब 823 से अधिक साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं पूरे देश के अन्दर घटित हुईं।

यद्यपि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार की जैसी मंशा होती है, वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जैसा होता है, वहाँ का प्रशासन उसी प्रकार की कार्रवाई करता है। मुझे लगता है कि ईमानदारी से इन लोगों ने विश्लेषण किया होता और अपनी केन्द्र सरकार या अपने से जुड़े हुए अपने

सहयोगी दलों के द्वारा जो संचालित सरकारें हैं, उन सरकारों के साम्प्रदायिक एजेंडे पर ध्यान दिया होता कि आखिर यह पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, पोलराइजेशन के कारण क्या हैं? पोलराइजेशन के पीछे के कारणों को ईमानदारी से विश्लेषण किरए, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं और दूसरी तरफ जो एजेंडा लागू करते हैं, उसको साम्प्रदायिक रूप से कम्युनल आधार पर लागू करते हैं। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु-सन्त और पुजारी रहते हैं। ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एकपक्षीय कार्रवाई करते हैं, क्या यही सेक्युलर एजेंडा है? इसे दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया, क्या यही सेक्युलर एजेंडा है? ये लोग समाज को साम्प्रदायिक आधार पर बांटते हैं।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। वहाँ पर जो योजनाएं हैं, उनमें 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव-गांव में विवाद खड़ा कर के 300 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए जाते हैं और गांव-गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर और मजारों के नाम पर कब्जा मत करने दो। लेकिन, उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। उस पर कोई रोक-टोक नहीं है, क्योंकि शासन की यह मंशा है इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं है, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति आतंकवादियों पर दायर मुकदमें वापस लिए जाते हैं। ...(व्यवधान) इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, ...(व्यवधान) जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है,...(व्यवधान) जो लोग भारत की संप्रभुता को लगातार चुनौती दे रहे हैं,...(व्यवधान) और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ...(व्यवधान) उन लोगों पर दायर मुकदमें,...(व्यवधान) चाहे वह राम जन्म भूमि पर आतंकी हमले का मामला हो...(व्यवधान) या संकटमोचन मंदिर काशी में सी.आर.पी.एफ. रामपुर का मामला हो,...(व्यवधान) या गोरखरपुर का सिरियल ब्लास्ट का मामला हो,...(व्यवधान) ये जितने भी मामले हैं...(व्यवधान) इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का कृत्सित प्रयास किया है। अगर न्यायालय बीच में नहीं होता तो संभवतः आतंकवादी बाहर छूटकर नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है...(व्यवधान) और पूरे देश के अंदर हुआ है। ...(व्यवधान) उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे?...(व्यवधान)

महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है? ...(व्यवधान) कौन है सांप्रदायिक? ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महोदय, हम लोगों ने

जो जाना है, हम लोगों ने जो समझा है कि सांप्रदायिक वह होता है, जो कहता है कि मेरा ईष्ट, मेरा देव या मेरा पैगम्बर ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि वह सांप्रदायिक है। हिन्दू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता है। हमने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम' का संदेश दिया था। हमने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का संदेश दिया था।...(व्यवधान) हमने तो इस देश के अंदर एक सिद्धप्रा बहुधा वदन्ति' की बात कही है। हमारा दर्शन जीओ और जीनो दो में विश्वास करता है। दुनिया की कौन-सा ऐसा मजहब और कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में इस हिन्दू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने-फूलने का अवसर न दिया हो। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा कौम है? लेकिन जिस हिन्दू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने-फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षडयंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही और मुझे लगता है कि इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिन्दू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि आज उसके खिलाफ शासन तंत्र से जो षडयंत्र हो रहे हैं, उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। आज वही स्थिति सामने आई है।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान) जब भारत के मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं...(व्यवधान) तब उनकी पहचान भारतीय के नाम पर नहीं...(व्यवधान) पाकिस्तानी के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) बंगलादेशी के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी मुसलमान हज यात्रा के लिए जाते हैं...(व्यवधान) उनकी पहचान हिन्दूस्तानी के नाम पर होती है। ...(व्यवधान) उनकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांगलादेश के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) लेकिन अगर हम यहां हिन्दू पहचान उनके ऊपर लागू करने का प्रयास करते हैं...(व्यवधान) तो इनको बुरा लगता है।...(व्यवधान) हिन्दू सांप्रदायिकता नहीं...(व्यवधान) हिन्दू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ...(व्यवधान) भारत की राष्ट्रीयता के प्रतीक इस हिन्दुत्व को वे बदनाम करेंगे...(व्यवधान) तो उसकी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं...(व्यवधान) गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था कि अगर भारत को समझना है...(व्यवधान) उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है तो भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा। भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानन्द के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानन्द ने एक बात कही थी - गर्व से कहो हम हिन्दू हैं। स्वामी विवेकानन्द साम्प्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानन्द किसी पार्टी के नहीं थे, स्वामी विवेकानन्द ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था।...(व्यवधान) पूरी दुनिया के अंदर हिन्दू अपनी सिहष्णुता के लिए पहचाना जाता था। आज उस हिन्दू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। वह कश्मीर से विस्थापित होता है। उसे

कश्मीर से निकाला जाता है।...(व्यवधान) उस बारे में इस सदन में एक बार भी चर्चा नहीं होती। तब इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से साढ़े तीन लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं।...(व्यवधान) तब ये लोग नहीं बोलते।...(व्यवधान) वर्ष 2012 में असम के अंदर तीन महीनों तक बोड़ो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा। कोई नहीं बोला।...(व्यवधान) जम्मू कश्मीर के हिन्दुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये लोग एक बार भी नहीं बोले, इन्हें पीड़ा नहीं हुई।...(व्यवधान) यह दुनिया के अंदर अपने आप में विरला उदाहरण था जहां अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विरथापित होकर खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निन्दा एक बार भी इन लोगों ने नहीं की। ...(व्यवधान) मुम्बई के दंगों पर ये लोग मौन रहे। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय में हुए थे। इन लोगों ने उस पर एक बार भी चिन्ता व्यक्त नहीं की। और तो और, जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने, इस देश की धर्म और संस्कृति और समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण था, वर्ष 1984 में उन सिखों के कत्लेआम पर भी इन्हें शर्म महसूस नहीं होती।...(व्यवधान) यहां ये लोग इस देश के अंदर साम्प्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। इनका पूरा चेहरा साम्प्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, साम्प्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है।...(व्यवधान) असम में क्या हो रहा है? बंगलादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए।...(व्यवधान) इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया।...(व्यवधान) असम में बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण कोकराझार...(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am on a point of order. My point of order is under rule 376. While making his speech the hon. Member has mentioned about communal riots. In respect of 2011 he has given some figures which are wrong. He has completely forgotten 10-02-2013. He cannot give wrong figures. Gujarat had the highest number followed by Madhya Pradesh. I want to put the records straight... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. You are disputing the figures mentioned by the hon. Member in his speech. You can mention that in your speech. There is no rule on this. You can counter the argument during your speech. When your time to speak comes, you can dispute the figures.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Yogi Adityanath, you may continue.

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है। इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन और कश्मीर पर हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे।...(व्यवधान) मैं वर्ष 2011-12 में असम में देख रहा था। तीन महीनों तक लगातार दंगे होते रहे। इन्होंने सदन में एक बार भी चर्चा नहीं करवाई। असम जलता रहा। इसके साथ-साथ एक बार कांग्रेस के लोगों ने असम के ही मुख्य मंत्री को कठधरे में खड़ा कर दिया कि उन्होंने बोड़ो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे, बोड़ो वहां का नागरिक है। उसके बारे में नहीं बोलेंगे, तो किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बंगलादेशियों, घुसपैठियों की वकालत करते हैं...(व्यवधान) बंगलादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हैं। ...(व्यवधान) असम में आज कोकराझार, धुबरी, चिराग और बरपेटा जिले, जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि बंगलादेशी घुसपैठियों ने वहां आकर जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने वर्क परिमेट के साथ-साथ उनके राशन कार्ड बनाये हैं और इन्होंने ...(व्यवधान) *इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ उनके माध्यम से करवाया है। ...(व्यवधान)

महोदय, हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते। मैं कांग्रेस और कम्युनिस्टों से कहना चाहता हूं कि कोयम्बटूर और बेंगलुरू धमाके का जो अभियुक्त है, उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधान सभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। दोनों दल एक साथ अपील करते हैं कि उसे छुड़वाओ। ...(व्यवधान) क्या यही सेक्युलर है? क्या इनका यही सेक्युलर एजेंडा है? क्या इस देश में यही सेक्युलरिज्म है? ...(व्यवधान) इस देश में क्या हुआ था? ...(व्यवधान) इस देश में जो हुआ था, उसे हम भूले नहीं हैं। ...(व्यवधान) 11 अगस्त, 2012 को मुम्बई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ ...(व्यवधान) आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोहिंगया मुस्लिम जो बर्मा में रहते हैं, उनके और वहां के बौद्धों के बीच में हिंसा हुई, दंगे हुए। यह मामला भारत का न होकर म्यंमार का है, लेकिन म्यंमार की घटना में दंगा कहां होता है—आजाद मैदान मुम्बई में। ये लोग मौन रहते हैं। वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है ...(व्यवधान) मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ-साथ पुणे में दंगे हुए। ...(व्यवधान) उनके साथ उत्तर प्रदेश में बरेली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे। इन लोगों

* Not recorded.

मे कभी उस पर आवाज नहीं लगायी। ये लोग उस घटना पर मौन रहे। ये वही लोग हैं, जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव और उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामलीला मैदान में लाठीचार्ज करते हैं। ...(व्यवधान) बेशर्मी के साथ वंदे मातरम् का गान करने वाले देश भक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलायी है? कौन इस देश में फैला रहा है? कौन इस देश में सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? ... ** ..(व्यवधान)

महोदय, उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं आयी हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे ... (व्यवधान) जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को अगर मैं आपके सामने रखूं, तो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं। ये चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं ... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am on a point of order under Rule 380. The hon. Member has made a defamatory statement. Rule 380 says:

"If the Speaker is of the opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House."

... (*Interruptions*)

The Member has used such words. We have already raised the issue of communal violence. We are not against anybody. We want secularism to be maintained in the country. Therefore, we wanted a discussion on the matter. But the hon. Member while speaking used the name of Pakistan. He abused us while naming Pakistan. This is unparliamentary, Sir. This should be deleted. ... (*Interruptions*) SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): He has been using words like Hindus and Muslims. This is against the secular fabric of the country. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Member has raised certain objections. I will go through the record and if there is anything objectionable in it, I will expunge it. Yogi Adityanath may continue now.

_

^{*} Not recorded.

^{**} Not recorded as ordered by the Chair.

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने का वायदा किया था।...(व्यवधान) हम लोगों ने तो नारा भी दिया था- "सबका साथ और सबका विकास।" लेकिन असम में "अली और कुली" का नारा इन लोगों ने दिया था।...(व्यवधान) असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसे देश से अलग करने की साज़िश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या यही सेकुलरिज्म है? ...(व्यवधान)

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में 118 घटनाएँ घटित हुईं, वर्ष 2013 में 247 और मार्च से मई तक 65 घटनाएँ घटित हो चुकी हैं। सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारा का निर्माण हो रहा था। न्यायालय के आदेश को शासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी। कांठ में इसलिए विवाद होता है क्योंकि उस गांव में चार धर्मस्थल हैं- तीन मस्ज़िद और एक मंदिर। मंदिर हिन्दू समुदाय का है। तीन मस्ज़िदों पर माईक रहेगा, लेकिन मंदिर से माईक उतार दिया जाता है। क्या यही इन लोगों का सेकुलर एजेंडा है? क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या इसे ही आप सेकुलरिज्म कहेंगे?

महोदय, मेरठ में एक घटना घटित हुई। मेरठ में एक बालिका का अपहरण होता है और इसके बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है, वह कितनी शर्मनाक थी?...(व्यवधान) महिला हिंसा पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस महिला पर हुए हिंसा की हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग मौन हो जाते हैं।...(व्यवधान) उस मामले में इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। ...(व्यवधान) न्याय का तराजू तभी चलेगा, जब इस देश के अंदर सबके लिए कानून समान रूप से लागू होगा। ...(व्यवधान) इस देश में कानून मात्र सम्प्रदाय और मज़हब के आधार पर लागू नहीं हो सकता। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, ...(व्यवधान) कांग्रेस ने मौका दिया है, अच्छा होगा कि पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में ये जो घटनाएँ घटित हुई हैं, ...(व्यवधान) उनकी एसआईटी द्वारा जांच करवा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज़ से इन साम्प्रदायिक दंगों की जाँच करवाने के साथ-साथ, अराष्ट्रीय तत्त्वों से किनके सम्बन्ध हैं, इसकी भी जाँच करवा दी जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। ...(व्यवधान) यही मांग करते हुए, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये लोग साम्प्रदायिक एजेंडे के साथ देश के सामने आए हैं, ...(व्यवधान) देश के खिलाफ इनके खतरनाक मंसूबों के खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा।

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, under the able leadership of *Puratchi Thalaivi* Amma, Tamil Nadu has the unique distinction of maintaining excellent communal harmony in the State, although some communal elements in certain parts of the State are in the habit of creating communal rift. *Puratchi Thalaivi* Amma has taken every step to prevent communal tension in the State. The steps taken by the State include preventive and punitive steps. Laws are enforced without any prejudice. As a result, all the religious and caste groups are unanimous in lauding the efforts of the hon. Chief Minister, *Puratchi Thalaivi* Amma.

The police force in the State observes total neutrality vis-à-vis communal forces in the State. Laws are enforced in an objective manner without any fear or favour. On the directions of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, the police forces in the State have waged an all-out war against the communal forces.

I represent Tuticorin, the pearl city, located in the southern most part of peninsular India, which is known for its all-weather major port and a number of industries. There is an urgent necessity to upgrade the infrastructure in and around Tuticorin, such as laying of double line and electrification of the traction in the region, introducing a super fast train that connects Tuticorin with Chennai, with limited stops at Madurai and Tiruchi, introduction of high speed trains and connectivity to Coimbatore, Kochi and Bengaluru by the Railways, development of Tuticorin Port into a major container transhipment hub and adding a ship building segment, and building six lane highways from Tuticorin to Madurai and Tirunelveli.

Under the guidance of our beloved leader, Amma, the Home Department maintains law and order in the State in an exemplary manner. All concerned have been sensitised about the ill effects of communalism and the necessity to thwart the designs of anti-social and anti-national elements in disturbing the communal harmony.

At the same time, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu is very much against the efforts of the Central Government in introducing the Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013. This legislation, which seeks to give overriding powers to the Centre to the total exclusion of the States in handling instances of communal and targeted violence, vitiates the norms for Centre-State relations envisaged by the Justice Sarkaria Commission. It is a blatant attempt to totally bypass the State Governments and concentrate all powers in the Central Government, rendering the States absolutely powerless and totally at the mercy of the Centre. It particularly gave the impression that it was only the Centre which was greatly concerned about organised communal and targeted violence while the State Governments abetted such crimes. Such an approach is totally biased.

We are against introduction of such a Bill. The Centre should give up such efforts and join hands with the State Governments in fighting the menace of communal violence.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this occasion.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset, I would like to say that we are discussing today the need to evolve an effective mechanism to deal with the incidents of communal violence in the country.

Sir, it is not the point of the debate that we will fight with each other. The purpose is to evolve some mechanism. Shri Kharge initiated the discussion and Yogi Adityanath responded to it up to a certain extent. We should all come to the sense that we are the firm believers of the principles of secularism, communal harmony and the integrity of the country. We also feel that the main ethos of India reflects unity in diversity. We sing the song:

"NANA BHASA, NANA MOT NANA PORIDHAN BIBIDHER MAJHE DEKHO MILONO MOHAN"

It means that we speak many languages, we wear many dresses, we have many opinions but still we are the firm believers of the opinion that unity in diversity should be there.

In the National Anthem, we sing: "पंजाब सिंघ गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंघ्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलिंध तरंग े So, this is the spirit. We, the Indians, owe our allegiance to parliamentary democratic system where every religion, every person has his right to speak his own opinion, his own thought, his own philosophy. But the discussion, as it appears today, shows that they are speaking for the Hindus sitting there and here we are for the Muslims. But the picture is not that. In this whole House, we are for all types of believers of caste, creed and religion. We stand for the betterment of this great country. This is a country where Iqbal sang: "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा" So, that is why, we should try unitedly to see that this love and sense of security amongst our countrymen prevail very much. Somebody may be minority here, they may be in a majority in some other place. If we consider the whole world, the Christians and the Muslims are in a majority in a

larger scale. In some places in our country, there are minorities which, not only mean the Muslims but also the Sikhs, the Budhists, the Jains, the Parsis, the Christians who are all there. They all belong to a totally minority section. It is the Government which is running the country.

17.00 hrs.

Primary responsibility lies on their shoulders to ensure that communal violence do not take place in the country. I hope Rajnath Singh *ji* is a very responsible person, and he should, as the Home Minister of the country, always try to give assurances that communal violence will not be allowed to take place anywhere. Provocations certainly create communal tensions.

Bengal is actually known as a very secular State but what we are finding now a days is that some tensions are being created in some corners of the State. I would also request the hon. Home Minister to find out the States which are basically known as totally tension-free States from communal struggle and communal violence, and also to find out why such type of tensions are taking place at some level. These are to be stopped at the very initial stage itself.

Only communal violence creates bad feelings, brutality, losses of properties. These are the things, about which everybody is of the opinion that they are to be registered. Adityanath *ji* was saying that some Imams are getting some benefits. He can make a claim that those priests should also get some wages. That can be done. Why are they getting it? That should not be the target of discussion by which a sense of insecurity will prevail. Therefore, they can claim that they should also be given some assistance or some financial support. This is our demand. They may say that that would give a good sense, and I think, that would be the correct line. ... (*Interruptions*) The ruling party, which has such a huge number of MPs, should have some patience, listen to us and reply when their turn comes. That would lead to a good discussion.

If we are united, no one can take away peace of our country. Communal tensions and communal violence have shown us how dangerous effects can spread

either in a State or it may go out of that State and spread throughout the country. We should be totally cautious from the very beginning.

What I want to request and say to Rajnath *ji* is that the Government of India must remain alert, cautious and vigilant to prevent communal tensions, communal violence; otherwise, safety and security of the common people will totally be under threat. The secular fabric of this great country will be challenged. I hope, no political party is asking for such a situation. I was telling whoever was in power that they should have the major responsibility to look into it.

Yesterday, I was listening to the speech of UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi at Thiruvananthapuram. She was giving the data that so many incidents have taken place and so many communal violence have taken place. I would request Rajnath *ji* to take this allegation against the present Government seriously. If the number goes above 400, 500 or 600, then why not the Government take the responsibility and assure the House that they would investigate all the allegations which have been made here?

Adityanath *ji* was telling that the Supreme Court Judge be authorized to look into it. ... (*Interruptions*) Nobody should oppose this. If the main Opposition Party is in favour – the Supreme Court Judge can investigate – and if the Government is agreeable..... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is the feeling of even Kumari Mamata Banerjee. I would like to just bring it to your notice.

17.05 hrs (Shri Ramen Deka in the Chair)

According to Express News Service of August 13, 2014, the Chief Minister of West Bengal Kumari Mamata Banerjee said ... (*Interruptions*) He has yielded. I requested him, he has yielded. What is your problem? ... (*Interruptions*) Without taking the name of any political party, she said that some parties are trying to create a divide between Hindus and Muslims and urged the people not to fall into the communal trap. She said that she has information that attempts are being made to create communal tension in the State. She also asked people not to indulge in

communal violence. I do not want to say anything more because this is not only the feeling of Sonia Gandhiji, but this is the feeling of Mamataji and Mulayam Singhji.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, in our Constitution, we have the right to equality amongst all castes and religion. We are the law makers of this country. So, we should take all efforts to see that our country remains totally united and all sections of people belonging to different caste, creed and religion live in peace and harmony and with love for each other.

When Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, we spoke about international brotherhood and international solidarity. That is the ethos of our Indian culture which we spread throughout the world. When we are believers in international brotherhood and international solidarity, why should we lack that spirit here within our country? When Dussehra festival comes, Hindus and Muslims embrace each other by saying 'Happy Dussehra', when Christmas comes, we embrace Christians and say, 'Merry Christmas' and when Eid festival comes, Hindus and Muslims embrace each other and say, 'Eid Mubarak'. So, this is the culture of our country. We should try to protect it. We are believers of the slogan 'Mera Bharat Mahaan'.

Sir, I would not like to allow the discussion to go in such a manner that the spirit of this discussion is diverted in some other way by which instead of trying to find out a solution we make it more complicated and worsen the situation which is existing now. We have another speaker from our party. He will also speak later. So, I conclude with an appeal that we, as law markers of the country, should try to evolve such a mechanism by which we can say that India is not having any communal violence in the coming days.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak in this debate.

Sir, it has been said that religion is the opium of the masses and anybody talking about religion, discussing about religion or indulging in religious activity, you can very well understand that it is a mind of an opiate, it is the mind of a mob or individuals or groups who are not sensible, who are not civilized. I feel this is a sad time for our country. I am seeing how both sides are squabbling and fighting. I have seen two Lok Sabhas where those who are screaming at the top of their voices and those who claim to be the saviours of the minorities, the way they behave, the way they took care of this country and the sadness that they brought about on this pious land, the resultant, the factual situation is in front of the whole nation to see who is where.

There can be laughter; there can be mirth but we are discussing something which involves the lives, the very existence of small children, of women, of mothers, of innocent men, of people who are not involved in our demagogy, who are not involved in the madness that we all wish to propagate. I am insisting on 'all'. None of us can say that I am exempt from this madness.

I come from the land of Odisha where our ancestors called it 'The land of Jagannatha', the land where the creator of the Universe resides. A Muslim, a Hindu, a Christian, all that we can think of, everybody resides within the Universe and the creator takes everybody as his or her or its creation or child. In that very land, in 600 AD, we had a writer Deena Krishna Das who wrote the *Lakshmi Purana*. The concept of Lakshmi is *chanchala*. She is not subservient or she is not bound to be in a static situation, in the houses of people in Mumbai or in certain cities, those who own big industries or are big moneyed people. *Chanchala* naturally is desirous of being around with everybody. This concept, Deena Krishna Das brought in so many hundreds of years ago to project that Lakshmi will go to the house of the downtrodden. He took idols of Lakshmi to the

homes of the untouchables thereby implying that God is not someone's prerogative, is not someone's private domain; God is for everybody.

Sir, obviously we should not mix up *dharma*, as we take it now like religion, with godliness or divinity. These are diverse thought processes. Somebody who is *dharmik* need not necessarily be divine. And somebody who is divine need not also be necessarily *dharmik*. Luckily, we do not have people here who have come from say Jerusalem or Medina or Mecca. If we go to a scientific level and if we check our DNA, all of us will have the same DNA, all of us will have the same roots. But, yet we fight; yet we create bitterness and we try to belittle each other as much as we can.

It is interesting to note that – whatever religion we are in – when Chanda Ashoka from Pataliputra invaded Kalinga, he became Dharma Ashoka. For the first time ever, Buddhism became the State religion. It is because of the war in Kalinga, Buddhism spread to Sri Lanka and Buddhism spread to the Far East. That is how today you have Buddhism as an international religion. So the State always impresses upon the weak, upon the downtrodden, upon the poor that you convert to the religion of the king. Whoever rules becomes the saviour. That is evident. But that does not imply that Hindustan means everybody is Hindu. In Hindustan, like I had said once earlier, the word 'Hind' came from the river Sindh. So, people living on the banks of the Sindhu River became Hindus. I do not live along the banks of Sindhu River. Maybe some Pakistani lives there. I live in Odisha. I am a Hindu and I am also a Brahmin but I do not think that my religion makes me greater or different or superior to anybody else in this House or in this world. I am not inferior to anybody either. I am what I am.

Sir, we have had a National Integration Council, which meticulously, assiduously UPA-I and UPA-II made it into a joke and destroyed the very fibre of that organisation.

The National Advisory Council became a super Cabinet and started taking all kinds of political, economic and social decisions. That was one bizarre thought

process. We have another bizarre thought process where the Chief Executive of our country says, 'why has a proxy war, let us have a war?' Sir, Hindi is neither your language nor mine but someone who knows Hindi told me that its meaning is *lalkar rahe hain*. Sir, can you image, in the present time, in the 21st Century, someone can appeal that let us have an open war? Is India capable of that?

I sometimes wonder about microphones. Today, some report said that 120 communal violence incidents have erupted because of microphones. Sir, we are all aware that most parts of India today do not have electricity. So, how do microphones work? When I was studying in Puducherry, I had a huge Hindu temple right outside my boarding. It used to blare at 3:30 in the morning. It used to blare devotional songs into my room. That is like the beginning of the evening for me, that is when I go to bed. So I could not even sleep. I started wondering, when did microphones come to India? Known history says and you can verify that electrically operated amplification, sound amplification system was first introduced in India in 1921 by the British to quell mobs. Before that neither any temple nor any mosque nor any gurudwara or church, nobody had an amplification system. So, what did they do? How did they pray? Was God not existing at that time? What were we doing at that time? We were probably listening to God.

Sir, I know that you have curtailed my time and you do not wish me to continue. I have been listening to very learned seniors like Yogiji, I respect him and I always do a very heartfelt *pranaam* to him. Khargeji is a great leader of this country. I heard *dada* also. But I have not heard any concrete proposals.

This country has experimented and has seen one or two institutions that it has set in place and which are successes internationally. The Election Commission of India is one such success. We have seen and nobody in this House can say that his voting was wrong and the Election Commission did something *mala fide*. All of us will raise our hands to say that the Election Commission of India has proven over and over again that it is an impartial, honest, capable and efficient organisation operating in India. When the need arises, it summons CISF, CRPF,

BSF and even the Army and local police to help in conducting the elections. We have also created NDRF and NDMA, that is, the National Disaster Management Authority. We have seen proofs. They have worked and they have succeeded.

I would like to make a humble request to the Government. Is it possible to consider that we have something which could be appropriately named by intelligent people like the Home Minister or the Prime Minister, those who are much more capable?

Sir, I have too many ideas coming out but I will not speak forth. We can ask for advice from within the House, without the House, administrators, judiciary, business people, social leaders and even leaders of minority and majority communities. In Punjab, if the Sikhs are majority, let them say something, and let the Hindus also say something. So, we can take everybody together, put them in one boat and find out whether we can create a Communal Harmony Authority which will be able to call upon any kind of Armed Forces, any kind of governmental support in times of need. We have to talk with the State Governments, especially volatile States like Gujarat, Uttar Pradesh and others, and take them on board, consult them, take the opinion of all Parties, of all Governments, and create such Authority. ... (Interruptions)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Odisha also ... (Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: May be. Yes, we are not volatile. The hon. Member, Shri Nishikant ji has gone to Odisha many times. He knows that the BJD Government, Shri Naveen Patnaik's Government, has done exceedingly well after the bad riots in Kandhamal where we have to split ways with some people. We have had no communal violence after that.

So, my tangible suggestion is this. Can the Government consider creating an Authority, taking everybody on board and making it such an organization with teeth, with claws and with muscle so that people are scared, and something that will work?

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): First of all, we are all Indians. Swami Vivekananda said: "This land is a *punya bhoomi, karma bhoomi* and *veda bhoomi*. So, being Parliamentarians, it is our responsibility to maintain communal harmony in this country.

Our Party, Telugu Desam Party, headed by our leader, Shri Chandrababu Naidu, ruled the combined State of Andhra Pradesh for nine years. He maintained communal harmony very well in our State. Actually, Hyderabad city also is a very sensitive city. During his tenure of nine years, there was not even a single day with curfew. Since the inception of our Party, our Party is a secular Party. So, we respect all religions and all castes.

I would humbly make an appeal to all our beloved leaders not to see communal violence on the basis of religion. According to my vision, wisdom and understanding, the first one is poverty. The second one is that our enemy countries are encouraging communal violence through some communities. So, we should understand that. I would like to tell all the political parties that we should not see religion or caste or region from the point of vote bank politics. As long as we see it from the point of vote bank politics, communal violence will keep on repeated in this country.

For information, even in the Hindu religion also, there are two groups. One is *Saivamata* and the other is *Vishnu*. Even they used to fight. But after sometime, we had overcome that.

Now, we are fighting on the basis of some religion and region. It is because of lack of awareness, lack of education and poverty. Some political parties are trying to exploit the situation to encash it in order to get benefits.

I would cite one example. In our State of Andhra Pradesh, from 1989 to 1994, the Congress party ruled. I witnessed it physically. For 45 days, there was a curfew imposed in Hyderabad. There was no real fight between the Hindus and Muslims. The only agenda behind this was that they wanted to change one Chief Minister and that is why, they had created all this situation. Due to that, many

poor people both from Hindu and Muslim communities, suffered a lot. Many people were killed and many people were injured. Ultimately, they had changed their Chief Minister.

I would, therefore, request all the politicians, especially all the party heads. We are in a modern era and because of the liberalisation, globalisation and privatisation, the entire world has become a global village. So, please focus on the development issue. Our living legend, Shri Narendra Modiji is an example as to how he got the thumping majority four times consecutively in Gujarat; how the people from all the communities and religions had voted for him and how the BJP after 30 years, got the majority on its own. It was because of trust and faith on their leader. It was not on the basis of any religion. People from all religions had voted for them.

That is why I would request all the leaders. The young leaders are there and senior leaders are there. Please try to focus on the development agenda.

Recently, our Andhra Pradesh Chief Minister, Shri N. Chandrababu Naidu got re-elected after 10 years. It was not on the basis of any caste. We were also having alliance with the BJP. All the Muslims in Andhra Pradesh had voted from him; all the Christians had voted for him. It is because Shri Chandrababu Naidu is a committed to develop the State of Andhra Pradesh.

According to Mao, there are only two religions or two parties in this world One is the 'poor' and the other is 'rich'. The rich Muslim cannot help the poor Muslim and the rich Hindu cannot help the poor Hindu.

I would sincerely appeal to all. First of all, our leaders should change the mindset. We have all to change our mindset. If any violence including communal violence happens in any State or in the country, we should make our law and order very strict, to deal with it.

Just to say that because of the BJP Government, communal violence is happening or one should blame the BJP Government because some Hindu is ruling, is not correct. If any Muslim king is ruling and a communal violence

happens in his kingdom, we should blame the Muslim king. So, the rulers will not be held responsible for it.

In the end, once again, I would sincerely appeal to all the leaders to please maintain the communal harmony and focus on the development of the country. Then only, our country will progress further.

With these words, I conclude.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): सभापित महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा का विषय यह है कि जो साम्प्रदायिक दंगे हैं, उनसे निपटने के लिए कौन सा मैकेनिज्म बनाया जाए।

हम सदन में चर्चा इसिलए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको यह स्वीकार है कि वर्षों से पूरे देश में साम्प्रदायिक तनाव और फसादात ने हजारों लोगों को परेशान किया है। हम जब सदन में चर्चा करते हैं तो हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भावना बाहर भड़काई जा रही है, उससे हम किस तरह से निपटें, यह हमारा मकसद है। आज जिस भावना को इस्तेमाल किया जाता है, हम सदन में अगर इस बहस को इस तरह से मोड़ें कि उसी भावना के बारे में हम पूरे देश के सामने हमारे चैनलों के माध्यम से और प्रचार माध्यमों के जिरये यह बतायें कि जनप्रतिनिधि भी उसी भावना के शिकार हो रहे हैं तो हम उससे निपटने की बजाय उसे बढ़ावा ही देंगे। अभी हमने सत्पथी जी को सुना, उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है कि - When we talk about communal violence, particularly escalating polarisation, we must ensure that instead of provoking, we must try to restrain the emotional levels. Unfortunately, not today but most of the time we fail to give the correct signals and sometimes those signals are caught and wrongly handled.

अभी यह आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। खास कर जब यह बात आई कि नई सरकार के आने के बाद से पिछले दो महीने में घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी मोदी जी जब अपनी नैशनल कांउसिल को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें कहा गया कि यह जो सांप्रदायिक फासादात हो रहे हैं, जहां तक मैंने मीडिया में पढ़ा कि यह वोट पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। यह हम राजनीतिज्ञों के ऊपर लांच्छन होता है। अभी कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया ने भी यह कहा और मीडिया में भी यही कहा जा रहा है, चूंकि कुछ उप-चुनाव हैं, कुछ विधान सभाओं के चुनाव सामने आ रहे हैं, लेकिन हम यह देखते हैं कि ये पिछले कई वर्षों से लगातार कभी कम हो रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। यू.पी.ए. सरकार, जिसने दस साल तक हमारे देश में हुकूमत चलाई, एक सोच आई थी। प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस बिल लाया गया, दस साल तक उस पर चर्चा हुई, बहस हुई, स्टैण्डिंग कमेटी में विचार हुए, लेकिन यू.पी.ए.-1 और यू.पी.ए.-2 they have failed miserably to bring the Bill. उनके प्रोमिसेज़ थे कि प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस को कानून में लाया जाएगा। कई कानून बने, बहुत हाई स्पीड में बने, बहुत से बिल बिना चर्चा के भी पास किए गए, लेकिन इस कानून को हम नहीं ला पाए। इस सरकार से तो मैं यह मांग भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह उनका प्रोमिस भी नहीं है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No cross-talk please.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I have a point of order. He has used my name. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, that is not going on record.

SHRI MOHAMMAD SALIM: What about my rights? ... (Interruptions) सर, यह जो cult of violence है, जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, वह हम पूरे विश्व में भी देख रहे हैं और हमारे देश में भी देख रहे हैं। इसके पीछे कारण हैं, अगर हम उनका नियंत्रण करना चाहें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कानून ले आएंगे या जैसे कोई लॉ एण्ड ऑर्डर एंफोर्सिंग मशीनरी बना देंगे तो फिर पूरा नियंत्रण में आ जाएगा। उसके पीछे cult of violence के साथ-साथ आप अगर देखेंगे कि यह इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। अभी यहां कभी-कभी ये भड़क जाते हैं, हम जानते हैं न कि डैमोक्रेसी में सब का अपना-अपना अलग-अलग मत है। जिस तरह से हमें बोलने का हक है, वैसे ही कुछ सुनने की भी जिम्मेदारी है। यह इस पक्ष और उस पक्ष का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र का मंदिर है। अगर हम यहां पर अपनी बात को नहीं बोल पाएंगे, अपने मत को नहीं रख पाएंगे तो kind of majoritarianism अगर डेवलप किया जाए, चाहे वह समाज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे सदन में कि हम जो कहते हैं, वही है और दूसरी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी तो फिर हमारा पहनावा, हमारी खुराक, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारी जुबान, जीने के हमारे तौर-तरीके, सब पर हमले होंगे यह देश जो है, इसमें विविधता है और उसे हमने स्वीकर किया है।

हमारी आज़ादी की लड़ाई से जो धरोहर हमें मिली हैं, साम्राज्यवाद से लड़कर हमने जो धरोहर हासिल की है, इसलिए हमारी सभ्यता में गौरव है, इस सभ्यता और संस्कृति को अगर हम किसी एक रूप का बनाएंगे, अगर एक टनल के अंदर डालेंगे तो वह गलत होगा। यह तनाव तब बढ़ता है, जब हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारे विचार में जम्हूरियत के प्रति, जो लोकतांत्रिक भावना है, उसमें कमी आती है। इससे एक्सट्रिमिज़्म तैयार होता है। यह जो कल्ट ऑफ वॉयलेंस है, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसका कोई एक धर्म नहीं है, साम्प्रदायिक जो है। धर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है, जाति का भी इस्तेमाल हो सकता है, भाषा का भी इस्तेमाल हो सकता है, वे उसे हथियार के रूप में

-

^{*} Not recorded.

इस्तेमाल करते हैं। हम साम्प्रदायिक राजनीति में यह समझते हैं कि ये इस धर्म के बहुत बड़े मानने वाले हैं, इसलिए कट्टर हैं। दरअसल वे धर्म मानने वाले हीं, इसलिए कट्टर हैं। दरअसल वे धर्म मानने वाले ही नहीं हैं, वे धर्म को समझते भी नहीं हैं। वे धर्म के दर्शन को नहीं समझते हैं और वे धर्म का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक खूनी जिस तरह से रिवाल्वर, पिस्तौल, खंजर या तलवार का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

शुरूआत में तो ऐसा होता है कि काम्पटीटिव पॉलिटिक्स या काम्पटीटिव कम्युनलिज्म के लिए हम एक दूसरे को दिखाते हैं, अपने साथ लोगों को इकट्ठा करने के लिए दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे धर्म के चैम्पियन हैं, क्योंकि, हम उस धर्म के साथ लड़ रहे हैं।...(व्यवधान) आप सुनिए, यह समझने की बात है। ...(व्यवधान) फिर माफी माँगोगे।...(व्यवधान) लोग एक बार माफी मांग लेते हैं तो शिक्षा ले लेते हैं। ...(व्यवधान) हम किसी एक धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि यह सब कैसे होता है,...(व्यवधान) आपको यह मामला कैसे बुरा लग गया, यह आपकी बात तो नहीं है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं सोचकर कह रहा हूं, मैं कोई नोट से पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। यह एक वैचारिक मामला है। वे जो करते हैं, जो झगड़े होते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, चाहे किसी भी प्रांत में हो, किसी भी जिले में हो, जैसा हो रहा है या जैसा होता आया है तो उसमें यह होता है कि पहले ये अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम दूसरे के साथ बदला ले रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व का इतिहास यह कहता है, हमारे देश का इतिहास भी कहता है और आसपास के देशों में भी हम देखते हैं, जो वहां अशान्ति हो रही है, हिंसा भड़क रही है, वे अपने धर्म के ही जो सही विचार, सही सोच, सही समझ और अमन और शान्ति के पुजारी हैं, उनके साथ कट्टरपंथियों की लड़ाई होती है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री मोहम्मद सलीम: सब जगह एक धर्म से दूसरे धर्म की लड़ाई नहीं होती है। इसे करने के लिए हमारी संस्कृित को, हमारी शिक्षा को, हमारे धर्मग्रन्थों को, हमारे धर्म के लोगों को, हमारी धार्मिक भावना को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हादसे इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि, हमारे सामने यह चुनौती ज्यादा आ रही है। मैं समझता हूं कि बदले हुए माहौल में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में बदला हुआ माहौल है, इसमें कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि चलो चुनाव में विकास के नाम से हो या जैसे भी प्रचार हुआ, लेकिन लोगों ने फैसला किया, उनके हक में फैसला हुआ। अभी राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने हैं। अब राजनाथ सिंह जी के चाहने वाले कोई लोग, राजनाथ सिंह जी नहीं, अगर यह समझें कि अब हमारी मनमानी चलेगी और बाकी की नहीं चलेगी तो इससे अशान्ति भड़केगी, गड़बड़ होगी। पूना में चाहे वह मोहसिन शेख, आई.टी.

प्रोफेशनल की हत्या हो, चाहे वह जम्मू के कठुआ में हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हिरयाणा के मेवात में हो, चाहे वह किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वह हमारे पश्चिम बंगाल में हो।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री तारिक अनवर।

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, I am about to conclude.... (Interruptions) में कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ।...(व्यवधान) मैं कोई प्रदेश स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

माननीय सभापति : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

^{*} Not recorded.

श्री तारिक अनवर (किटहार): महोदय, आज इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। मैं समझता हूं कि आज इस पर देश के सभी लोगों की नजर है कि यह सदन ऐसे संकट के समय में सिर्फ मूकदर्शक बनकर रहना चाहता है या सही मायने में कोई कदम उठाने की चेष्टा करता है।

महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री की या सभ्य समाज की जो पहचान होती है, वह इस बात से होती है कि वहां जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, दिलत हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होता है? और उनकी जो भी समस्याएँ हैं, उनका निदान करने के लिए हम क्या कदम उठाते हैं। आज वोट बैंक की राजनीति की बात होती है। कहा जाता है कि देश के अल्पसंख्यक, खास तौर से मुस्लिम समाज को देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमेशा यह कहा जाता है और तुष्टीकरण की बात कही जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जस्टिस सच्चर और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बार-बार जो देश के अंदर यह बात उठाई जाती है कि एक वर्ग-विशेष का तुष्टीकरण हो रहा है, उसमें सच्चाई नहीं है। आज यह बात कही गई है या कही जाती है कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक किसलिए होता है - चुनाव जीतने के लिए होता है। अल्पसंख्यक वोट को लेकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अगर हम अल्पसंख्यक और समाज के कमज़ोर वर्ग की बात करते हैं तो इसलिए बात करते हैं कि देश की मुख्यधारा से उनको जोड़ा जाए। जब हम कहते हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा।

अनेकता में एकता की बात हम करते हैं। भारत एक ऐसा देश है, जिसमें दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसके मानने वाले हमारे देश में न रहते हों। यहाँ अलग-अलग जातियाँ हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग संस्कृति और संस्कार हैं और उस देश को अगर एक साथ लेकर चलना है तो उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि हम सर्वधर्म-समभाव के रास्ते पर चलें, जो महात्मा गांधी का रास्ता था, जो उन्होंने हमें सिखाया था। आज हम उस रास्ते से कहीं न कहीं भटक रहे हैं। इस बात को हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है, मज़बूत नहीं हो सकता है, अगर वहाँ एक समुदाय दूसरे समुदाय पर शक करे, एक दूसरे पर विश्वास न करे, उर और भय का वातावरण रहे तो वह देश कभी मज़बूत नहीं हो सकता।

हमारे प्रधान मंत्री जी का कहना है कि हमें इस देश को बहुत आगे ले जाना है और इस देश को एक महान शक्ति बनाना है। यह देश महान शक्ति तभी बनेगा, जब इस देश में रहने वाले सभी लोग मिलकर उसके लिए प्रयास करें। 'सबका साथ और सबका विकास' - क्या यह मात्र नारा है? अगर नारा नहीं है, अगर सचमुच उसमें आपका कुछ उद्देश्य है तो आपको सबको साथ लेकर चलने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ नारा देने से काम नहीं होगा। यह दिखना भी चाहिए कि आप सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ आप चाहते हैं। जब तक यह दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ ज़बानी नारा लगाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है।

यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। सही बात है कि उनसे बहुत उम्मीद है, आशा है। वे इस बात को दोहराते हैं कि देश के अंदर एकता रहनी चाहिए, देश के अंदर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर हमें चलना है। इस बात पर हमें यकीन है कि आने वाले समय में, क्योंकि, यह मामला बहुत गंभीर है। हमारे कुछ साथियों ने ठीक कहा कि इसको इस नज़रिये से देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किस धर्म का है और हम सब लोग यहाँ जो आए हैं, हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी धर्म-विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जब कोई बात बोलनी चाहिए तो ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे यह संदेश जाए कि हमें देश की चिन्ता है। देश इंसानों से बनता है और इस देश में रहने वाले लोग इस देश के सही मायने में नागरिक हैं।

मैं अंत में यही कहूंगा कि हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। अगर पड़ोस में आग लगती है तो हमारा भी घर जल सकता है। इसलिए ऐसा कोई क़दम न उठाएं, जिससे हमारे देश के शत्रुओं को, जो कि हमारे देश को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनको उसका लाभ मिले। एक ऊर्दू का शेर है, जिसे मैं आपको, खास तौर से हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, को सुनाना चाहता हूं.-

'कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुक़द्दर से, बस उसे ख़ूबसूरती से निभाना सीखो।'

महोदय, मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि देश की एकता और अखण्डता सर्वोपिर है। हम सभी लोगों को अपने राजनैतिक स्वार्थ से ऊपर उठ कर देश के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम देश को आगे बढ़ाएं। देश की मुख्य समस्या, ग़रीबी, बेरोज़ग़ारी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो, न कि आपस में हम लोग लड़ते रहें, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। हमारे देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, वह हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देखती है कि शायद उनकी समस्याओं का निदान होगा, शायद उनकी

कठिनाइयां कम होंगी, लेकिन अगर हम इसी तरह से आपस में उलझते रहे तो यह न हमारे देश के लिए अच्छा होगा, न हमारे समाज के लिए अच्छा होगा।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापित जी, आदित्यनाथ जी के भाषण से ही पता चल जाता है कि भाजपा के कितने अच्छे दिनों की शुरूआत हुई है। इनका पूरा का पूरा भाषण इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने पर केंद्रित है। इनके भीतर जो गहरी साजिश है, वह सब कुछ इनके भाषण में निहित है। इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

हम यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करने नहीं आए हैं। राजनाथ सिंह जी हम लोगों के गार्जियन हैं, वे सदन में मौजूद हैं। यहां हम ऐसे देश की एकता और धर्म की कल्पना को लेकर आए हैं, जिस धर्म के बारे में कहा जाता है- 'आत्मनो मोक्षरार्थम् जगत हिताय च।' मतलब, अपना मोक्ष और दुनिया का कल्याण हो। ऐसी भावना को ले कर हम यहां बैठते हैं, जिसमें न किसी भाषा, न किसी क्षेत्रवाद, न कोई मज़हब, न धर्म का कोई स्थान हो। सिर्फ एक साधारण-सी बात आपको सुना कर मैं अपने भाषण की शुरूआत करूंगा कि किश्तवाड़ हो या गुजरात मरते सिर्फ बेगुनाह हैं और वे मरते रहेंगे, जब तक इंसानियत का राज इस देश में इस जगह नहीं होगा।...(व्यवधान)

महोदय, सम्प्रदायिकता या किसी भी चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इन्होंने साधु-संत और मौलाना की बात कही है। मैं इन्हें कह देना चाहता हूं कि जो इनके गुरु हैं, जिस धर्मपीठ से ये आते हैं, उसकी संस्कृति और तहज़ीब में अल्पसंख्यक से ज्यादा दिलत विरोधी हैं, आदिवासी और गरीब विरोधी हैं और ये कैसे हैं, देश में इनके जो स्कूल हैं, अगर आप उन स्कूलों में जाकर आरएसएस की फिलोसफी पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के दिलत और आदिवासियों के बारे में आपको पता चलेगा...(व्यवधान) इसके लिए आपको मध्य प्रदेश जाना होगा।...(व्यवधान)

सभापित महोदय, मैं वाद-विवाद में नहीं जाऊंगा।...(व्यवधान) मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं संघ का और किसी का विरोधी नहीं हूं।...(व्यवधान) मैं सब का सम्मान करता हूं।...(व्यवधान) आपने बहुत अच्छा कहा। आपको पता होना चाहिए कि गुज्जर और जाट भी भैंस का दूध ही उठाते हैं, जो यादव और राजपूत करते हैं, इसलिए आप चिंता न करें।...(व्यवधान)

महोदय, जब ये लोग हमारा वक्त ले रहे हैं तो आप मुझे अपना भाषण खत्म करने के लिए घंटी मत बजाइएगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आप चेयर की तरफ देख कर बात कीजिए।

श्री राजेश रंजन: आपके यहां भी एक सन्त बैठे हैं। लेकिन आप ने जिस सन्त और मौलाना की बात की है तो यदि आप इस देश में जाएंगे और आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को देखेंगे तो इसमें निश्चित रूप से दिलत, आदिवासी के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की भी वही स्थिति है। यदि कोई भी व्यवस्था या कोई भी संस्था सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े किसी समाज को उठाना चाहती है तो इसमें तुष्टीकरण की बात नहीं की जानी चाहिए, उसको किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहिए।...(व्यवधान)

जहां तक साधु-सन्तों का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा कि हमारे यहां साधु हैं, सन्त भी हैं, लेकिन इस दुनिया को ... * जैसा सन्त नहीं चाहिए।...(व्यवधान) इस देश को ... * जैसा सन्त नहीं चाहिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Names should be deleted.

श्री राजेश रंजन: महोदय, मैंने क्या कहा है?...(व्यवधान) इनके बारे में तो दुनिया कह रही है।...(व्यवधान)

मैंने कहा कि उधर मेरी बहन बैठी हुईं हैं, मेरे भाई हैं।...(व्यवधान) योगी जी हमारे लिए अत्यंत सम्मानित हैं। वे मेरे भाई हैं। हम लोगों ने साथ-साथ काम किया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये ... * लोग तो उधर बैठे हैं। ये लोग कर्मयोगी नहीं हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आप चेयर को देख कर बोलिए।

श्री राजेश रंजन: सभापित जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं कोई आपितजनक बात नहीं बोलता हूं।...(व्यवधान) मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाजपा के दो दांत हैं।...(व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक दिन स्पष्ट रूप से मंच पर कहा कि इस देश में भाजपा को लाने में सबसे अहम रोल अगर किसी व्यक्ति का है तो वह ... * का है।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में नरेन्द्र मोदी ... * है।...(व्यवधान) ये सब लोग तो उन्हीं के भरोसे आए हैं, लेकिन हाथी का खाने वाला जो दांत है, हिन्दुस्तान में उसका नाम ... * है। ... * हिन्दुस्तान में ऐसा व्यक्ति है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आप बाहर के किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Names should be deleted.

-

^{*} Not recorded.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सीगत राय (दमदम): ये क्या बात है कि रुलिंग पार्टी किसी को बोलने नहीं देगी?...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are a senior member.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : प्लीज्, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): राजेश रंजन जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बात रख रहे हैं, किन्तु मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, जो सदन का सदस्य नहीं है, यह परम्परा है। दूसरी बात यह है कि किसी भी सम्मानित शब्द के अपभ्रंश का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि ... है।...(व्यवधान) यह गलत है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह शब्द डिलीट करने के लिए बोला है।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have asked for deletion of these things.

... (*Interruptions*)

श्री एस.एस.अहल्वालिया: रंजन जी, आपको आत्म ज्ञान तिहाड़ जेल में हुआ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: वह शब्द डिलीट करने के लिए बोल दिया है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: सभापति महोदय, भैंने नाम विदड्रा कर लिया है।...(व्यवधान)

मैंने उनका सम्मान के साथ नाम लिया, अगर आप कहते हैं तो मैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा। ...(व्यवधान)

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूं, न मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले आतंकवाद की यहां बहस है, न हिन्दू तुष्टीकरण आतंकवाद की यहां बहस है। यदि हिन्दू तुष्टीकरण

^{*} Not recorded.

आतंकवाद है तो उसके भी राजनाथ सिंह जी और देश के सभी लोग विरोधी हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के आतंकवाद के भी देश के सभी लोग विरोधी हैं, ऐसा नहीं है कि वे उसके पक्षधर हैं।...(व्यवधान) सवाल उठा है कि इतने दिनों के अंदर हो सकता है, क्या दंगा पहले नहीं हुआ है, लेकिन दंगा हुआ तो किस ने उसको सही ठहराया। किसी ने उसको जायज नहीं ठहराया। हिन्दुस्तान में वह गलत हुआ, चाहे भागलपुर में दंगा हुआ हो या जहां-कहीं भी कोई दंगा हुआ हो, उसको न आप, न हम, कोई सही नहीं कह सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वह सही था, जो दो महीने के अंदर छ: सौ दंगे हुए, क्या उनको जायज़ ठहराया जा सकता है? ...(व्यवधान) मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका टाइम खत्म हुआ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your time is up.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आपका टाइम खत्म हुआ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Miss Mehbooba Mufti.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I gave you ten minutes.

... (Interruptions)

सुश्री महबुबा मुफ़्ती (अनन्तनाग): सर, इतना शोर कर रहे हैं, हम कैसे बोलें?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने आपको दस मिनट बोलने का टाइम दिया था।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have given him ten minutes.

... (Interruptions)

सुश्री महबूबा मुफ़्ती: सर, इतने शोर में हम कैसे बोलें? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: खड़जे जी, आप बोलिए।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे : मेरा यह कहना है कि रंजन जी अपना भाषण कंन्क्लूड कर रहे थे, उनको दो मिनट का समय कन्क्लूड करने के लिए दीजिए।...(व्यवधान) Let him finish. ... (Interruptions) माननीय सभापति: रंजन जी, आप एक मिनट में कन्क्लूड करिए।

श्री राजेश रंजन: सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुजफ्फरनगर की घटना, गुजरात, किश्तवाड़ या कहीं की घटना हो।...(व्यवधान) जो हिन्दुस्तान की सियासत ही नहीं, यदि 1984 के दंगों की ये बात करते हैं,...(व्यवधान) मैं इस बात को कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

मुजफ्फरनगर में क्या हुआ?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)*

18.00 hrs.

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

माननीय सभापति : आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइये।

(Interruptions) ...*

माननीय सभापति : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

(Interruptions) ... *

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, it is 6 o'clock now. I have some more Members to speak on this discussion under Rule 193. What is the opinion of the House?

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, not only time should be extended, reply should be given tomorrow.

SEVERAL HON. MEMBERS: Please take up 'Zero Hour'.

_

^{*} Not recorded.

HON. CHAIRPERSON: Shall we take up 'Zero Hour'?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: राजनाथ सिंह जी, आप कल प्रश्न काल के बाद रिप्लाई दे दीजिए। ...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदय, आज चूंकि अधिकांश सम्मानित सदस्य यह चाहते हैं कि जीरो ऑवर में वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने राज्य की समस्याओं को यहां उठा सकें, इसलिए अभी जीरो ऑवर प्रारम्भ करें, इसमें हमें कोई आपित नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि चर्चा प्रारम्भ हुई है तो यह चर्चा चलनी चाहिए। जितने भी माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं, उन्हें भाग लेने की इजाजत आपके द्वारा मिलनी चाहिए। यह हमारी अपेक्षा है। चूंकि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ उपस्थित नहीं हैं, कल का क्या कार्यक्रम है, उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन कल जो भी काम होगा, ढाई-तीन बजे के बाद इसको ले लेंगे। ... (व्यवधान) कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी तो उस कमेटी की बैठक में इसका फैसला कर लिया जायेगा कि कल यह चर्चा कब प्रारम्भ करनी है, कब इसे समाप्त करना है और कितनी देर तक चर्चा चलानी है? इस सम्बन्ध में सारे फैसले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हो जायेंगे। ... (व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: राजनाथ सिंह जी, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। चूंकि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन ऑवर के बाद 12 बजे आप यह चर्चा अगर लेते हैं तो इसे 2 बजे तक खत्म भी कर सकते हैं। अगर लंच नहीं करते हैं तो उसे भी हम छोड़ देंगे, लंच में भी इसे चलने दीजिए और इसका उत्तर उसी वक्त दे दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह: खड़गे जी, हमारी एक मजबूरी है कि कल मैं 2 बजे तक यहाँ पर नहीं हूँ, इस कारण मैंने यदि समय की बात कही है तो दो बजे के बाद की बात कही है। ...(व्यवधान) आप पूरे हाउस की ओपिनियन ले लीजिए। ...(व्यवधान) यदि सभी सदस्य चाहते हैं तो आज भी इसे कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपित्त नहीं है। जैसी इस सदन की सहमित हो। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We will discuss this matter for another half an hour, and then take up 'Zero Hour'. Okay?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

HON. CHAIRPERSON: Under what rule?

श्री निशिकान्त दुवे : रूल 352। सभापति जी, पप्पू यादव जी ने दो प्वाइंट कहे। पहली उन्होंने गुजरात दंगे की बात कही। रूल 352 का फर्स्ट कहता है कि '... refer to any matter of fact on which a

judicial decision is pending.' ...(व्यवधान) दूसरा, उन्होंने मंत्री जी के बारे में कहा। ...(व्यवधान) उनके बारे में कहा। ...(व्यवधान) उन्होंने मुजफ्फर नगर दंगो के लिए कहा। ...(व्यवधान) उन्होंने उनके बारे में कहा कि उनको मंत्री बना दिया गया।

It also says that a Member shall not 'make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the *bona fides* of any other Member of the House' ... (*Interruptions*) ये दोनों एक्सपंज करिए।...(व्यवधान) स्पीकर सर, ये दोनों एक्सपंज करिए। ...(व्यवधान) 352 के तहत मुज्जफरपुर दंगे का अपराधी...(व्यवधान) वह लाइन भी एक्सपंज करिए। ...(व्यवधान) (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि अपराधी को मंत्री बना दिया।...(व्यवधान) इसलिए ये दोनों एक्सपंज करिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat.

... (Interruptions)

सुश्री महबूबा मुफ़्ती (अनन्तनाग): सर, आज का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मेरे कई कुलिग्स ने बताए कि इसमें बेगुनाहों की जानें खामखाह जाती हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं होता है। यह आज की बात नहीं है। यह वर्ष 1947 से होता आ रहा है। अनफोरटूनेट्ली, हम इसको इस लिए रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे यहां प्वाइंट्स स्कोरिंग होती है कि हमारे वक्त के मैसेकर में कम लोग मारे गए थे और आपके मैसेकर में ज्यादा लोग मारे गए हैं। मेरे ख्याल में यह हमारी सबसे बड़ी बदिकरमती है कि हम असली मुद्दे की तरफ नहीं जाते हैं।

सर, मैं आपके सामने एक इंसिडेंट रखना चाहती हूं। कुछ साल पहले मैं अमेरीका गई थी। वहां के अम्बैसडर इंडिया में थे। हम उनसे मिले। हमने उनसे पूछा कि 9/11 के बाद क्या वजह है कि अमेरीका ने वहां टेरिस्ट हमले रोक दिए? क्या आपके पास बहुत स्ट्रीन्जन्ट लॉज है? उन्होंने कहा कि हमारे पास लॉज तो हैं और हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है, वह हमारी माइनॉरिटिज हैं, हमारे मुसलमान लोग हैं, जो हमारे साथ हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जो हमारी माइनॉरिटिज दिलखुसुस मूस्लिम्स हैं, सर, होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, इनको आप बोलिए, आप रिकार्ड निकालिए, पिछले कई सालों से जब कश्मीर में मिलिटैंसी हुई, वहां दुनिया के कोने-कोने से लोग लड़ने के लिए आए, मगर उनमें से हमारे मूल्क का, जम्मू-कश्मीर से बाहर का कोई मुसलमान वहां मिलिटैंट बनने के लिए नहीं आया। उसके बावजूद आप देखिए, जब भी कहीं हमला होता है, 24 घंटे के अंदर तस्वीरें आती हैं कि दाढ़ी वाला यह है, यह है, इंवाल्व है। अगर आपकी इंटैलिजेंस इतनी मजबूत है तो 24 घंटे पहले आपको इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। यह खेल हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, जिनमें कई सारे इंकाउंटर्स, जिनमें रुलिंग पार्टी के अपने लोगों ने भी अंगुली उठाई।

सर, मेरा यह कहना है कि इंडिया की जो माइनॉरिटिज हैं, बिलखुसुस मुस्लिम्स हैं, उन्हें इंडियन नेशन से कोई शिकायत नहीं है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जहां-जहां जिनकी सरकारें हैं, हमें उनसे शिकायत है। हम उनका शिकार हो गए हैं। हम एस्टैब्लिशमैंट का शिकार हो गए हैं।

सर, हमारे मूल्क के माइनॉरिटिज के सबसे बड़े एन्टरप्रेन्योर कौन हैं - आजम प्रेम जी और एम.एफ.हुसैन। आप फिल्म इंडस्ट्रीज में देखिए, आप कहीं किसी फील्ड में देखिए, जहां माइनॉरिटिज को स्टेट का मुकाबला नहीं करना पड़ा, वहां वे कैसे ग्रो होते हैं? मगर, जहां स्टेट मशीनरी आती है, it is not only about Muslims; it is about the common man. अगर कोई गरीब आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है? हमारी बच्चियों का रेप होता है। वे पुलिस स्टेशन जाती हैं तो क्या होता है? यह आलम माइनॉरिटिज का है। आप जेलों में देखिए। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं।

मैं इनके बारे में एक बात जानती हूं। मेरे फादर हमेशा कहते हैं। वी.पी. सिंह जी जब जिंदा थे, वे मुझसे कहते थे कि मुफ्ती साहब, यू.पी. में कोई मसला हुआ, हम धरने पर बैठ गए तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने मुझे फोन कर के बुलाया कि वी.पी.सिंह जी क्या बात है? आप आइए, मिल कर बात करते हैं, तो कहा - I was disarmed. अगर आप में इतनी एकॉमोडैशन है, इस वक्त आप हमारे होम मिनिस्टर हैं। मेरा मानना है कि हर स्टेट, अगर पुणे में लड़का मारा गया तो महाराष्ट्र स्टेट क्या कर रही थी। मगर सर आपकी कलैक्टिव रिस्पॉन्सिब्लिटी है। जैसे सलीम भाई ने कहा। नेशनल इंटीग्रैशन काउंसिल की कई मीटिंग्स हुईं। Why are we reactive? आज यह रिएक्शन है। इतने दंगे हो गए, why do we not find a permanent solution? इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें तािक कहीं भी दंगा न हो। खुदा न खास्ता अगर दंगा हो तो लोगों को इंसाफ मिले क्योंकि दंगे तभी होते हैं जब लोगों को यह मालूम होता है कि वहां का एसएचओ, वहां का पुलिस वाला, वहां का सिस्टम, it can be anything. It can be Congress; it can be BJP; it can be SP क्योंकि कहीं न कहीं दंगे करने वालों को यह मालूम होता है कि हमारे साथ कुछ उल्टा होने वाला नहीं है। How do we do? हम इस सिस्टम को कैसे इतना मजबूत करें कि चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिसके साथ गलत हो, किसी के साथ रेप हो, किसी के साथ मार-कुटाई हो, उसे इंसाफ मिले।

कई सालों से बात हो रही थी। सलीम भाई ने कहा प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल रॉयट्स, बहुत सारे बिल लाए गए, पास किए गए। मगर इसका सिर्फ शोर हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, चर्चा से ज्यादा उस पर अम्ल कीजिए। क्या किया? आपकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि माइनॉरिटीज़ कितने बैकवर्ड हैं। Have we done anything about it? No, क्योंकि दोनों तरफ से कहीं न कहीं एक मस्जिद गिरा रहे होते हैं, वे वोट पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरे तमाशा देख रहे होते हैं। वे कहते हैं कि हम बाद में छाती पीटेंगे। हमें उसमें वोट मिलेंगे। India is a nation of secular people. सैकुलर पीपल को भी अनटचेबल बना दिया गया है। अब सैकुलर नाम लेते हुए भी इंसान को तकलीफ होती है। यह हमारा मुल्क चाहे हिन्दू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे इसाई है, वह मजहब के नाम पर बंटना नहीं चाहता। वह सड़क चाहता है, बिजली चाहता है, पानी चाहता है। They want to live with dignity and honour. मगर हम आपस में जो स्लिंगिंग मैच कर रहे हैं, आपने यह किया, यह किया, मुझे लगता है कि डिस्कशन जिस ओर जानी चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

पहले पार्लियामैंट और असैम्बलीज के एक बार ही इलैक्शन हो जाते थे। अनफार्चुनेटली अब असैम्बली के इलैक्शन होते रहते हैं, इसलिए दंगे भी चलते रहते हैं।

यहां कश्मीरी पंडितों की बात हुई। कविता जी ने भी बात की। 700 कश्मीरी पंडित मारे गए। 50 हजार मुसलमान भी तो मारे गए। मेरी फैमिली के लोग भी तो मारे गए।...(व्यवधान) Please do not do it. Do not make it a fight between the two of you. No. हमारी फैमिली के लोग भी मारे गए। When my father was the Home Minister, my uncle was killed; when my father was the Chief Minister, my nephew was killed. यह जरूर हुआ कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, आपको उन पर तरस आ गया, आपने उन्हें जगह दे दी। मगर जब मुसलमान वहां से निकले तो उन्हें मुल्क में जगह नहीं मिली। बोला, यह आतंकवादी है, इसे निकालो।...(व्यवधान) आज हमारे कश्मीर का शाल वाला, कारोबार करने वाला पूरे मुल्क में जाता है। अपनी चीजें बेचता है। उसे कोई शिकायत नहीं है कि मेरे मुल्क के लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, अगर उसे शिकायत है तो सिस्टम से है। पुलिस वाला किसी के घर जाता है, अरे कश्मीरी को यहां रखा है। इसे निकाल दो। हमारा लोगों के साथ कुछ नहीं है। लोग कश्मीर आते हैं, हम कहीं चले जाते हैं तो एक हैं। मगर इस कंट्री का जो सिस्टम है, जो हमारे स्टेट्स का सिस्टम है, उसे पीपल फ्रैंडली बनाइए, खुद ही माइनॉरिटीज़ भी आ जाएंगी, मेजॉरिटी भी आ जाएंगी।

सभापित महोदय, आपने मुझे बात करने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने पहले भी राजनाथ सिंह जी का नाम लिया कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि अनफार्चुनेटली जब से यह सरकार बनी है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। मगर आपकी तरफ से आपने लफ्ज भी नहीं खोले। मैं वही कहूंगी, कहते हैं -

> न समझोगे तो मिट जाओगे हिन्दुस्तान वालो आपकी दास्तान भी न रहेगी दास्तान में।

उसे हमें याद रखना चाहिए।

माननीय सभापति : निशीकांत दूबे जी के प्वाइंट ऑफ आर्डर में अगर कुछ ऑब्जैक्शनेबल है तो उसे एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापित महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ चंद सवालात हिन्दुस्तान के वज़ीरे दाखिला के सामने रखना चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि वे जवाब देते समय मेरे सवालात के जवाब देंगे। यहां इसिलए बहस हो रही है कि एक इफैक्टिव मकैनिज़्म को इवॉल्व किया जाए। मैं आपके जिरए वज़ीरे दाखिला से पूछना चाहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है कि जब फिरका वाराना फसादात होते हैं, हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा फिरका वाराना फसादात हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि जब फिरका वाराना फसादात होते हैं तो सबसे बड़ा रोल पुलिस का होता है? जब तक पुलिस में तमाम तबकों की नुमाइन्दगी नहीं होगी, चाहे अकलियतें हों, दिलत हों, हम उन फसादात को रोक नहीं सकते। क्या वे मेरी बात से मुत्तफिक हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स होमोजुनस है, पार्शियल होती है, पुलिस फोर्स में तमाम तबकों की नुमाइन्दगी के लिए क्या करेंगे?

में वजीरे दाखिला साहब से दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत ने यह ऐलान किया, इस ऐवान में बात को रखा कि इस साल आप लोग 12 लाख करोड़ रुपये टैक्सेज ऐक्सैप्ट कर रहे हैं। पिछले साल 10 लाख करोड़ रुपये था और इस साल 12 लाख करोड़ रुपये हैं, यानी दो लाख करोड़ रुपये का इजाफा आपने तखमीया लागत किया है, आपने उम्मीद रखी है। अगर यह खेल चलता रहेगा, हिन्दू-मुस्लमान को मारने का खेल चलता रहेगा, फिरका-फसादात चलते रहेंगे, तो क्या होम मिनिस्टर साहब यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दो लाख करोड़ रुपये इजाफा टैक्सेज आप जो उम्मीद कर रहे हैं, वह क्या आपको मिलेगा? यह मैं आप पर छोड़ता हूं।

में होम मिनिस्टर साहब से तीसरी बात पूछना चाहूंगा कि मैं बड़ा मुतमईन हूं कि बीजेपी के मोअज्ज़िज रूक्न ने जो बात कही है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने जो भी कहना था, वह हमेशा कहा। हम दस साल से सुन रहे हैं, मगर क्या वे उस गुफ्तगू से मुतिफ़िक हैं? पार्टी अलग है, हुकूमत अलग है। अब आप हुकूमत में हैं। आपने दस्तूर पर हल्फ उठाया है। आपकी नजर में सब बराबर हैं, तो क्या आप उनकी बात से मुतिफ़िक हैं।

मेरा चौथा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने फसादात हुए, उनकी इंक्वायरी किमशन की रिपोर्ट क्या कहती है? क्यों नहीं उसे लाया जाता? वजीरे दाखिला साहब, क्या यह मेरी बात सही नहीं है कि भागलपुर के इंक्वायरी किमशन की रिपोर्ट में जिस पुलिस वाले का जिक्र किया गया, क्या आप या हुकूमत ने उसे प्रैजेंट, मेडल नहीं दिया? उस एसपी को प्रैजेंट, मेडल दिया गया।

मैं आपके माध्यम से वजीरे दाखिला साहब से पांचवा सवाल यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि एक इशरत जहां की एनकाउंटर की फाइल आपके पास आयी है, जो आईबी का आफिसर है,

उस पर आप कह रहे हैं कि केस डायरी लाकर दो? सर, क्या यह बात गलत नहीं है कि एक लोक्स स्टेंडा ही नहीं है हुकूमत के पास केस डायरी पूछने का। इस ताल्लुक से आप फैसला कब करेंगे? मैं आपके जिये से वजीरे दाखिला से पूछना चाहूंगा कि आपके कोई गुरू हो सकते हैं। मुझे आप यह बतला दीजिए, एक बार फैसला कर दीजिए कि इस मुल्क में हिन्दुस्तानी उसी को कहेंगे, जो हिन्दू धर्म को मानता है। अगर यह बात है तो आप इस मुल्क के आईन को बदल दीजिए। आपके गुरू कहते हैं कि इस मुल्क में हिन्दू हैं।

मैं छठा सवाल हुकूमत से, वजीरे दाखिला से करना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि आपकी ही सिस्टर आर्ग्नाइजेशन के लोग बयान देते हैं कि तुम गुजरात भूल गये, तो मुजफ्फरनगर को याद करो। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं। वजीरे दाखिला साहब आप मुझे इस बारे में बताइये.

मेरा सातवां सवाल यह है कि आपके ही तनजीम के लोग कहते हैं कि हम 25 अगस्त के दिन तमाम ईसाइयों और मुसलमानों को हिन्दू धर्म में लेकर आयेंगे। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं, यह आप मुझे बताइये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज आप हुकूमत कर रहे हैं। आप हुक्मरान हैं।

मेरा आठवां सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आपकी आईबी सिर्फ मुस्लिम तनजीमों पर नजर रखेगी या फिर आप अक्सरीती तबके के तशुद्द पसंद फिरकापस्त ताकतों को जो बम बलास्ट भी किये हैं, क्या उन पर भी आप नजर रखेंगे या नहीं रखेंगे?

मेरा अगला सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आप इस मुल्क के पुराआशुब माहौल में जहां पर कत्लो-गारतगी की जा रही है, क्या आपकी हुकूमत कौमी यकजहती काउंसिल की मीटिंग बुलायेगी, तािक एक मुसब्त पैगाम हुकूमत को दिया जा सके। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, हुकूमत से कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि आप ऐक्तदार पर आ चुके हैं, मगर क्या कत्लो-गारतगी पर, मेरी लाशों के ऊपर आप अपने ऐक्तदार के महल को बनायेंगे? आप ऐक्तदार के महल को तो बना लेंगे, मगर याद रखिए कि मुल्क की बुनियादें कमजोर हो जायेंगी। इसलिए मैं हुकूमत से ...(व्यवधान)

महोदय, मैं तकमील कर रहा हू। ...(व्यवधान) मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि सूरत का बम बलास्ट, अक्षरधाम का बम बलास्ट, होम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है, क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेकर पूरे मुल्क का ऐतमदाद हासिल करेंगे? यह बुनियादी सवालात हैं।

आखिरी और अहम बात यह है कि क्या आप इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को इसके इथोस को, इसकी रूह को बरकरार रखेंगे या इसे बर्बाद कर देंगे। ...(व्यवधान) मैं आपसे इन सवालात का जवाब चाहता हूं। ये मेरे सवालात नहीं हैं, ये किसी मुसलमान के सवाल नहीं हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

^{*} Not recorded.

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): सभापित महोदय, कम्युनल वायलेंस पर एक एफेक्टिव मैकेनिज्म लाना जरूरी है, ...(व्यवधान) इस उद्देश्य से यह चर्चा इस सदन में हो रही है। मैं शिव सेना पार्टी की ओर से मुम्बई शहर का सांसद हूँ।...(व्यवधान) मुम्बई शहर एक अंतर्राष्ट्रीय नगरी है। यहाँ दो करोड़ की आबादी है। दो करोड़ की आबादी वाले इस शहर में 10-12 वर्ष पहले बहुत दंगे-फ़साद होते थे। अभी पिछले 10 वर्षों से यह बहुत कम हो गया है, इसका मतलब है कि वहाँ के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा सभी क्रौम के नेताओं के मन में अच्छी भावना आ गयी है, उसके मन में बदलाव आ गया है। मुम्बई महानगरपालिका वहाँ की दो करोड़ जनता की सेवा कर रही है। इसका तीस हजार करोड़ रुपए का बजट है। वहाँ पिछले 15 वर्षों से शिव सेना और बीजेपी की सत्ता है। जब हम लोग सत्ता चलाते हैं, तो कहीं भी भेदभाव नहीं होता है। हिन्दू, मुस्लिम, और और बाकी सभी दिलतों को समान दर्जा देते हैं। इतना अच्छा रिश्ता उस शहर में हम लोगों ने बनाये रखा है। इतना होने के बावजूद, मैं अपने मन की एक भावना इस सदन में उठाना चाहता हूँ।

सभापित महोदय, इस सदन में चपाती खिलाने के बारे में एक अंग्रेजी अखबार में एक बहका हुआ समाचार आया था, जो असली नहीं था। हमें निशाना बनाया गया। असल में यह सब झूठ था। यहाँ के सदस्यों ने धार्मिक भावना भड़काने का काम किया, जिसका मैं यहाँ निषेध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुम्बई शहर में मुस्लिम भाइयों के प्रति इतनी अच्छी भावना है, क्योंकि जिस दिन चपाती खिलाने का मामला इस सदन में आया, उसी के दूसरे दिन महाराष्ट्र के सभी ख़ासदारों को , जहाँ इफ़्तार पार्टी चलती है, बहुत सम्मानपूर्वक उनको उधर बुलाया गया था और इस घटना का कोई असर हमारे शहर में नहीं हुआ था।

सभापित महोदय, मुम्बई शहर में नवयुवक चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, उनके मन में धार्मिक भावना कम है। उनके मन में विकास की बातें हैं। हम लोग उनका विकास कैसे करें, इस बात की ओर वहाँ के युवा वर्ग सोचते हैं। इन युवाओं के मन में कभी धार्मिक भावना नहीं भड़कायी जाती है। इसिलए वहाँ हिन्दू और मुस्लिमों में अमन होता है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कम्युनल हारमनी कायम रखने के लिए शिव सेना पूरा योगदान करेगी। आज इस सदन में इस बारे में जो भी मैकेनिज्म लाया जाएगा, जो भी भारी से भारी मैकेनिज्म पर निर्णय लिया जाएगा, उसके तहत हम लोग समाज को बहकाने वाले अनैतिक लोगों पर बंधन लगा सकेंगे। मैं शिव सेना पार्टी और श्री उद्धव जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह जो धार्मिक भावना भड़काने का काम चल रहा है, उस पर आप बंधन लगाएँ, इसमें हम आपको सहयोग देंगे।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Respected Chairman, Sir, I thank you for the opportunity.

The discussion is about communal violence but I would like to speak more on communal harmony. I come from the land of communal harmony. I come from Telangana. Here we call it the Ganga-Yamuna *tahjeeb*. We never had communal violence until 1956 when we were a separate State. It is only after that that we had some instances and we believe, they were politically motivated. So, all the communal violence we experienced is actually political violence and we never had communal violence.

Our Deputy Chief Minister is a Muslim. We intend to give reservation to Muslims. We have Dargaahs where the entire Dargaah Board is consisting of Hindus. We have temples in my Constituency where the pearl necklace to Goddess Durga is given by the Muslim community residing there. Before that also our Rulers, before Independence, the Nizams were very secular. There are many such instances. We are inherently secular. But I am a Hindu and I am proud that I am a Hindu. I believe wherever Hindu philosophy is prevalent, there is no scope for communal violence. Let me explain.

Hinduism is an amalgamation of multiple philosophies. There are some Hindus who say that he prays to Lord Rama; some others say they pray to Lord Vishnu. But more importantly, we have conflicting beliefs and philosophies within Hinduism. We have on the one side the *Dwaita* who believes that man is here and God is somewhere there and the two are different entities and the same Hinduism has the exactly opposite philosophy who believes that there is no other God than the God within the man. We have people who are agnostic and their Hindus. In South India it is prevalent even today in my State and also in parts of Tamil Nadu where we have people who are Hindus but who do not believe in God. They are called the *Charvaks*. They go from village to village and preach no God, no God and no God. Hinduism is an amalgamation and is such a wide and open religion that there is absolutely no scope for communal violence.

A *Dwaita* Hindu is closer to a Muslim or to a Christian than to an *Adwaita* Hindu. The problem is that in such a wide definition and such an all encompassing philosophy or a group of philosophies called Hinduism, where is the scope – unless it starts narrowing into fundamentalism.

In a charged atmosphere, if I am in a minority, the very presence of a majority makes me insecure. In order to keep communal violence away, it is not the equal responsibility of every community, the majority community has the greater responsibility and now that BJP is in power, I think, they have the capability of ensuring the responsibility provided they do not start narrowing the definition of Hinduism and something that is newly invented called the Hindutva philosophy.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): बहुत से माननीय सदस्यों ने अच्छा बोला है, मैं सबके साथ मुत्तिफक हूं। सिर्फ मुझे दुख है कि हमारे खामी जी, मैं उनसे शुरू नहीं करना चाहता था, मेरे भाई हैं, मैं उनको हमेशा सलाम करता हूं, हाथ मिलाता हूं। यह कम्यूनल वायलेंस पर चर्चा हो रही है।...(व्यवधान) हमारी पार्टी के लिए नौ मिनट समय एलॉटेड है।...(व्यवधान)

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि इस चर्चा को लाने का जो मकसद है, उसको हमारे बहुत से साथियों ने शायद गहराई से नहीं लिया है। फ़सादात इस मुल्क में हो रहे हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है।

"मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।

भाई आदित्यनाथ जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप रिएक्शन न करें, लोगों को बोलने दें। आपकी बड़ी इज्जत है। जहां तक फ़सादात की बात है, हमारा यह मुल्क गंगा-जमुनी तहजीब का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है। हजारों जातियों और हजारों जुबान के लोग यहां रहते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, तो हमारी इज्जत होती है। एक शान है, हिन्दुस्तान का एक वक़ार है। आज पूरी दुनिया, अमरीका जैसी ताकत भी आज अगर अंदर ही अंदर से डरती है, तो हिन्दुस्तान की ताकत से डरती है। इसकी सबसे बड़ी बदनसीबी, मैं समझता हूं, यह है कि इस घर को आग लग गयी है घर के चिराग से।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : बदरुद्दीन अजमल साहब की स्पीच के बाद ज़ीरो आवर होगा।

श्री बदरुद्दीन अजमल: मेरी पार्टी का नौ मिनट समय है, अगर उसमें एक मिनट बढ़ा देंगे, तो आपकी मेहरबानी होगी।

महोदय, यह मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है, उसी वक्त ताकतवर हो सकता है, जब सब एक मुट्ठी की तरह हों। हिन्दू-मुस्लिम का मसला कम से कम इस सदन में नहीं आना चाहिए। यह हिन्दू-मुस्लिमा का मसला नहीं है, यह फसादात तो रोकने का मसला है। जब किसी का घर उजड़ता है, तो वह किसी हिन्दू का भी घर उजड़ता है, किसी मुसलमान का भी घर उजड़ता है, सिख का भी घर उजड़ता है और ईसाई का भी घर उजड़ता है। एक दिलत भाई का भी घर उजड़ता है और एक मुसलमान का भी घर उजड़ता है। मैं वह हिन्दू नहीं हो सकता है, मैं वह मुसलमान नहीं हो सकता, अपने आपसे कहता हूं कि अगर मेरे दिल में किसी दूसरे की माँ के प्रति इज्जत नहीं है, तो मैं अपनी माँ की इज्जत कभी नहीं कर सकता। इसी तरह अगर दूसरे की बहन के प्रति मेरे दिल में इज्जत नहीं है, तो मैं अपनी बहन की इज्जत

नहीं कर सकता। दूसरे के बच्चों के उजड़ने का फिक्र अगर मेरे दिल में नहीं है, तो मैं अपने बच्चों के उजड़ने की फिक्र नहीं कर सकता।

हमारे सामने 15 अगस्त है। हमारे पुरखों ने कहा था — "हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चो सम्भाल कर।" यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा यह कहना है कि स्वामी जी ने जैसा कहा कि इस तरफ के लोग फसादात मुसल्सल हो रहे हैं। कोई कहता है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद इस देश में 32,000 फसादात हुए। कोई कहता है कि 52,000 हुए और कहता है कि 27,000 हो गए। इस देश में 50 साल से ज्यादा समय तक इस तरफ के लोगों ने देश में हुकूमत की है। बड़े-बड़े कमीशन बनाए गए। आज उन कमीशंस की रिपोर्ट कहां है, मैं स्वामी जी यह बात आपकी तरफ से कह रहा हूं। लेकिन स्वामी जी मैं एक बात आपसे भी कहूंगा कि इस मामले में धर्म को बीच में लाकर, इस मुल्क के नागरिकों को तबाह और बर्बाद न किया जाए, उन्हें और न उजाड़ा जाए। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं। चाहे कोई बच्चा किसी मुस्लिम के घर मुसलमान के नाम से पैदा हो रहा है, चाहे वह किसी दिलत के घर पैदा हो रहा है, हकीकत यह है कि एक इन्सान पैदा हो रहा है। जिस किसी के घर में भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वह हमारा भाई है, मुल्क का अंग है, उसे तालीम से संवारिए। उसे शिक्षित किया जाए और उसकी तालीम के लिए बड़े-बड़े बजट लाइए और उसे इस मुल्क में जीने का हक दीजिए।

मैं ओवैसी साहब की एक तजवीज के बारे में कहना चाहूंगा। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सारे विभागों में सारे मजहब के लोगों की नुमाइंदगी दीजिए, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह, जब सारे लोग एक साथ होंगे, तो किसी के साथा नाइन्साफी नहीं होगी। सर्वधर्म का एहतराम होगा, यही हमारी हिन्दुस्तान की तहजीब है। जब तक हम लोग इसकी रखवाली करेंगे, इस मुल्क में लोग खुशी से रहेंगे। आप बड़े भाई हैं, अब आप पावर में आए हैं। आप दिल खोलकर छोटे भाइयों पर रहम कीजिए, यही हमारा धर्म कहता है।

माननीय सभापति : यह चर्चा जारी रहेगी। अब हम शून्य काल लेते हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायुँ): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की विद्युत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन में हमें कई बार इस बारे में सूनने का मौका मिला है और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रदेश की बिजली समस्या को उठाया है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि एक बार नहीं, कई बार हमारे मुख्य मंत्री जी ने मांग की है और भारत सरकार से कहा है, यहां पर योगी जी बैठे हुए हैं, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां घग्घर का पानी सबसे ज्यादा है, वहां परमाण् विद्युत योजना बनाई जाए। हम चाहते हैं कि आप इसमें सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में तात्कालिक जो गम्भीर सवाल है, वह बिजली के बारे में यह है कि प्रदेश में 1140 मेगावाट का विद्युत प्लांट जो है, वह कोल पर आधारित है। उसके अंदर हमें प्रतिदिन पांच रेकों की आवश्यकता है, जबकि बड़ी मुश्किल से तीन रेक ही प्रतिदिन मिल रहे हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश में विद्युत प्लांट और उससे जो बिजली जेनरेट होती है, उसमें प्रतिदिन 460 मेगावाट की कमी हो रही है। उसे लेकर मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। हम मांग करेंगे कि कोयले की जो कमी है उत्तर प्रदेश के कोटे में, उसे पूरा किया जाए। बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, अगर हमें पूरा कोयला मिले तो उत्तर प्रदेश सरकार उन सवालों का समाधान कर सकती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का केन्द्र से आबंटित अंश है 6002 मेगावाट का, वह घटकर 4200 मेगावाट कर दिया गया था, अब उसे 4500 मेगावाट तक किया गया है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश का जो केन्द्रांश है बिजली के मामले में, वह पूरा दें, जिससे वहां बिजली की समस्या दूर हो सके। उत्तर प्रदेश से भाजपा के बहुत से सांसद जीतकर आए हैं और केन्द्र की सरकार भी उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के कारण बनी है। मेरी उनसे भी अपील है कि वे भारत सरकार पर इस बारे में दबाव डालें। अगर वहां के बिजली प्लांट्स में कोयले की कमी होती है, तो बिजली में भी कटौती होगी। उत्तर प्रदेश की जनता यह सब देख रही है और जनता आपको आगे सबक सीखाने का काम करेगी।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापित जी, माननीय गृहमंत्री जी यहां बैठे हैं और भारत रत्न देने से संबंधित जो मामला है, उसमें हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। देश के जो महापुरूष होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनका समाज के लिए योगदान होता है, उनके लिए भारत रत्न की बात की जाती है। आप हमारे गार्जियन हैं, आप जानते हैं कि हमारा संविधान सोशलिस्टिक पैटर्न का हिमायती है और सोशिलिस्टिक पैटर्न किन लोगों के द्वारा लाया गया। बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी का देश सम्मान करता है और उनका सन् 1942 से लेकर आज तक क्या योगदान रहा है, यह सभी को मालूम है। उसके बाद आदरणीय लोहिया जी, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके कारण आम आदमी और गरीबों को अपने आर्थिक और

सामाजिक हक के लिए लड़ने की ताकत मिली। गरीबों को शोषण के खिलाफ उठ खड़े होने का जो जजबा मिला, उसमें जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी का कितना बड़ा योगदान है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के हित में, बाबू जगजीवन राम जी के बाद, आदरणीय काशीराम जी ने भी संघर्ष किया। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनके मुलायम सिंह जी से लेकर लालू यादव जी, नीतीश कुमार, चौधरी चरण सिंह, देवी लाल जी और हम सभी लोग उनका आदर करते हैं। आप सब जानते हैं कि सुभाष चन्द्र बोस भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं, उन्हें सारी दुनिया जानती है। गृह मंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इन चारों व्यक्तियों को, जे.पी,. लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और काशी राम जी को आप भारत रत्न देने के बारे में आप गंभीरता से विचार करें और वह आपकी ही सरकार कर सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री धर्मेन्द्र यादव को श्री राजेश रंजन जी द्वारा उठाये गये मुद्दे के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापित महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़कों को व्यापक रूप से निर्मित करने के लिए माननीय वाजपेयी जी ने एक अच्छी शुरूआत की थी। लक्ष्य निर्धारित किये गये। कुछ लक्ष्यों की आंशिक रूप से प्राप्ति भी हुई, परन्तु यूपीए के गत वर्षों के शासनकाल में और विशेष कर वर्तमान बिहार सरकार के दौरान बिहार में पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव खस्ताहाल है। राज्य की ग्रामीण सड़कें जर्जर हैं। लालफीताशाही एवं अफसरशाही का बोलबाला है और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाएं खस्ताहाल हैं।

मैंने स्वयं क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में सड़क बन चुकीं या बन रही पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के निर्माण में भारी अनियमितता बढ़ती गई है। भ्रष्टाचार के चलते हमारी ग्रामीण जनता आवागमन की सुविधा से वंचित है। वैसे तो हम ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण भारत की जीवन रेखा कहते हैं, परन्तु, अगर हम ये सड़कों निर्मित नहीं कर पाते हैं या इनका रख-रखाव नहीं कर पाते हैं तो यह ग्रामीण जनता को सजा देने के बराबर है। बिजली, पानी के फ्रंट पर बिहार सरकार फेल हो चुकी है। अब वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं स्वयं बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य सचिव, डी.एम. एवं अभियंताओं से मिल चुकी हूं। परन्तु, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सांसद होने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र में 45 सड़कें जो वर्षों पहले स्वीकृत हुई थीं अभी तक नहीं बन पायी हैं। सड़कों के अभाव में ग्रामीणों में आक्रोश है और वे यदा-कदा घेराव भी

करते हैं। जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठेकेदारों, अभियंताओं एवं अधिकारियों का गठजोड़ पी.एम.जी.एस.वाई. को सफल नहीं होने देने का सबसे बड़ा कारण है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड में कृष्ण नगरा गांव एनएच 104 से दुबहा दोस्तिया रोड के निर्माण की ओर दिलाना चाहती हूं जिसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हो रहा है। इस पथ की लम्बाई 2.097 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर एक करोड़ 42 लाख रुपए का खर्च होना है। इस पथ के निर्माण का कार्य वर्ष 2012-13 में हर्षवर्धन कंस्ट्रक्शन को आवंटित किया गया था जिसे टेंडर एग्रीमेंट के अनुसार 18 अप्रैल 2014 तक पूरा कर लेना था परन्तु तीन महीने बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कृष्ण नगरा गांव एनएच 104 दुबहा दोस्तिया रोड के आस-पास रहने वालों का डेलीगेशन मुझसे मिला था एवं निर्माण कार्य पर असंतोष व्यक्त किया था। लोगों का कहना था कि साइट पर जो मैटीरियल गिरा है वह भी घटिया है। उस कम्पनी के पास साइट पर कार्य करने के लिए अपनी कोई मशीन भी नहीं है। यह कम्पनी छोटे-छोटे ठेकेदारों को काम बांट कर अपना काम कराता है जो काफी घटिया स्तर का होता है। जो रोड निर्मित हो चुकी है, वह भी आधी-अधूरी है। अतः सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर्षवर्धन कंस्ट्रक्शन को तत्काल प्रभाव से हटा कर उसकी जांच कराते हुए उसे काली सूची में डाला जाए तथा कृष्णा नगर गांव एनएच 104 से दुबहा दोस्तिया रोड के निर्माण का कार्य किसी अन्य संवेदक को दिया जाए तािक क्षेत्र की जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके एवं सरकार की छवि भी बेहतर दिख सके।

माननीय गडकरी जी ने पिछले दिनों संसद में चर्चा के दौरान कहा कि जीपीएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे योजनाओं की निगरानी करेंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि वे आईटी एवं (जीपीएस) स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे पीएमजीएसवाई योजनाओं की निगरानी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि पीएमजीएसवाई योजनाएं समय तथा सही गुणवत्ता के साथ पूरी हो सकें।

माननीय सभापति : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्रीमती रमादेवी द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

श्री विजय सांपला (होशियारपुर): सभापित जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात माननीय रेल मंत्री जी पहुंचाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर में सप्ताह में एक ही दिन ट्रेन जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह ट्रेन सातों दिन चलनी चाहिए क्योंकि उसके साथ हिमाचल का बार्डर लगता है। यहां लोग माता चिंतपूरनी, चमुंडा देवी की यात्रा पर जाते हैं, इससे उन्हें सुविधा मिलेगी। श्रीशक्ति ट्रेन जो

माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, जो दिल्ली से कटरा तक जाती है, उसका ठहराव लुधियाना के बाद जालंधर कैंट में आता है जबिक बीच में फग्वाड़ा स्टेशन मेरे क्षेत्र में पड़ता है। इसके आस-पास दो सौ, ढाई सौ गांव को प्रभावित करता है इसलिए उनकी जरूरत के मुताबिक यहां ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। महोदय, हर सांसद चाहता है कि उसका क्षेत्र उन्नित करे। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि पहले जो ट्रेनें मेरे क्षेत्र में रुकती थीं, आज समय बीतने के साथ उनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी मगर जैसे मालवा, एक्सप्रेस मुकेरिया में ट्रेन का ठहराव था जिसे पूर्ववत् रहना दिया जाये, अब सितम्बर और अक्टूबर से मालवा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव बंद किया जा रहा है। दसुआ और टांडा में जो ट्रेनें चलती थीं, उनके ठहराव रोक दिए हैं। जबिक लोगों की डिमांड ज्यादा है। उक्त स्टेशन पर 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बीच में न तो कोई पैसेंजर ट्रेन चलती है और न ही कोई मेल गाड़ी रुकती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि टांडा, दसुआ, मुकेरिया के लिए उचित ट्रेनों की व्यवस्था करें और जो ट्रेनें पहले चलती थीं, उनका ठहराव पहले की तरह सुनिश्चित किया जाए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 29-ई जो गोरखपुर को नेपाल से जोड़ता है, उसमें महेश्वरा नामक स्थान वर्ष 2009 में मेरे आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक सेतु निर्माण करने के लिए धन स्वीकृत किया था। लगभग सवा नौ करोड़ रुपये की लागत से इस सेतु का निर्माण होना था। यह आश्चर्य की बात है कि सितम्बर 2009 में सवा नौ करोड़ रुपये उसके लिए आबंटित किये गये थे। जनवरी 2011 में उसका डीपीआर बनकर तैयार हुआ और लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपये की कुल लागत सेतु की थी लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का जो राजमार्ग खंड है, उसके द्वारा एक माफिया प्रवृत्ति के ठेकेदार को यह कार्य दे दिया गया और पांच वर्ष होने जा रहे हैं। अभी तक उस सेतु का एक पिलर भी नहीं बन पाया है।

यह सरकारी धन पर सीधे-सीधे डकैती का एक मामला है और सरकारी धन में लूट का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस सेतु के लिए जो धनराशि आबंटित की गई है, उसकी किसी केन्द्रीय एजेंसी से जांच कराकर कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होकर उन पर पूरी तरह कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनसे पूरी धनराशि ब्याज सिहत वसूल करके उस सेतु का निर्माण समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए क्योंकि यह नेपाल को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टि से भी और गोरखपुर और

उत्तरी क्षेत्रों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राजमार्ग है। कृपया सरकार इसके लिए प्रभावी कार्यवाही करे, ऐसा आपके माध्यम से अनुरोध है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): माननीय सभापित जी, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश और खासकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, अभी 1400 मिलीमीटर बारिश हुई है जिसका 12 प्रतिशत अगर इस्तेमाल होता है तो राज्य में शेष वर्षा का संचय करने का उपाय नहीं है जिसके कारण किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। आज झारखंड प्रदेश में 50 प्रतिशत ही बारिश हुई है और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि खासकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पीरटाण, डुमरी, नावाडाट टुंडी, तोपचांची, कसमार, पेटरवार, गोमिया इत्यादि ये कृषिबहुल क्षेत्र हैं। यहां पर डीप बोरिंग करवाई जाए जिससे सिंचाई की सुविधा बहाल करवाई जा सके। झारखंड सरकार द्वारा किसानों के लिए आज की तारीख में कुछ नहीं किया जा रहा है और हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलम्ब वहां पर एक एक पंचायत में कम से कम पांच पांच डीप बोरिंग की जाए और जो हमारे प्रधान मंत्री जी की योजना है कि भारत सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लागू होगी, उसमें इसको जोड़ने की कृपा की जाए। आपने जो समय दिया।

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापित जी, मैं एक ऐसे मुद्दे भारत रत्न पर बोलना चाहता हूं जो आजकल सुर्खियों में है। हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, उनका राजनीतिकरण हो रहा है। बहुत राजनीतिज्ञ लोग या तो उसके लिए रिकमेंड करते हैं या उनके नाम भी आ रहे हैं। असल में इससे ये अवार्ड्स विवादों में घिर जाते हैं। भारत रत्न अवार्ड की जो बात चल रही है, उसकी गरिमा भी इससे कम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे रत्न हैं जो असल में भारत के असली रत्न हैं जिन्होंने हमें भारत लेकर दिया। जिनमें शहीद भगत सिंह जी हैं। शहीद करतार सिंह सरापा और शहीद ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिसमिल जैसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। भगत पूर्ण सिंह हैं जिन्होंने मानवता के लिए पिंगवाड़ा नाम की संस्था बनाकर बहुत सेवा की। अगर इनको अवार्ड नहीं भी मिलेगा तो इनकी शहीदी कम नहीं होने वाली लेकिन अवार्ड ऐसे व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनको अवार्ड देकर अवार्ड की गरिमा और ऊंची हो। भगत सिंह जैसे जो शहीद हमारे दिलों में बसते हैं। इनको अगर अवार्ड मिलते हैं तो इससे भारत रत्न की गरिमा ऊंची होगी। भारत रत्न के लिए पात्र चुने जाने का क्या क्राईटीरिया है? कौन चैक करता है कि किसको देना है? मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी स्टैंडिंग कमेटीज बनती हैं, उसके लिए भी एक कमेटी हो जो ब्यूरोक्रेटिक भी न हो और सरकारी भी न हो। अलग अलग वर्गों से लोग लिये जाएं तािक आजकल सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में इतनी तरक्की हो गयी है

कि आप लोगों से पूछ भी सकते हैं कि कौन अवार्ड का हकदार है? मैं चाहता हूं कि भारत रत्न जैसे अवार्ड देश के शहीदों के नाम होने चाहिए और इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए।

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak in Zero Hour today. I am once again thankful to my leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Puratchi Thalaivi Amma* because of whom I am in this august House today.

I wish to raise an important issue regarding my parliamentary constituency Kancheepuram. Kancheepuram is known as the 'Temple City'. The 192-feet high Ekambaranadhar Temple and the 100-pillar Mandapam in Varadaraja Perumal Temple are very famous. Kancheepuram is famous for silk sarees and they are considered to be one of the best varieties of silk sarees in the country.

Kancheepuram is the first district in the country with the largest number of lakes. It has more than 200 big lakes and ponds such as Maduranthakam Lake, Sirudhavoor Lake, Kolava Lake, Thenneri Lake, Uthiramerur Lake, Thandalam Lake etc., and the main source of water for cultivation is by lift irrigation of water from bore-wells. The main and the only source of maintaining underground water level is through recharging from rain water. The Palar River is the main source for irrigation and supplies drinking water to the entire Kancheepuram District and, to an extent, Chennai.

Our leader, *Puratchi Thalaivi Amma* is a pioneer in the entire country in harvesting rain water for agriculture and public use. *Puratchi Thalaivi Amma* is the first Chief Minister in the country who enacted a law that every building that is constructed in Tamil Nadu should have rain water harvesting and recharging provision in the building.

Since a large number of lakes is available in Kancheepuram District, it is a natural infrastructure that is available to store rain water and thereby provide natural sub-soil recharging in the adjacent area of these lakes. Therefore, my humble submission to the Union Government and the hon. Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation is to provide adequate

funds for my Kancheepuram constituency for deepening and desilting of lakes in Kancheepuram.

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़): माननीय सभापति जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। इस क्षेत्र में करीब 63 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। यह राजमार्ग तिनसुकिया जिले के पानीतुला से शुरु होकर असम के बॉर्डर और अरुणाचल के सुकानगुड़ी से होते हुए खुनसा जाएगा। अगर इस डिब्रूगढ़ के लाहुवाल से 23 किलोमीटर जोड़ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बहुत सुविधा होगी। अरुणाचल प्रदेश के लोग डिब्रूगढ़ में सामान खरीदने आते हैं। लोग यहां रेल से और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं। अगर 23 किलोमीटर सड़क को लाहुवाल से टिंगराईचारली तक जोड़ दिया जाए तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 315ए में 23 किलोमीटर रास्ते को जोड़ा जाए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): माननीय सभापित जी, मैं अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। जहां तक अहमदाबाद का सवाल है, अहमदाबाद की पिवत्र नदी साबरमित के तट पर राष्ट्रीय धरोहर और सबसे बड़ी विरासत महात्मा गांधी का साबरमित आश्रम है। साबरमित आश्रम के निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने 2010 में डीपीआर प्रस्तुत किया था। साबरमित आश्रम देश की विरासत है। यहां महात्मा गांधी जी ने रहते हुए समग्र देश की आजादी की लड़ाई की संचालन किया था। और देश को आजादी दिलाई थी। यह बहुत ऐतिहासिक जगह है। गुजरात सरकार ने 2010 में एक डीपीआर इस आश्रम के विकास, ब्यूटिफिकेशन, गार्डनिंग और लैंड स्केपिंग के लिए भेजी थी। इस आश्रम के ठीक बगल में दांडी ब्रिज है, जहां से महात्मां गांधी जी ने दांडी कूच किया था, उसके रिनोवेशन के लिए इसमें प्रावधान किये गये हैं। आश्रम के ठीक पश्चिमी ओर पर कस्तूरबा झील का निर्माण करना है और एक फ्लाई ओवर बनाना है। इन सभी के लिए 367.07 करोड़ रुपये का डीपीआर गुजरात सरकार ने 2010 में प्रस्तुत किया है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सांस्कृतिक मंत्रालय इस डीपीआर को शीघ्र ही मंजूर करे, ताकि हम महात्मा गांधी जी को एक भव्य श्रद्धांजिल दे सकें और महात्मा गांधी जी की जो एक बड़ी विरासत है, हमारे देश का एक गौरव है, उसके लिए हम कुछ कर सकें।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सभापित महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माता भारत रत्न डा.भीमराव अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय रमारक मुम्बई में बनाने की मांग अनेक वर्गों की ओर से पिछले कई वर्षों से होती रही है तथा

भूतपूर्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने डा.बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक स्थापित करने हेतु मुम्बई के दादर में इन्दु मिल में भूमि आबंटित करने की घोषणा लोक सभा में 5 दिसम्बर, 2012 को की थी। परंतु लगभग दो वर्ष के बाद भी इन्दु मिल की भूमि पर डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाने हेतु इमारत का निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं हो सका। मेरी जानकारी के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभी तक इस परियोजना को क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से यह इश्यु पैंडिंग है।

महोदय, भारतीय संविधान लागू होने के 64 सालों के बाद भी संविधान निर्माता डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक अभी तक मुम्बई में स्थापित नहीं हुआ है। यह कैसी विडम्बना है कि जिस महान आत्मा का दुनिया में सम्मान होता है, उन्हीं के देश में उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को जानकारी देने हेतु कोई माध्यम नहीं है। आज इस सभागृह में सभी सांसद जब स्पीच देते हैं तो वे अपनी-अपनी पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनका गौरवपूर्ण उल्लेख करते हैं, लेकिन डा.बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज इस सभागृह में हमें यह मौका मिला है, उनके द्वारा संविधान लिखे जाने के कारण आज हमें यह सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64 सालों के बीतने के बाद भी हम उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना सके।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुम्बई में इन्दु मिल की भूमि पर इस रमारक को बनाने की योजना को अविलम्ब क्लियरेंस प्रदान करके शीघ्र ही डा.बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय रमारक बनाने का मार्ग प्रशस्त करें।

माननीय सभापति : श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ डा.किरीट पी.सोलंकी को संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापित महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे मेरा विषय उठाने की अनुमित दी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ध्यान सतना हवाई अड्डे को राष्ट्रीय हवाई परिचालन सेवा में जोड़े जाने के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूं। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के 50 उन हवाई अड्डों को, जिनमें हवाई सेवाएं संचालित हैं, ऐसे हवाई अड्डों को राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के परिचालन नेटवर्क में जोड़े जाने का ऐलान किया है। मैं लोक सभा क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां से वर्तमान में वेंचुरा एयरकाफ्ट का परिचालन भोपाल, सिंगरौली, वाराणसी के लिए हवाई सेवा संचालित है। उस हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक अनुबंध के तहत राज्य शासन को संचालन एवं संवर्धन के लिए दिया हुआ है। सतना हवाई अड्डे का द्वितीय विश्व युद्ध के समय निर्माण किया गया था।

अतः मेरी उड्ड्यन मंत्रालय से मांग है कि राष्ट्रीय परिचालन नेटवर्क में सतना हवाई अड्डे को भी शामिल किया जाए तथा एयर इंडिया की हवाई यात्रा प्रारम्भ की जाए। हमारा जिला एक औद्योगिक जिला है, जहां देश का एक-तिहाई सीमेन्ट का उत्पादन होता है और बड़ी संख्या में यहां से दिल्ली, भोपाल, मुम्बई, कोलकाता जाने वाले यात्रियों को हवाई सेवाओं से जोड़े जाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है।

महोदय, इसी तरह से एक दूसरा विषय यह है कि मेरे पड़ोस में खजुराहों हवाई अड्डा है। यहां पिछले तीन-चार साल से एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें न जाने अभी और कितना समय लगेगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जानना चाहुंगा कि यह हवाई अडडा कब तक पूरा हो जायेगा।

19.00 hrs.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापित महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार के लगभग 29 जिले सूखे की चपेट में हैं। जहां 42 प्रतिशत बारिश कम हुई है, वहां किसानों की हालत काफी दयनीय है। उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में हैं। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर भी ले जाना चाहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा है, जहां बीस प्रखण्ड हैं। जिनमें से 15 प्रखण्ड सुखाड़ की चपेट में हैं और पांच प्रखण्ड दहाड़ की चपेट में हैं। एक तरफ फलगू नदी के पानी ने हिलसा एवं करायपशुराय प्रखण्ड को काफी प्रभावित किया है, दूसरी तरफ पंचाने नदी में काफी पानी आ जाने से गिरियक, रहुई, कतरी सराय, आदि इलाकों में और खास कर रहूई प्रखण्ड में कई ऐसे गांव हैं, जो प्रभावित हुए हैं। बरांदी गांव की तो सड़क टूट गयी है। रहीमपुर, खिरौना, रहुई, लोहरन आदि तमाम गांवों में पानी का स्तर बढ़ गया है। वहां पर सरकार की तरफ से खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को केंद्रीय सहायता के रूप में अतिरिक्त खाद्य सामग्री, रहने के लिए मकान, फसलों की नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा देने की कृपा करें। टूटे हुए सड़क संपर्क तथा पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ पूरे बिहार राज्य को सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए।

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

-

^{*} Not recorded.

खाँ. रामशंकर कठेरिया (आगरा): सभापित महोदय, में आगरा लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। आगरा शहर की आबादी 25 लाख है। वहां के पानी में टी.डी.एस. का स्तर पांच हज़ार से ले कर दस हज़ार तक है। वहां खारा पानी है तथा पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। यमुना नदी आगरा के किनारे बहती है लेकिन पूरे साल में 11 महीने यमुना नदी पूरी तरह सूखी रहती है। पानी की भयंकर समस्या के कारण वहां के लोग वहीं खारा पानी पीने को मज़बूर हैं। 20 प्रतिशत लोग तो पानी खरीद लेते हैं, लेकिन 80 प्रतिशत लोग खरीद नहीं पाते हें। जो गरीब लोग हैं, वे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यमुना नदी पूरी तरह सूखी रहती है। यमुना के किनारे ताजमहल की नींव में जो लकड़ी है, जिसके कुएं के ऊपर ताज़महल बना है, पानी के आभाव के कारण, कुएं के नीचे जो लकड़ी है, वह भी सूख रही है और इस कारण ताजमहल में दरार आ रही है और उससे ताजमहल को खतरा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यमुना नदी को साबरमती नदी की तर्ज पर विकसित किया जाए। यमुना नदी पर एक बैराज बनाया जाए, जिसके कारण ताजमहल की सुरक्षा भी हो सकेगी और ताजनगरी की जनता को भी पानी मिल सकेगा। इसी के साथ साथ ताजमहल और लालिकला के बीच में यमुना नदी के किनारे 21 लाख वर्गफुट जो जमीन पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसको हिरत पिट्टका घोषित किय जाए। उसको विकसित करने के लिए भारत सरकार कदम उठाए जिससे वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ सकें।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापित महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूणे के करीब पिंपरी चिंचवड मावल में रक्षा विभाग के अंतर्गत रेड जोन एरिया में पक्के घरों में रह रहे लोगों की समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, पिछले अनेक वर्षों से पिंपरी, चिचवड़, मावल में लगभग एक लाख मकान बने हैं, जिसमें करीब चार से पांच लाख लोग रहते हैं। कई बिल्डिंग्स ऐसी बनी हैं, जिसमें राज्य सरकार, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड़ न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि अनेक संस्थाओं ने डेवलपमेंट प्लान मंजूर किया है। उसके अंतर्गत अधिकृत परिमशन ले कर मकान लीगली बनाए गए हैं। इसी एरिया में कई हज़ार मकानों को बिजली, पानी एवं रास्तों की सुविधा दी गई है। सभी मकानों का लीगली प्रॉपर्टी टैक्स आज भी करोंड़ों में वसूल किया जाता है, लेकिन वर्ष 2013 में पूना कलेक्टर ने इस क्षेत्र को रेड जोन के अन्तर्गत घोषित किया है। शुरू में रेड जोन का क्षेत्र छह सौ यार्ड था, बाद में उसे बढ़ाकर दो हजार यार्ड तक किया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस एरिया में जो रेड जोन बना है, जो मकान इसके अन्तर्गत आते हैं, रक्षा मंत्री जी, रक्षा सचिव इसके ऊपर ध्यान दें और इन मकानों को अधिकृत किया जाये।

*SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Hon'ble Chairman Sir, I wish to raise an important issue in this House. In my Tiruvannamalai Constituency before broad gauge conversion, there was rail connectivity between Chennai and Tiruvannamalai. After the broad gauge conversion all the train services were stopped. Tiruvannamalai is a district headquarters and a temple town. It is a spiritual centre. To visit Annamalaiyar temple of Tiruvannamalai and for circumambulation during full-moon days, Tamil New year, English New year and festival days like Karthigai Deepam, lakhs of pilgrims from Chennai and other parts of the State come to Tiruvannamalai. There is heavy vehicular traffic during these occasions and it becomes difficult to control the traffic. There should be adequate rail services to Tiruvannamalai. Howrah Express between Puduchcherry and Howarah does not stop at Tiruvannamalai. This train should stop at least for 5 minutes at Tiruvannamalai railway station. Pilgrims and passengers would be benefitted by this. Ticket booking is done only during morning hours. I urge that it should be extended in the evening hours also. A parcel office should function at Tiruvannamalai railway station. Basic amenities like drinking water facilities, rest rooms, latrine facilities, etc. in the railway station should be improved. Chennai-Tirupaththur train service has been in operation for so many years. This train departs from Tirupaththur at 4.30 am and reaches Chennai and on the other side reaches Tirupaththur at 10 pm. But for the last four months this train halts at Jolarpet, Therefore the rail link between Jolarpet and Tirupaththur is lost. People of this area have to depend on other modes of transport for onward journey to Tirupaththur. I therefore urge the Hon Railway Minister through this august House that the train service must be resumed up to Tirupaththur as it was before. I also urge for starting a new railway line from Tiruvannamalai to Jolarpet via Chengam.

_

^{*} English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

श्री रमेश चन्द्र कोशिक (सोनीपत): महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सोनीपत पार्लियामेंट क्षेत्र से आता हूँ। सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक रीजनल सेन्टर है, जहाँ पूरे हरियाणा के और निकटवर्ती दूसरे राज्यों के भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 500-600 खिलाड़ी नियमित रूप से खेलों के प्रशिक्षण हेतु आते हैं। हाल ही में सरकार ने यहाँ से कतिपय खेलों की प्रशिक्षण सुविधाओं को बदलने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय खिलाड़ियों में काफी रोष है। यहाँ से बॉक्सिंग, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों के प्रशिक्षण सुविधाओं को न बदला जाये, इससे खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सोनीपत के रीजनल सेन्टर में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को जारी रखा जाये तथा यहाँ से किसी भी खेल प्रशिक्षण सुविधा को न बदला जाये। इस सेन्टर को विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाये तािक यहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक जीतें। चाहे राष्ट्रमंडल खेल हों, चाहे एशियन गेम्स हों, हमारे रीजनल सेन्टर से सबसे ज्यादा खिलाड़ी पदक जीतकर देश के लिए लाते हैं।

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Chairman, Sir, I am bringing your urgent attention and intervention to the following important issue.

The southwest monsoon has intensified over Kerala unleashing torrential rain across the State and leaving a trail of devastation especially backward agricultural dependent districts such as Palakkad.

The summer rain that lashed the district plays havoc, which claimed eight lives so far.

Sir, crops on 2,153 hectares of land were damaged, of which paddy fields made up the largest area of 1,392 hectares. The crops loss is estimated at Rs. 9.72 crore. In the district, 340 hectares of farm land is submerged in water. Fifty per cent of the loss suffered by the farmers is on account of damage to paddy alone. Crops like plantain and vegetables have also been damaged in the rain. Fifteen houses got destroyed and 412 houses got damaged. Damage of roads has led to a loss of Rs. 5.3 crore.

In this regard, the Government of Kerala has already estimated the primary statement and submitted it to the Government of India seeking assistance of Rs. 31

crore. The estimate is of almost Rs. 85 crore due to loss of agricultural crops alone. The roads, houses and other damaged items are involved in this damage list.

In the case of Kerala, the Central team does not reach in time. I would, therefore, urge the Government to immediately send a special team to our State to investigate the loss, particularly, on the agriculture side as early as possible and give sufficient compensation to the farmers and the poor people of the State of Kerala.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): सभापित महोदय, आज पश्चिम अफ्रीका में, नाइजीरिया में, गिनी में और काफी जगह इबोला के पेशेन्ट देखने को मिल रहे हैं। वहाँ वायरल फैला हुआ है जिसके कारण वहाँ के लोग काफी भयभीत भी हैं और कई लोगों की डैथ भी हुई है। हम लोगों के लिए इसके साथ एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा उठा जो अखबारों में भी आया कि लागोस में यह बीमारी फैली हुई है। वहाँ आबूज़ा में हमारे चार इंडियन डॉक्टर हैं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइमस में काम करते हैं। वे डाक्टर इंडिया वापस आना चाहते हैं, उनको इस बीमारी से डर लग रहा है। उनका पासपोर्ट हॉस्पिटल द्वारा ज़ब्त किया गया है और ज़बर्दस्ती उनको उनकी विल के खिलाफ पेशेन्ट के इलाज के लिए रखना चाहते हैं। जहाँ यह बीमारी है, उसका डिस्टैन्स वहाँ से 800 किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से इस मामले में सरकार का हस्तक्षेप चाहती हूँ। किसी की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डाक्टर खुद भयभीत है और वापस आना चाहता है तो किसी की विल के खिलाफ उसको वहाँ ज़बर्दस्ती नहीं रखना चाहिए। हाई कमीशन से वह टच में हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके उनका पासपोर्ट उनको वापस दिलवाकर उन्हें इंडिया वापस लाया जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): माननीय सभापित महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही लोक महत्व के सवाल को उठाने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, यह बहुत सैंसिटिव मामला है। पूरे बिहार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत लगभग 10 हज़ार से अधिक विद्युत ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हैं। इसमें लगभग 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है और 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र में कमोबेश यही हालत है। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हुए हैं। जब मैं क्षेत्र का भ्रमण करने जाता हूँ तो स्थानीय लोगों का कोपभाजन हमें बनना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हैं लेकिन बदलने के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है - न राज्य सरकार के पास है, न केन्द्र सरकार के पास है। स्थित इतनी खराब हो गई है कि आज पूरे बिहार में

ट्रांसफॉर्मर खराब होने की वजह से गाँवों में अंधेरा हो गया है। उसमें पटना और पाटलिपुत्र के अलावा बक्सर तथा और इलाका भी आता है। लोगों में एकदम हाहाकार मचा हुआ है।

माननीय सभापति : आप डिमांड बताइए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं डिमांड ही तो बता रहा हूँ, पहले मेरी वेदना सुन ली जाए। मैं छः घंटे से इसी बात को कहने के लिए बैठा हूँ, अब तो सदन भी करीब-करीब खत्म होने वाला है।

महोदय, उक्त योजना में 16 केवीए और 25 केवीए के ट्रांसफॉर्मर लगाए गए थे लेकिन लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफॉर्मर या तो जले हुए हैं या खराब पड़े हुए हैं। जिन गाँवों में ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, वहाँ गरीब लोग बसते हैं। गाँव के गरीब लोग जो कभी अंधेर से उजाले में आए थे, उनको बड़ा सुनहरा अवसर मिला था। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सबसे बड़ी खामी यह है कि इस योजना में सभी जगह कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जब गांवों में इस योजना के माध्यम से विद्युतीकरण हो रहा है तो भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए 63 केवीए और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर लगाने चाहिए, ताकि वह लोड सह सके। आप भी इससे सहमत होंगे। यह पूरे देश की हालत है, केवल बिहार की बात नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां भी ऐसा ही होगा, चूंकि सभी जगह एक ही पॉलिसी है।...(व्यवधान) इस योजना के क्रियान्वयन में देश का बहुमूल्य संसाधन खर्च हुआ है, लेकिन गांव के लोगों को इससे लाभ नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक लाइन में डिमाण्ड बताइए और अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अब स्थिति यह है कि लोग यह मानने लगे हैं कि इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है और यह योजना सफेद हाथी साबित हो रही है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैंने अभी अपनी डिमाण्ड नहीं की है, कृपया मुझे डिमाण्ड रखने दीजिए। माननीय सभापति : यह डिबेट नहीं है, यह ज़ीरो ऑवर है।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं ज़ीरो ऑवर में ही आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 16 केवीए और 25 केवीए के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वहां 65 केवीए और 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि गांव के लोगों को विद्युत मिल सके। गांव के लोगों ने सपना देखा था कि वे भी कभी अंधेरे से उजाले में आएंगे।...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): महोदय, मैं श्री रामकृपाल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

माननीय सभापति : निशंक जी, आप बोलिए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय सभापित जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र हरिद्वार के अंतर्गत ऋषिकेश और वीरभद्र क्षेत्र के अलावा हैदराबाद और गुड़गांव में भी सन् 1962 में आईडीपीएल को भारत सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर दवाइयां देने के लिए स्थापित किया था।

श्रीमन, हजारों-करोड़ रुपये की सम्पत्ति से तैयार देश के लिए जीवनरक्षक दवाइयों की निर्माता ये ऐसी यूनिट्स हैं, जिन्होंने गुजरात के सूरत में प्लेग फैलने पर उसकी रोकथाम के लिए और देश में आपातकाल के समय में दवाइयां उपलब्ध करवाने का काम किया था। लेकिन आज ये दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। हजारों लोगों की रोज़ी-रोटी छीनी जा रही है और वे बेघर होने को मजबूर हैं। इसके कारण से देश के लिए संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि जीवनदायी दवाइयों को चीन से खरीदा जा रहा है। मैं पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि ऐसी यूनिट्स जो देश की प्रगति में, देश की रक्षा में और देश के स्वास्थ्य मिशन में मील का पत्थर साबित हो सकती थीं और मील का पत्थर साबित हुई हैं, ऐसी यूनिट्स को, जो कि दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, अत्याधुनिक तकनीक के साथ, नये निर्माण के साथ पुनर्जीवित किया जाए ताकि देश की प्रगति में यह आगे बढ़ सकें और जीवन रक्षा कर सकें। आपात स्थिति में यदि चीन ने जीवनरक्षक औषधियों को देने से इंकार कर दिया तो देश संकट में आ जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन यूनिट्स को नई तकनीक के साथ शुरू किया जाए।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am raising a matter relating to Ebola virus which was just now mentioned by Shrimati Ranjeet Ranjan.

India is on alert for the Ebola virus because there is a risk that the deadly virus could be imported into the country if the large population of Indians working in the four affected West African nations returns. India has nearly 45,000 people living in the four Ebola-affected West African nations. Health officials have said that there is a possibility of some of them returning to their home country, if the outbreak worsens. The illness was declared as an international health emergency by the World Health Organization (WHO) on Friday and the authorities have voiced fears that the virus could spread worldwide.

In this regard, I would like to urge upon the Government to alert all the State Governments and the airport officials for exact checking of the affected persons to control the disease by the Government.

Sir, what travel control measures are taken by the Government on passengers travelling to and from these affected countries? The entire country is in an apprehensive mood whether the outbreak will affect us in future or not. Therefore, the Government of India should take necessary and speedy steps for removing the apprehensions of the people. That is all.

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, बच्चे किसी भी देश की 100% जनसंख्या नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे किसी देश का 100% भविष्य जरूर होते हैं। भारत में साक्षरता दर 66% है। वर्ष 2007 में यू.एन.ओ. की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व साक्षरता रैंकिंग में 149वें स्थान पर था। वास्तव में, शिक्षा, जो एक सांविधानिक अधिकार था, अब वह मौलिक अधिकार बन चुका है। अब यह संविधान के अनुच्छेद 21-ए में है, जो एक अप्रैल, 2002 को पूरे भारत में लागू हो चुकी है। यह मज़बूत तरीके से यह आश्वासन देता है कि छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी तथा यह उनके माता-पिता का मौलिक कर्तव्य भी है। लेकिन शिक्षा के अधिकार की ज़मीनी सच्चाई से आप सभी वाक्रिफ हैं। अगर में राजधानी दिल्ली की बात करूं तो यहां एक-एक सेक्शन में 90-90 बच्चे बैठ रहे हैं। बदरपुर, मोलरबंद, तुगलक़ाबाद एक्सटेंशन, जे ब्लॉक संगम विहार आदि ऐसे अनेक एरियाज हैं जहां के स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक के अनुपात में बहुत अधिक हैं। सरकारों ने इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। पिछले 15 वर्षों में दिल्ली में 40 लाख लोग पड़ोसी राज्यों से रोज़गार व शिक्षा के लिए आए हैं। इनमें अधिकतर लोग अपने बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए यहां आए हैं। सरकार ने इसके संबंध में नीति नहीं बनाई, उनके कारण उन से फायदा उठाकर कुछ नए राजनीतिक दल भी पैदा हो गए थे, जिन्होंने 500 स्कूल बनाने का आश्वासन दिया और 49 दिनों में भाग खड़े हुए।

सभापित जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन है कि जो फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने यहां बीस स्कूल खोलने का निर्णय लिया, लेकिन इसी वर्ष के अंदर उन बच्चों के दाखिले होने चाहिए। बच्चों के मां-बाप बेचारे हमारे पास आते हैं कि उनके बच्चों के दाखिले स्कूलों में नहीं होते हैं। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार से, वर्षों से देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6 गुणा, महाविद्यालयों में 12.5 गुणा और विद्यार्थियों की संख्या 60 गुणा बढ़ गयी है, जिससे यूनिवर्सिटी में बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। लोग सैंकड़ों किलो मीटर दूर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तथा दिल्ली में पढ़े हुए बारहवीं

पास छात्रों को उच्च शिक्षा नहीं मिलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज देश के बाहर राज्यों में भी खोले जाएं जिनसे उन बच्चों को एजुकेशन मिल सके।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet tomorrow at 1100 a.m.

19.22 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 14, 2014/Shravana 23, 1936 (Saka).